लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

Unit ... Library 1-9-92

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. IV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची / CONTENTS

अंक 30, शुक्रवार 15, जुलाई, 1877/24 आषाढ़, 1899 (शक)

No. 30, Friday, July 15, 1977/Asadha 24, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions— . . .	1—17
*तारांकित प्रश्न संख्या 485, 486, 488 और 490 से 492	*Starred Questions Nos. 485, 486, 488 and 490 to 492.	1—17
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 19	Short Notice Question No. 19— . .	17—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions :	21—138
तारांकित प्रश्न संख्या 487, 489 और 493 से 504	Starred Questions No. 487, 489 and 493 to 504	21—31
अतारांकित प्रश्न संख्या 3592 से 3630, 3632 से 3696 3698 से 3743, 3745 से 3750 और 3752 से 3757	Unstarred Questions Nos. 3592 to 3630, 3632 to 3696, 3698 to 3743, 3745 to 3750 and 3752 to 3757	32—138
17 जून, 1977 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 845 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting Answer to Unstarred Question No. 845 dated 17-6-1977 .	138
दिल्ली में विषैली शराब पीने से हुई मौतों के बारे में	Re. Deaths one to Liquor poisoning in Delhi	139
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table. . . .	139—41 173—74
केन्द्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांगों के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षण के बारे में वक्तव्य	Statement Re Reservation of vacancies for the physically handicapped for certain posts in Central Government and Public Sector undertakings . . .	141—42
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder . .	141—42
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977	Finance (No. 2) Bill, 1977 —	142—58
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider :	
श्री एच० एम० पटेल	Shri H.M. Patel	142—46
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Yeshwantrao Chavan . .	146—50

किसी नाम पर अंकित यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

2007 L.S.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला	Shri Parmanand Govindjiwala. .	150—51
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . . .	151—55
श्री जनेश्वर मिश्र	Shri Janeshwar Mishra . . .	155—56
श्री जनार्दन पुजारी	Shri Janardhana Poojary . . .	156—58
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन	Committee on Private Members Bills and Resolutions Second Report. . .	158
विधेयक पुरःस्थापित	Bills introduced—	
1) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 217 का संशोधन) श्री ओम प्रकाश त्यागी द्वारा	(1) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 217) by Shri Om Prakash Tyagi	158
2) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक (धारा 10क का प्रतिस्थापन) श्री के० लकप्पा द्वारा	(2) Essential Commodities (Amendment) Bill (Substitution of Section 10A) by Shri K. Lakkappa	159
3) बेरोजगारी भत्ता विधेयक श्री के० लकप्पा द्वारा	(3) Unemployment Allowance Bill by Shri K. Lakkappa	159
(4) जाति पद्धति (उत्पादन) विधेयक, श्री के० लकप्पा द्वारा	(4) Caste System (Abolition) Bill by Shri K. Lakkappa	160
(5) गरीबी उन्मूलन योजना विधेयक श्री के० लकप्पा द्वारा	(5) Eradication of Poverty Scheme Bill by Shri K. Lakkappa	160
(6) सामाजिक निश्क्तताओं का निवारण विधेयक डा० वसंत कुमार पंडित द्वारा	(6) Prevention of social Disabilities bill by Dr. Vasant Kumar Pandit . .	160—61
7) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 का संशोधन) श्री हरि विष्णु कामत द्वारा	(7) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 51) by Shri Hari Vishnu Kamath	161
(8) हज समिति (संशोधन) विधेयक ('धारा 7 और 8 का संशोधन) श्री जी० एम० बनतवाला द्वारा	(8) Haj Committee (Amendment) Bill (Amendment of sections 7 and 8) by Shri G.M. Banatwala . . .	161—62
भारत स्थित विदेशी मिश्नों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियनम) विधेयक श्री समरगुह द्वारा—वापिस लिया गया	Publication and Import of Political Literature by Foreign Missions in India (Regulation) Bill—Withdrawn by Shri Samar Guha	162—72
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	162—64, 171—72

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
श्री पी० के० देव	Shri P.K. Deo	164
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	164—65
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	165—67
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi . .	167
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	167—68
श्रीमती अहिल्या पी० रंगनेकर	Shrimati Ahilya P. Rangnekar . .	168
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M.N. Govindan Nair .	168—169
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa . .	169—70
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	170, 171—72
लोकपाल विधेयक–श्री पी०के० देव द्वारा	Lokpal Bill by Shri P.K. Deo . .	173
श्री पी० के० देव.	Shri P.K. Deo . . .	173

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 15 जुलाई, 1977/24 आषाढ़, 1899 (शक)

Friday, July 15, 1977 / Asadha 24, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूतपूर्व प्रधान मंत्री की प्रतिमा की स्थापना

*485. **श्री बाबू साहिब परुलेकर** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने फरवरी, 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा की स्थापना के लिये एक पत्र द्वारा 30,000 अमरीकी डालर (2.7 लाख रु०) मंजूर किये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिमा के निर्माण के लिये आदेश दे दिया गया है और किसको ; और

(ग) प्रतिमा का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और सरकार का उक्त प्रतिमा की स्थापना किस स्थान पर करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जिस महिला मूर्तिकार को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की केन्द्रीय अभियान समिति द्वारा श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा बनाने का काम सौंपा गया था, उसे 30,000 डालर के बराबर की रकम दी जानी थी। इस विभाग ने केवल 15,000 डालर की विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी थी क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की केन्द्रीय अभियान समिति और महिला

मूर्तिकार के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार बाकी रकम रुपयों में अदा की जानी थी लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की केन्द्रीय अभियान समिति से कोई आवेदनपत्र न प्राप्त होने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने वास्तव में कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी है।

(ख) और (ग). चूंकि भारत सरकार ने प्रतिमा बनाने के लिए कोई आर्डर नहीं दिया था, इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि क्या प्रतिमा के निर्माण के लिए आर्डर दिया गया है या नहीं और उसका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की आशा है। इस बात को देखते हुए यह सवाल पैदा ही नहीं होता कि सरकार का उक्त प्रतिमा को कहां स्थापित करने का विचार है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि वास्तव में रिजर्व बैंक ने कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी है क्योंकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की केन्द्रीय अभियान समिति से कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर वे 15,000 डालर की यह राशि प्रदान करेंगे?

श्री एच० एम० पटेल : मांग किये जाने पर राशि दे दी जायेगी।

श्री बापू साहिब परुलेकर : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि "यह सवाल पैदा ही नहीं होता कि सरकार का उक्त प्रतिमा को कहां स्थापित करने का विचार है"। यदि समिति द्वारा ऐसी प्रार्थना की जाती है तो क्या सरकार का विचार इस प्रतिमा को स्थापित करने की अनुमति देने का है?

श्री एच० एम० पटेल : आज मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं।

डा० वसंत कुमार पंडित : माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि आवेदन प्राप्त होने पर पैसा दे दिया जायेगा। क्या उन्होंने पूछताछ की है कि क्या महिला मूर्तिकार ने काम शुरू कर दिया है और उसका नाम और राष्ट्रीयता क्या है?

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमती फ्रैडा ब्रिलीमेंट वह मूर्तिकार हैं जिन्हें आर्डर दिया गया है। मैं उनकी राष्ट्रीयता नहीं बता सकता हूं और मैं यह भी नहीं कह सकता हूं कि उन्होंने काम शुरू का दिया है या नहीं। आर्डर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की केन्द्रीय अभियान समिति ने दिया था, केन्द्रीय अभियान समिति ने यह आश्वासन मांगा था कि मूर्तिकार मिल जाने पर विदेशी मुद्रा की राशि उपलब्ध हो जायेगी। स्वीकृति दे दी गई है और मांग प्राप्त होने पर हम उस पर विचार करेंगे।

श्री समरेन्द्र कुन्डु : मंत्री महोदय का कथन शोधजनक है कि आवेदन किये जाने पर मुद्रा मंजूर करदी जायेगी। वे एक महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं और जनता सरकार हर प्रकार की बचत करने के लिये वचनबद्ध है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह जानकारी वास्तव में बहुत शोभजनक है कि वित्त मंत्री ऐसे निरर्थक प्रयोजन के लिये दुर्लभ विदेशी मुद्रा दे देंगे। मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि वे इस बारे में पुनर्विचार करके घोषणा करें। क्या वे यह भी घोषणा करेंगे कि भविष्य में पापी और पुण्यात्म दोनों को एक वर्ग में नहीं रखा जायेगा।

श्री एच० एम० पटेल : विदेशी मुद्रा की यह मंजूरी इस सरकार के सत्तारूढ़ होने से पहले दी गई थी ।

श्रीमती मृणाल गोरे : अब आप इसे वापस ले सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा किया जा सकता है। निश्चय ही हम इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार की यह सामान्य नीति है कि पहली सरकार ने जो भी वचन दिये हैं उन्हें निभाया जाये। अतः हम पता करेंगे कि क्या आर्डर दे दिया गया है। इसके बाद हम इस विषय पर विचार कर सकते हैं।

Shri Chandra Shekhar Singh : The hon. Minister said that they will consider the matter regarding grant of $ 15,000 and it was government's policy to honour the commitments made by the previous Government. The idols of Lord Shiva and Lord Krishna were installed 300 years after their death. In this context may I know whether Government would consider the question of installing statues of living persons ? Is it not idolatry to instal statues of living persons and is it not an insult to our poor country to think of spending money of this poor country for this purpose ?

श्री एच० एम० पटेल : यह एक अत्यन्त काल्पनिक प्रश्न है जिसका वास्तव में वित्त मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। पिछली सरकार ने कोई निर्णय किया था और तत्कालीन वित्त मंत्रालय से प्रार्थना की गई थी और तत्कालीन वित्त मंत्री ने इसे स्वीकार किया। मैं इस बारे में केवल इतना ही कह सकता हूं।

श्री सोन् सिंह पाटिल : अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की केन्द्रीय अभियान समिति के अध्यक्ष कौन थे और इस प्रतिमा के लगाने पर 15,000 डालर स्वीकृत करने के क्या आधार थे ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं समझता हूं कि वित्त मंत्रालय को श्री यशपाल कपूर से पत्र प्राप्त हुआ था। उसमें कहा गया था कि उन्होंने 30,000 डालर की लागत से श्रीमती गांधी की 7 फुट ऊंची एक कांस्य प्रतिमा बनाने के लिये विश्व-विख्यात महिला मूर्तिकार फ्रैंडा ब्रिलिमेंट से कहा है। मैं कह चुका हूं कि हम पता करेंगे कि क्या प्रगति हुई है और यदि कोई प्रगति नहीं हुई है तो हमें इसे रद्द कर देंगे।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि आर्डर भी दे दिया है, तो सरकार उसे रद्द कर देगी ।

Shri Ram Kanwar : Mr. Speaker, Sir, the reply of the hon. Prime Minister is quite heartening. Certain organisations had demanded installation of a statue of Mahatma Gandhi at India Gate and their workers were put in jail by the previous government.

Shri Ravindra Pratap Singh : Is the hon. Minister aware of the site where this statue was to be installed ?

श्री एच० एम० पटेल : इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री वयालार रवि : इस कथित केन्द्रीय अभियान समिति से यह आवेदन कब प्राप्त हुआ था ? समिति के अध्यक्ष एक सम्मानित व्यक्ति थे और उन्हें आज भी आदर की

दृष्टि से देखा जाता है बाबू जगजीवन राम इसके अध्यक्ष थे। विदेशी मुद्रा के लिये श्री यशपाल कपूर से यह आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुआ था ? क्या बाद में इस समिति और मूर्ति बनाने वाले व्यक्ति के बीच हुए करार की प्रति उन्हें प्राप्त हुई थी ?

श्री एच० एम० पटेल : कोई करार मुझे क्यों मिलता ? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की केन्द्रीय अभियान समिति के महासचिव श्री यशपाल कपूर से वित्त मंत्रालय को 16 नवम्बर, 1976 को पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक मूर्तिकार को काम सौंप दिया है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I may congratulate the Prime Minister and the Government on behalf of Members and the countrymen for respecting the feelings of the people of India by making the statement that the foreign exchange worth several lakhs of rupees sanctioned earlier will not be given. It would have been a great tragedy to grant such a huge sum of foreign exchange for the installation of a statue of a person, who was the symbol of fascist rule in the country. Have you laid down a yard stick for grant of foreign exchange for such statues so that recurrence of such incidents is avoided in future ?

स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति लगाये जाने की प्रार्थना की जा सकती है और अनेक बातों के लिये प्रार्थना की जा सकती है।

श्री मोरारजी देसाई : बाहर से मूर्तियां बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसके लिये हम कोई विदेशी मुद्रा नहीं देंगे।

Shri Mani Ram Bagri : Dr. Ram Manohar Lohia had made an appeal to change the names of roads having a hearing on the names of foreign rulers and their statues and replace them by the statues and names of freedom fighters and historians of India. Will the Prime Minister kindly pay special attention to do the needful now ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Marketing of Indian Goods in Africa, South America and South East Asia

*486. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the efforts made or proposed to be made by Government for marketing of Indian goods in Africa, South America and South East Asia ; and

(b) the names of the countries out of them with which we have had trade relations so far and the names of the commodities exported to these countries?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दक्षिण अमरीका, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय माल की बिक्री के लिये किये गये प्रयासों में ये शामिल हैं; बाजार सर्वेक्षण करना, बिक्री प्रतिनिधिमण्डल भेजना, भारतीय प्रदर्शनियां लगाना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, वाणिज्यिक प्रचार, सुलभ ऋण प्रदान करना, व्यापार करार करना, सरकारी स्तर पर व्यापार वार्ताएं करना, अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के लिए टेंडर भरना, निर्यात संवर्धन संगठनों के कार्यालय खोलना और जानकारी एकत्र करके उसका प्रसार करने के लिए हमारे वाणिज्यिक मिशनों द्वारा किये गये प्रयास। भविष्य में इन प्रयासों को बढ़ाए जाने का विचार है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन देशों की सूची जिनके साथ हमारे व्यापार सम्बन्ध हैं

दक्षिण अमरीका	सहारा का उत्तरी अफ्रीका	सहारा का दक्षिण अफ्रीका	दक्षिण एशिया	पूर्व एशिया
अर्जेन्टीना	मिस्र का अरब गणराज्य (मिस्र)	बोट्सवाना	अफगानिस्तान	आस्ट्रेलिया
बोलिविया	सूडान	ब्रूण्डी	पाकिस्तान	वर्मा
ब्राजील	अल्जीरिया	कार्मीन	नेपाल	कम्बोडिया (खेमर गणराज्य)
चिली	लिबिया	केनारी द्वीप	बंगला देश	फारमोसा
कोलम्बिया	मोराको	कैप वर्डी द्वीप	श्रीलंका	फिजी
कोस्टा रीका	ट्यूनीशिया	मध्य अफ्रीकी गणराज्य		हांगकांग
क्यूबा	चड	चड		इंडोनेशिया
डोमिनिकन-गणराज्य		कोमरो द्वीप		जापान
इक्वेडर		कांगो (ब्राजील)		दक्षिण कोरिया
एल साल्वेडर		ज़रे		लाओस
गवाटेमाला		दहीमी (बेनीन)		मलयेशिया
हटी		इथोपिया		न्यूजीलैण्ड
होंडरस (ब्रिटिश)		गैबन		फिलिपीन
मैक्सिको		ज़ाम्बिया		सिंगापुर
निकरगुआ		घाना		थाईलैण्ड
पानामा गणराज्य		गिनी		चीन जनवादी गणराज्य
पाराग्वे		आइवरी कोस्ट		कोरिया लोकतंत्री जनवादी गणराज्य
पीरू		केनिया		
उरूग्वे		लिसोथो		वियतनाम जनवादी गणराज्य
वेनेजुएला				
अमरीकन सामोआ				
भामास				
बर्मुडा				
बारवेडोस				
फ्रेंच वेस्ट इंडीज़				

दक्षिण अमरीका	सहारा का उत्तरी अफ्रीका	सहारा का दक्षिण अफ्रीका
गुयाना	लीवीरिया	नाइजीरिया
फ्रेंच	मलावी	मोजम्बिक
गुयाना	माली	री-यूनियन
होंडरअस	मारितेनिया	रवांडा
नाट ब्रिटिश	मारीशस	
विर्जीन द्वीप	नीगर	साउथीमीट प्रिंसिप
जमैका		सेनेगल
लीवर्ड द्वीप		सेसल्स
नीदरलैण्ड		सायरा लीओन
एण्टीलीज़		सोमालिया
प्यूरटो रीको		स्पेनिस सहारा
सूरीनाम		स्टेहेलिना एण्ड असेंस्टीन
त्रिनिदाद तथा टोबेगो		स्वांजीलैण्ड
		तंजानिया
		टोगो
विंडवर्ड द्वीप		यगांडा
		अपर वोल्टा
		पश्चिम अफ्रीका
		जाम्बिया

वस्तुओं की सूची

1. लौह अयस्क
2. मैंगनीज़ अयस्क
3. समुद्री उत्पाद
4. मोती, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्न
5. विद्युत् मशीनें
6. इंजीनियरी माल
7. पटसन निर्मित माल
8. काजू गिरी
9. फल तथा सब्जियां
10. काफी
11. चाय
12. मसाले
13. अनिर्मित तथा निर्मित तम्बाकू
14. मूंगफली की गिरी, एच० पी० एस०

15. लकड़ी, इमारती लकड़ी तथा कार्क
16. शहतूती रेशम वैस्ट
17. अभ्रक जिसमें टुकड़े तथा वैस्ट भी शामिल है
18. अपरिष्कृत खनिज पदार्थ
19. रासायनिक तत्व तथा संघटक
20. रंगने, कमाने तथा रंजन सामग्री
21. औषध तथा भेषजीय पदार्थ
22. चमड़ा
23. खनिज विनिर्मित सामान
24. धातु विनिर्मित सामान
25. मशीनें, बिजली की मशीनों को छोड़कर
26. लोहा तथा इस्पात
27. एल्यूमिनियम
28. परिवहन उपस्कर
29. सफरी सामान, हैंडबैग तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं
30. सूती वस्त्र तथा परिधान (सिले-सिलाए परिधान)
31. चमड़े से बना माल तथा जूते
32. हस्तशिल्प की वस्तुएं
33. रासायनिक पदार्थ तथा सम्बद्ध उत्पाद
34. कागज़, गत्ता तथा उससे बना सामान
35. कांच तथा कांच का सामान
36. अयस्क तथा मैंगनीज के सांद्रण
37. चन्दन की लकड़ी
38. चमड़ा
39. तिलहन की खली तथा उसका चूरा और खाद्य तेल के अन्य अवशेष
40. पशु चारा
41. रबड़ से बना सामान
42. वैज्ञानिक, प्रकाशकीय तथा डाक्टरी उपकरण
43. प्लास्टिक सामग्री
44. सिनेमाटोग्राफिक फिल्में
45. सुगन्धित तथा अंगराग सामग्री
46. चीनी
47. सीमेंट
48. मछली उत्पादन

Shri Om Prakash Tyagi : The hon. Minister has stated that efforts have been made and are proposed to be intensified for marketing of Indian goods to various countries. May I know the names of the countries along with the quantity and value of goods which are exported to them in each case and whether these include essential commodities and if so, the names thereof ?

Shri Mohan Dharia: Sir, I shall require notice for that in order to give full details thereof : मैं केवल इतना कह सकता हूं इनमें लौह अयस्क, मेंगनीज, समुद्री उत्पाद, मोती, मशीनरी, पटसन मशीनरी, वस्त्र, कॉफी, चाय, मसाले, तम्बाकू, मूंगफली की गिरी शामिल हैं और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका हम निर्यात कर सकते हैं, उन सभी चीजों के नाम इस सूची में हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether the hon. Minister is in a position to tell us the total value of goods exported to these countries ?

Shri Mohan Dharia : The total value of our exports made during the past one year was to the tune of 5,000 crores. For full details, I shall require notice. The question was—what efforts have been or are be ing made to promote our exports.

Shri Om Prakash Tyagi : May I know the names of those countries with which we have trade relations in hard and soft currencies separately ?

Shri Mohan Dharia : With Afghanistan, Nepal and North Korea we have trade relations in soft curreney and with other countries which I have furnished our trade relations are in hard currney.

श्री के० गोपाल : माननीय मंत्री जी इस बात से सहमत होंगे कि बिक्री करना एक मुश्किल काम है उसमें भी विदेशों को माल बेचना और भी कठिन काम है। मैं जानता हूं कि बिक्रय को बढ़ावा देने के लिए वह सरकारी टीमें बाहर भेज रहे हैं और कभी-कभी वह इस कार्य हेतु गैर-सरकारी क्षेत्र से भी लोगों का चयन कर लेते हैं। क्या मंत्री जी भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि जब कभी वह बिक्रय-संप्रवर्तन के लिए टीम बाहर भेजें, तो केवल अफसर लोग ही न भेजे जायें बल्कि उसमें व्यावसायिक अनुभव वाले लोगों को भी भेजा जाए।

श्री मोहन धारिया : मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं। भविष्य में अधिकारियों तथा व्यावसायिक अनुभव वाले विशेषज्ञों की संयुक्त टीम भेजी जाएगी।

श्री आर० के० अमीन : भारत एशियाई देशों का एक सामूहिक बाजार स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। हाल ही में कुछ एशियाई देशों ने अपने आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए एक अधिमान ब्लाक बनाया है। भारत को इस ब्लाक से अलग कैसे रखा गया है और भारत ने उन देशों का, जो एशिया में अल्प विकसित हैं, एक सामूहिक बाजार बनाने के कोई प्रयत्न क्यों नहीं किए ?

श्री मोहन धारिया : अल्प विकसित देशों की कठिनाइयों से सारा सदन अवगत है। हमें कई प्रकार से निर्भर रहना पड़ता है। आपने कल ऐसी रिपोर्टें देखी होंगी कि ई० सी० एम० ने अधिसूचित किया है कि वे हमारे रेडी मेड (तैयार) कपड़ों का आयात नहीं करने देंगे। इससे सभी किस्म की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यद्यपि सुझाव सराहनीय है किन्तु इन परिस्थितियों में इस सुझाव को क्रियान्वित करने में कई अन्तर्निहित कठिनाइयां हैं।

श्री आर० के० अमीन : कुछ एशियाई देश पहले ही एक तरजीही ब्लाक बना चुके हैं।

श्री मोहन धारिया : आप जानते हैं कि वे सफल नहीं हुए हैं।

Shri Hukmdeo Narain Yadav : The prices of goods imported from and exported to foreign countries are determined on the basis of cost of production. May I know whether our Government will make efforts to persuade the international market that the prices of goods should be determnied on the the basisof the cost of labour ? Being a backward and developing country, we do not have a large number of modren machines to use with the result that the goods which America produces in 6 minutes, Russia in about 14 minutes and China in 35 minutes, we require 60 minutes to manufacture the same. In view of this whether our Government will try to persuade the world to accept the theory of labour and determine the prices of goods in the international market on the basis of of the cost of labour.

Shri Mohan Dharia : Our efforts are to see that goods in larger and larger quantity are exported from those places where we can provide more jobs to our people.

Shrimati Mrinal Gore : May I know whether the hon. Commerce Minister is aware of the fact that in Bombay hundreds of firms which used to export readymade garments to international market have closed down rendering their workers jobless. In view of this, whether the hon. Minister will give an assurance that the export of these garments will be resumed.

Shri Mohan Dharia : This is a very difficult problem. Our Officers are now there holding discussion on the question and are taking stock of the situation. We know a large number of people are in the employment of readymade Garments Industry. Efforts will be made to take all necessary steps to revive this industry.

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : दक्षिण पुर्व एशियाई, अफ्रीकी तथा दक्षिण अमरीकी देशों के साथ व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, मंत्री महोदय ने विभिन्न ब्यौरा दिया है । यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि अफ्रीकी मित्र देशों के लिए जो माल होता है उसे दक्षिण अफ्रीका के बाजारों तथा रोडेशिया में न भेजा जाए ?

श्री मोहन धारिया : जहां तक हमारे देश का संबंध है, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो माल जिस देश के लिए है वह वहीं पहुंचे किन्तु जहां तक उन क्षेत्रों में तस्करी का संबंध है, मेरे माननीय मित्र इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि वह हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: मैं तस्करी की बात नहीं कर रहा हूं । मैं तो उस माल की बात कर रहा हूं जो किसी एक देश के लिए होता है और किसी दूसरे देश को भेजा जाता है ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक हमारे करारों का संबंध है, उस बारे में तो हम सावधानी बरत सकते हैं किन्तु ज्यों ही माल देश से बाहर चला जाता है, वह हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाता है ।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मंत्री महोदय ने अभी ई०सी० सी० के साथ कठिनाइयों का उल्लेख किया है । क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि उन्होंने व्यापार तथा आर्थिक प्रयोजनों के लिए दक्षिण पुर्व एशियाई देशों के साथ शामिल होने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहन धारिया : सदन को अच्छी तरह मालूम है कि प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार (GATT) अथवा एशियां तथा सुदूर पुर्व के लिए आर्थिक सहयोग (ECAFE) जैसे अलग अलग निकाय बनाये गये हैं जहां विभिन्न देशों का पारस्परिक विचार विमर्श तथा सहयोग बढ़ रहा है और यह स्वाभाविक है कि जहां तक हमारे हितों का संबंध है, वे उसी तरह के हैं जैसे अन्य विकासशील देशों के हैं और सभी का यही प्रयत्न रहता है कि हर एक देश के हितों की अच्छी तरह पुर्ति हो ।

श्री विनोद भाई बी० शेठ : मंत्री महोदय ने कई वार कहा है कि इस देश के उपभोक्ताओं के हितों को हानि पहुंचाकर कोई निर्यात नहीं किया जाएगा । क्या वह सुनिश्चित रूप से यह बतायेंगे कि इस देश के उपभोक्ताओं के हितों को हानि पहुंचाकर आवश्यक वस्तुओं का निर्यात नहीं किया जाएगा ?

श्री मोहन धारिया : मैंने कई अवसरों पर यह बात स्पष्ट की है कि इस देश के आम आदमी की मांग की उपेक्षा करके आवश्यक वस्तुओं का कोई निर्यात नहीं किया जाएगा और हम अपना वायदा अच्छी तरह पुरा कर रहे हैं ।

डा० वी०ए० सैयद मोहम्मद : क्या यह सच नहीं है कि राज्य व्यापार निगम, प्रदर्शनो अभिकरणों, विक्रय प्रोत्साहन अभिकरणों जैसे विभिन्न व्यापार अभिकरणों तथा सम्बद्ध दूतावासों के बीच समुचित समन्वय न होने के कारण भारी व्यापार हानि होती है और व्यापार भी नहीं फैलता है ? यदि हां, तो इन अभिकरणों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

श्री मोहन धारिया : मुझे समन्वय के इस कमी का अच्छी तरह पता है और इस सन्दर्भ में मैं कल को निर्यात व्यापार से संबंधित विभिन्न अभिकरणों की एक बैठक बुला रहा हूं जहां समन्वय के इन मामलों पर विचार विमर्श किया जाएगा । कल हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा उपाधियां प्रदान की जाने वाली हैं और इसका लाभ उठाकर दोपहर बाद मैंने एक बैठक आयोजित की है ।

भारत तथा अमरीका के बीच व्यापार करार

*488. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन्** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका के बीच हाल ही में किसी व्यापार करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) इसके फलस्वरूप दोनों देशों के बीच व्यापार में कितनी वृद्धि होगी; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए दोनों देशों के व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों ने एक दूसरे के देश का दौरा किया था ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

श्री आर० वी० स्वामिनाथन् : क्या अमरीका के साथ कोई व्यापार करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मोहन धारिया : हम विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करने के लिए हमेशा खुश होंगे क्योंकि उनसे स्वयं हमारे हित की पूर्ति होती हैं ।

बेलगांम हवाई अड्डे पर "वेलकम टू महाराष्ट्र" शीर्षक वाले इश्तिहारों का लगाया जाना

+

***1490. श्री के० लकप्पा :**
श्री एफ० एच० मोहसिन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने बेलगाम हवाई अड्डे पर "वेलकम टू महाराष्ट्र" (महाराष्ट्र में आपका स्वागत है) शीर्षक से लगे इश्तिहारों का मामला उन के मंत्रालय के नागर विमानन विभाग के साथ उठाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या इसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या बेलगाम नगर के बारे में दोनों राज्यों के मध्य विवाद है ; और

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने निर्णय किया है कि ऐसी कोई कार्यवाही न की जाए जिससे दोनों राज्यों के हितों को हानि पहुंचे ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) to (e). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (e). Yes , Sir. Posters produced by the Department of Tourism and the State Government are displayed at civil aerodromes as a tourist promotion measure. At Belgaum aerodrome a few of the posters displayed are :

(i) Caption Tamil Nadu—with a seene of Bharatanatyam dance.

(ii) Hill forest Gujarat depicting scenery—Lion drinking water from a pond.

(iii) Caption : Maharashtra welcomes you to its cultural panorama. (The caption is not "Welcome to Maharashtra" as stated in the question).

(iv) Caption : Ellora the pride of Maharashtra.

(v) Caption : Delhi—a picture of Jama Masjid.

The posters referred to at (iii) and (iv) above relating to Maharashtra, amongst others were put up at Belgaum aerodrome about ten years ago. Initially they were displayed in the old passenger lounge. About the two years ago they were shifted to the new passenger lounge along with other posters relating to Tamil Nadu, Delhi and Gujarat.

The Karnataka Tourism Development Corporation have also sent four posters depicting places of interest in Karnataka and these posters have also been displayed in the passenger lounge at Belgaum aerodrome from 1-7-1977.

Since the poster captioned 'Maharashtra welcomes you to its cultural panorama' appears to have evoked adverse reaction, instructions are being issued to replace this poster. The question of taking action against anyone does not arise in the circumstances explained above.

श्री के० लकप्पा : मैंने विवरण को ध्यान से पढ़ा है और इसे पढ़ कर यह पता चला है कि उत्तर उन प्रश्नों के दिये गये हैं जिनके बारे में पूछा ही नहीं गया। मेरे विचार से मेरे प्रश्न के (घ) भाग का उत्तर देने में मंत्री महोदय सक्षम ही नहीं है।

क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में कुछ शरारती तत्व बेलगाम हवाई अड्डे पर इस तरह के इश्तिहारोंको लगा कर दोनों राज्यों के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहेहैं? बेलगाम कर्नाटक में है। उस क्षेत्र में इस तरह के शरारतपुर्ण इश्तिहार लगाये गये हैं। प्रधान मंत्री यहीं पर हैं। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऐसे तत्व देश में यह धारणा फैला रहेहैं कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन को भी स्वीकार नहीं किया गया....

उपाध्यक्ष महोदय : आप पर्यटन के बारे में पूछें।

श्री के० लकप्पा : बम्बई में कार्यरत पर्यटन विभाग जानबझ कर दिल्ली के कहने पर दो राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न कर रहा है। वह एक शरारतपूर्ण विवाद को जन्म दे रहेहैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है और अगर पता है तो वह उन तत्वों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहेहैं जो इस प्रकार के विवाद को उत्पन्न कर रहेहैं।

Shri Purushottam Kaushik : Mr. Deputy Speaker Sir, as far as the mischievous elements mentioned by the honourable member are concerned, I am not aware of them. As far as I am concerned, I have information that these are no such elements in my ministry attempting to create any misunderstanding and ill-will in the matter of the border dispute.

As regards second question of displaying the posters, I want to inform you that this poster has been there for the lsat ten years. When a new lounge was constructed two years ago, the poster was transferred from the old lounge to the new one. The honourable member has said about the posters. The posters of Tamil Nadu and Gujarat have also been displayed with a view to attracting tourists. The posters of Delhi and Karnataka have also been displayed on the new lounge. As he has asked whether the Karnataka Government have sent any protest note on it, I want to inform him that there was no protest for the last 10 years. It was only in the month of June, i.e. about 15 days ago, they sent a protest note. So in view of that, it was enquired and found that the poster was not sent for display by the Central Tourism Department. It is a poster of the Maharashtra Tourist Corporation and it has displayde it there with a view to attracting tourists there. The poster was displayed at the spot of the retiring rooms of air passengers. You have said that Welcome to Maharashtra' poster expresses some other meaning, but I have the poster with me, it does not give any idea of creating any tension about the border dispute.

यह इश्तिहार है : "महाराष्ट्र अपणे सांस्कृतिक परिदृश्य में आपका स्वागत करता है"। इसे महाराष्ट्र सरकार के पर्यटन विभाग ने जारी किया है।

The Central Tourism Department does not come into picture anywhere. So I want to make it very clear to the honourable member that there is no attempt to create any controversy on the border dispute issue here. This has been done only as posters are generally displayed with a view to promote tourism.

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें किसी शेर अथवा चीते का चित्र नहीं है।.

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह हर महिला को शेर समझ रहेहैं। 20 महीनों में उन्हें एक ही महिला शेरनी की तरह नजर आती रही है।

Shri Purushottam Kaushik : The question that where is Belgaum, is not connected with this question and I have made it very clear that the display of this poster neither solves the problem nor complicates it. There is no change in it. That will be solved by Government in the course of time.

श्री के० लकप्पा: अभी हाल में ही हमारी सरकार ने जो इस प्रकार के शरारतपूर्ण प्रचार को रोकने के बारे में विरोध पत्र भेजा है उसमें क्या लिखा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि इंडियन एयरलाइन्स की एक पत्रिका है जिसमें यह लिखा गया है कि बेलगाम महाराष्ट्र में है और उसने इस प्रकार एक शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया है जब कि इस सम्बन्ध में दोनों राज्यों में विवाद चल रहा है । महाजन आयोग का भी इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन है । इस प्रकार का विवाद क्यों उठाया गया है ? क्या आपका मंत्रालय इंडियन एयरलाइन्स की पत्रिका में अथवा हवाई अड्डे पर किए गए ऐसे शरारतपूर्ण प्रचार पर रोक लगाना चाहता है ? मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या आश्वासन देना चाहते हैं ?

Shri Purushottam Kaushik : As regards the protest letter, I would like to have information. It is not necessary to answer whatever the State Government writes to the Centre because they write on many issues. But the contents of the letter are that the poster displayed has adversely affected the sentiments of the people there and some people assembled there to give vent to their sentiments. This has been stated in this letter. In view of this, enquiries were made from the Maharashtra Government and from our Civil Aviation Officer.. After that, we are taking action to replace this poster with a view to avoid any misunderstanding to the people like that of honourable member. But poster of any state can be displayed there. Every state displays posters for attracting tourists.

श्री के० लकप्पा : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । हमारी सरकार ने कौनसा विरोध पत्र लिखा था ।

Shri Purushottam Kaushik : I do not have any information about it. I will find out.

श्री के० लकप्पा : इंडियन एयरलाइन्स ने अपनी पत्रिका में लिखा है कि बेलगाम महाराष्ट्र में है । उसका क्या हुआ ?

डा० कर्ण सिंह : पत्रिका का क्या हुआ ?

श्री एफ० एच मोहसिन : मंत्री महोदय का उत्तर कि पर्यटन विभाग तथा राज्य सरकारें असैनिक हवाई अड्डों पर पर्यटन विकास के लिए इश्तिहार लगाती हैं मेरी समझ में आ गया है । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु कर्नाटक को छोड़ कर शेष सभी राज्यों के सम्बन्ध में इश्तिहार लगाये गये हैं । यही आपत्ति की बात है । वह इस प्रकार है :--

पोस्टर इस प्रकार है :--

(क) शीर्षक : तमिलनाडु--भारत नाटयम नृत्य के एक दृश्य के साथ ।

(ख) दृश्य सहित गुजरात का पहाड़ी वन प्रदेश--तालाब से जल पीता हुआ शेर ।

(ग) शीर्षक : महाराष्ट्र अपने सांस्कृतिक परिदृश्य में आपका स्वागत करता है "महाराष्ट्र आपका स्वागत करता है" यह शीर्षक नहीं है जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है ।

(घ) शीर्षक : महाराष्ट्र का गौरव--इलौरा ।

(ङ) शीर्षक : दिल्ली--जामा मस्जिद का चित्र ।

क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि कर्नाटक पर्यटन विकास निगम द्वारा भी सुन्दर इश्तिहार निकाले गये हैं ? उन्हें हवाई अड्डे पर कोई स्थान नहीं दिया गया ? मैं यह जानना

चाहता हूं कि क्या हवाई अड्डों पर इश्तिहार लगाने के लिये इन विभिन्न राज्यों से उसके लिये कुछ वसूल किया जाता है और क्या यह भुगतान के आधार पर है ? क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि यह विरोध इसलिये हुआ है क्योंकि रेल मंत्री, जिन्होंने अभी हाल में ही बेलगाम को यात्रा की है ने कुछ वक्तव्य दिये हैं और सीमा विवाद के बारे में वक्तव्य दिये हैं उससे वहां के लोगों में उत्तेजना फैली है। इन वक्तव्यों की ओर उन लोगों का ध्यान गया और उसके पश्चात प्रदशन किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि श्री मधु दंडवते ने भो बातें कही हैं क्या उससे केन्द्रीय सरकार की राय का प्रतिनिधित्व होता है और क्या वह दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में किसी प्रकार की सहायता करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक प्रश्न के तीसरे भाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार से मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे ..... (**व्यवधान**)

श्री एफ० एच० मोहसिन : प्रो० मधु दण्डवते ने अभी हाल में बेलगाम की यात्रा के दौरान जो बातें कहीं यह उसी का परिणाम है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न पुछा है। मेरे विचार में वह उसका उत्तर नहीं दे सकते।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि रेल मंत्री ने कोई ऐसी बात कही है भो रेल मंत्रालय के बारे में नहीं है तो वह बात सरकार की ओर से नहीं मानी जायेगी। प्रधान मंत्री द्वारा कही गई बात के लिये ही सारी सरकार उत्तरदायी होगी।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार की नीति के बारे में केवल प्रधान मंत्री ही वक्तव्य दे सकता है; अन्य कोई भी मंत्री नीति सम्बन्धी वक्तव्य नहीं दे सकता। क्या इसका अर्थ यह है कि सरकार के सामूहिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में सरकार का कोई भी मंत्री नीति सम्बन्धी वक्तव्य नहीं दे सकता ? इसमें यह बात तो हो सकती है कि जब कोई मंत्री नीति सम्बन्धी ऐसा वक्तव्य देता है जो सरकार की नीति से मेल नहीं खाता तो उस स्थिति में प्रधान मंत्री का वक्तव्य ही सरकार का वक्तव्य माना जाये, वरना कोई भी मंत्री सरकार की नीति को अभिव्यक्ति दे सकता है, मेरे विचार से प्रधान मंत्री की बात सही नहीं है।

श्री मोरारजी देसाई : जब तक सरकार द्वारा निर्णय न हो जाये, प्रधान मंत्री भी इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देगा। इस बात से उन्हें निश्चिन्त रहना चाहिये।

Shri Purushottam Kaushik : Mr. Deputy Speaker Sir, as far as the question of display posters of tourist interest are concerned, the Karnatak Government have not taken any interest in this regard. They have not made any request in regard to displaying of posters. But then this controversy arose, we asked the Karnatak Government that if they have any posters for the development of tourism they should give them for display. We have received the posters and arrangements are being made for their display.

As far as the question of charges is concerned, we do not charge anything for that.

डा० बापू कालदते : सदन में नागर विमानन सम्बन्धी अन्तर्राज्य विवाद को बेकार में उठाने के लिये मैं श्रीलकप्पा के रवैये के विरुद्ध जोरदार विरोध प्रकट करता हूं और उसकी भर्त्सना करता हूं। उन्हें यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिये था....... (**व्यवधान**) ....

My question is very clear that whether Maharashtra posters have been displayed only at the Belgaum aerodrome or at every aerodrome.

Shri Purushottam Kaushik : These have been displayed at many places.

Shri Jagdish Prasad Mathur : Whether any changes would be made in the posters with a view to attracting tourists in the country brought out by the Tourism Department particularly when Maharaja Karan Singh was the minister, he made Maharaja as the symbol who invites tourists on behalf of Air India. But now the country is not of the Maharajas but is of the masses whether any change would be effected in this regard ?

Dr. Karan Singh : The Maharaja symbol was adopted 15 years before I became the Minister. Maharaja is there since the inception of Air India. I did not bring Maharaja there, rather I have helped in abolishing the Maharajas.

Shri Purushottam Kaushik : The honourable member should be happy that Maharaja is there not for receiving welcome but is standing for offering welcome.

अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय "एयर कार्गो काम्पलैक्स"

*491. **प्रो० पी० जी० मावलकर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदावाद में अन्तर्राष्ट्रीय "एयर कारगो काम्पलैक्स" स्थापित करने हेतु गुजरात सरकार का प्रस्ताव पहिले ही सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये कदम पहिले ही उठाये जा रहे हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(घ) उक्त काम्पलैक्स को कब तक चालू किया जायेगा और उसकी कुल लागत क्या होगी ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) to (d) : It has been agreed in principle in consultation with the Government of Gujarat to set up an integrated air cargo complex at Ahmedabad aerodrome. It has also been agreed that the proposed air cargo complex would be managed/operated by Gujarat Export Corporation, a State Government undertaking.

The Director General of Civil Aviation has already accorded necessary permission to the Gujarat Export Corporation to construct additional accommodation at Ahmedabad aerodrome to facilitate Customs examination and storage of examined cargoes etc. The proposed cargo complex is expected to be ready some time in August 1977. The total cost of Civil works undertaken is estimated at Rs. 47,000- approximately.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को मालूम ही है कि अहमदाबाद को 1952 में ही सीमाशुल्क विमान अड्डा घोषित किया गया था और येन केन प्रकारेन 1964 तक यह सुविधा बिल्कुल समाप्त सी कर दी गई थी किन्तु 1970 में वह सुविधा फिर से बहाल कर दी गई। अतः मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि समेकित एयर कारगो को अहमदाबाद में अब फिर स्थापित किया जा रहा है। जो उत्तर दिया गया है उस के आधार पर क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि इस सुविधा से अब तक के अभाव से बम्बई में हवाई अड्डे पर बहुत देरी होती रही तथा इस देरी के कारण गुजरात में निर्यात व्यापार को ठेस पहुंचा ?

विमानों के माध्यम से माल भेजने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि माल को जल्द उपलब्ध कराया जाए और.उसे जल्दी से भेजा जाए चाहे वह निर्यात के लिए हो अथवा अयात के लिए। अब जबकि यह काम्पलैक्स चालू हो रहा है इसे ध्यान में रखते हुए क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या गुजरात निर्यात निगम यथा सम्भव शीघ्र न केवल अहमदाबाद हवाई अड्डे पर वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में ही सुविधायें सम्मिलित करेगा बल्कि उन सभी वस्तुओं के लिए भी आयात सुविधायें सम्मिलित करेगा जिनके लिए सीमाशुल्क भुगतान सुविधाएं, मंजूर की गई हैं ?

दूसरे, दस्तकारी इंजीनियरी का सामान, दवासाजी का सामान इत्यादि को छोड़कर निर्यात के लिए ऐसा कौन सा सामान है जिसके लिए गुजरात निर्यात निगम सहमत हो गया है ? क्या वह हमें निर्यात और आयात की ऐसो सभी वस्तुओं की सूची दे सकते हैं जिनके लिए सहमति हो रही हो? मैं तो यह कहना चाहता हूं कि काम्पलैक्स में माल आयात और निर्यान करने की सुविधायें प्रदान की जानी चाहिएं और न केवल निर्यात करने की सुविधायें ही।

Shri Purushottam Kaushik : As far as the question to supply the list of articles is concerend I have to say that this information is not available with me at present. In order to supply the list of export items, I would require notice. I shall also consider the point regarding import cargo.

प्रो० पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने कहा है कि लागत लगभग 47,000 रुपए लगेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि अहमदाबाद सिविल हवाई अड्डा को जोकि इस समय बैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, एक पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में परिवर्तित करने के बारे में पहले ही एक प्रस्ताव है ? इस के अलावा अहमदाबाद सिविल हवाई अड्डे पर नई एयर टर्मिनल बिल्डिंग और काम्पलैक्स पर निर्माण कार्य पहले हो आरम्भ हो चुका है । इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह 47,000 रुपए की लागत नए काम्पलैक्स की कुल लागत का भाग है या कि इसे फिर गिरा दिया जाएगा और अहमदाबाद हवाई अड्डे पर प्रस्तावित नए भवन में कारगों काम्पलैक्स बनाया जाएगा ? यह शीघ्र से शीघ्र कब पूरी तरह से बन कर तैयार हो जाएगा ? वहां ऐसे काम का आरम्भ कही दिखाई नहीं पड़ता। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह अगस्त में तैयार हो जाएगा। क्या वह इतने आशावादी हैं ?

Shri Purushottam Kaushik : As I have already stated, as far as the question of providing facilities by the cargo complex is concerned, Gujarat Export Corporation has allotted a piece of land for that out of land belonging to the present Terminal and thereon building will be constructed by themselves at a cost of rupees 35 thousand. This will be ready by August and shall start operating. In order to initiate the work and complete it expeditiously a meeting was arranged with the Additional Secretary of Finance Ministry on 13-4-1977. We wish this work to be completed expeditiously and the building ready by August so that the difficulties being mentioned by him may be removed and export steped up.

जम्मू हवाई अड्डे का विस्तार

*492. **डा० कर्ण सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू हवाई अड्डे को जेट विमानों की उड़ानों के योग्य बनाने के उद्देश्य से उसका विस्तार करने के काम में असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b). In 1971, Indian Airlines anticipated a traffic growth that would make Boeing 737 operations between Delhi and Jammu economically viable by 1974-75. However, on the basis of a review made by Indian Airlines in 1974 it was found that anticipated traffic growth did not materialise. Added to this came the unexpected steep increase in the pirce of aviation fuel and Indian Airlines found that B.737 operations to Jammu would result in a substantial loss. They have, therefore, deferred their plans to operate B.737 services to Jammu for the present and extension of the Jammu airport has been postponed.

Dr. Karan Singh : My point of objection is that the decision taken regarding Jammu Airport has been withdrawn. You know that Jammu and Kashmir State has a unique position and this is the only State in our country where State headquarters remain for six months in Srinagar and for six months in Jammu. We are happy that Srinagar Airport takes jet planes and thus I wanted to know why Srinagar airport should not be made an international airport ? It should become an international airport but for the exetension of airport of Jammu which is a State headquarter for six months and where thousands of pilgrims come from all parts of the country and from abroad to visit the holy shrine of Vaishnew Devi the Indian Airlines had made a survey and found that anticipated traffic growth did not materialise. Thus I would like to know that when a decision to extend the airport had already been taken why it has been rescinded ? It has been told now that Indian Airlines had reviewed the case afresh in 1975 and 1976 but I think that the airport should have been extended by then. I feel that Jammu is being discriminated against and I condemn it strongly and hope that the honourable Minister will reconsider it keeping this fact in view that Jammu is a State headquarter for six months and materialise it.

Shri Purushottam Kaushik : I would like to submit humbly that if at all there has been any discrimination then the present Government is not responsible for that but that Government of which Shri Karan Singh was a Minister. In 1972 Shri Karan Singh was Minister of this Ministry when this decision was taken. In 1974-75 when he left this Ministry then after reviewing the position the Director General, D.G.C.A. found that the anticipated traffic growth did not materialise. Thus he took a decision on that basis to defer the plan.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to bring to your kind notice that only eight to ten persons travel between Delhi and Jammu. Between Chandigarh and Jammu only two or three persons travel. Persons varying from thirtyfive to forty travel between Jammu and Srinagar. Two small aeroplanes are operating on this route. One operates between Delhi and Srinagar *via* Chandigarh and Jammu and the other between Jammu and Srinagar. There is sufficient traffic between Jammu and Srinagar but the traffic between Delhi and Jammu is very low. This is the reason why this decision regarding the extension of Jammu airport has been taken. (**Interruptions**) This decision has been taken on this basis of a report.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : May I know the extent of traffic for Raipur (**Interruptions**). Dr. Karan Singh has not done anything for his home town but you have done though you came into power only six months back.

Shri Purushottam Kaushik : A survey is being conducted on that route. It is running at a loss of Rs. 27 23 lakhs. With the operation of Boeings this loss will further increase to one crore sixty five lakhs and fifty five thousnds. Under these circumstances, I don't think it is possible to implement this scheme immediately.

अल्प सचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Shifting of Military Pay and Accounts Office from Mathura to Nasik Road

S.N.Q. 19. Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government propose to shift the Military Pay and Accounts Office, which has been functioning in Mathura for the last 40 years, to Nasik Road ;

(b) the number of employees working in this Office and the arrangements made for providing housing facilities to them in Nasik Road ; and

(c) the expenditure likely to be incurred on the shifting of this Office from Mathura to Nasik Road ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां, श्रीमन ।

(ख) दिनांक 1–7–1977 को कर्मचारियों की संख्या 717 थी । नई नासिक रिहायशी योजना के अन्तर्गत नगर एवं औद्योगिक विकास निगम, महाराष्ट्र द्वारा निर्माणाधीन आवासीय मकानों को ख़रीद कर कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) कार्यालय रिकार्डों तथा फर्नीचर को ले जाने और कर्मचारियों को दिये जाने वाले यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और अन्य सुविधाओं पर होने वाले व्यय का अनुमान 17 लाख रुपये है ।

कार्यालय तथा रिहायशी मकानों पर संभवतः होने वाला व्यय क्रमशः 50 लाख रुपये और 129 लाख रुपये होगा ।

Shri Ramapati Singh : What is the mother tongue of the employees working in this office.

श्री एच० एम० पटेल : लगभग 600 कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों के और 300 मथुरा के हैं ।

Shri Ramapati Singh : I asked what is the mother tongue of the employees of this office ? Educational facilities were provided to the children of the employees in Mathura where this office is. Now when this office is shifted, the families of these employees will be deprived ofsome facilities. I would like to know whether Government are making any arrangements to provide these facilities ?

Whether it is proper for the Government to spend such a huge amount during this financial crisis. I would further like to know whether on shifting the office from Mathura the local people will not be deprived of employment opportunities ?

श्री एच० एम० पटेल : उनके बच्चों की शिक्षा के लिए नासिक में व्यवस्था की जाएगी । व्यय की राशि उचित है, क्योंकि वेतन और लेखा कार्यालय का वहां जाना जरूरी है । वहां सम्बन्धित रेजिमेंट का डिपो है और इसके साथ ही वहां अभिलेख कार्यालय और इसके साथ वेतन और लेखा कार्यालय है । ये यूनिट के अंग हैं । और इनका एक स्थान पर होना आवश्यक है । इस कार्यालय को नासिक रोड ले जाने का निर्णय तो 1957 में लिया गया था । स्थान आदि की कठिनाई के कारण तोपखाना डिपो रेजिमेन्ट और तोपखाना अभिलेख कार्यालय 1966 में ले जाया गया । उस समय इसके साथ ही वेतन लेखा कार्यालय भी जाना था, परन्तु इस कार्यालय के लिए निर्धारित स्थान पर किसी अन्य कार्यालय को ले जाया गया था । अतः उसके लिए एक इमारत बनाने का निर्णय लिया गया और तब तक वेतन लेखा कार्यालय को मथुरा में रखना पड़ा । वित्तीय संकट और अन्य कारणों से निर्माण कार्य में देरी हुई । अन्त में यह निर्णय किया गया कि निर्माण-कार्य महाराष्ट्र सरकार के निर्माण निगम को सौंप दिया जाए । इसके तैयार होने पर यह कार्यालय वहां चला जाएगा । इस कार्यालय को वहां ले जाने का निर्णय गत वर्ष लिया गया था ।

Shri Mani Ram Bagri : Mathura is the place where Lord Krishna was born in jail and Krishna killed Kansa. Similar is the case with the Janata Party. The election result of Janata Party also came first from Mathura. It symbolizes truth and non-violence. It also symbolizes triumph of truth over untruth. This Mathura symbolizes India. The fault of Mathura is this that Janata Party took birth there in jail. All seats there went to Janata Party. Shri Morarji Desai became the Prime Minister and it is also the fault of Mathura that it gave refuge to Nanaji Deshmukh and Shri Atal Behari Vajpayee during the emergency. All are ruining Mathura.

Patel Saheb is not aware. 800 persons are being uprooted. The record office can be easily shifted here and it involves expenditure of Rs. 2 lakhs only and shifting of this office from there will involve an expenditure of Rs. 4 crores. The offices of the Central Government were first in Mathura and Meerut etc. They have been shifted from there. This is the third office which is being shifted from here. Record office was previously here and there was no military office. The Honourable Minister did not state true facts. I never spoke in the House as per the order of the Prime Minister on any matter. I have been tolerating. But I am a representative of that place and now we are ruining this place. This decision was taken by Congress Government. I am sorry, why Shri Morarji Desai, Shri Atal Behari Vajpayee, Shri Charan Singh and Shri Raj Narain, who are devotees of God and symbols of Indian culture and civilization, are silent ? I am not angry with Patel Saheb because he has no knowledge about this.

There are lesser number of complaints from Mathura office of Army Headquarter than other offices. It is clear from the letters of commendation received by it continuously for the last several years.

श्री मोरारजी देसाई : आपने मथुरा के बारे में बहुत कहा । पहले आप अपना प्रश्न पूछें । भगवान श्रीकृष्ण के कारण मथुरा का विशेष महत्व है । मथुरा का महत्व इस कारण भी है कि मथुरा से कृष्ण को द्वारका भेज दिया था ।

Shri Mani Ram Bagri : It is true that Lord Krishna had gone to Dwarka from Mathura not to ruin Mathura but to enhance its respect in the world and you are talking of ruining Mathura. It is Kansism.

My question is whether Government and Shri Morarji Desai will give an assurance that this office will not be shifted from Mathura and the Record office will be brought back to Mathura to give importance to Mathura.

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, सदस्य ने अभिलेख कार्यालय को मथुरा वापस लाने के बारे में प्रश्न उठाया है । निश्चय ही यह कार्यालय मथुरा वापस लाया जा सकता है । परन्तु, फिर तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें वहां से सेना रेजिमेंट भी वापस लानी होगी ।

Shri Mani Ram Bagri : Army regiment was not there previously.

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य का कहना है कि ऐसा नहीं है । परन्तु सेना मुख्यालय के अभिलेख से मुझे यह ज्ञात हुआ है कि रेजिमेन्ट वहां थी और इसलिए मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता ।

अब माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि अभिलेख कार्यालय को मथुरा वापस लाया जाए । मान लीजिए कि हम यह निर्णय कर लेते हैं कि हम अभिलेख कार्यालय मथुरा वापस लाएं तो इस पर खर्च वेतन और लेखा कार्यालय को नासिक रोड ले जाने पर होने वाले खर्च से अधिक होगा । इसके अलावा मुख्य उद्देश्य पूरा नहीं होगा । सेना मुख्यालय की कठिनाई ज्यों की त्यों बनी रहेगी । अत: अभिलेख कार्यालय नासिक रोड से मथुरा ले जाना संभव नहीं है । उनके विचार से यह बहुत ही जरूरी है कि वेतन और लेखा कार्यालय नासिक रोड यथाशीघ्र लाया जाए ।

परन्तु जैसा कि मैंने बताया आधे लोग या आधे से भी कम शीघ्र ही न जाकर अगले वर्ष के मध्य में जाएंगे और शेष आधे लोग एक साल बाद, अर्थात् 1979 में जाएंगे ।

Shri Mani Ram Bagri : My question has not been fully answered. I had asked whether Government propose to shift this office from Mathura. The matter has been discussed with the Prime Minister, and Shri Charan Singh. I would like to know whether it is a Cabinet decision ?

Previously it was not decided by the Cabinet and whether it will be decided by the Cabinet now ? Whether Sh.. Morarji Bhai will reconsider it ? Mathura is the birthplace of Lord Krishna. It is not a simple question.

Prime Minister (Shri Morarji Desai) : I would like to tell him that every matter is not decided by the Cabinet. Since the honourable Member belongs to Mathura, for him the importance of Mathura is the greatest over the entire country. I can easily understand it....

Shri Mani Ram Bagri : You had sent me.

Shri Morarji Desai : Certainly, I sent you there, but not for the fact that you attach so much importance to Mathura.

The question is whether it is in the interest of all or not. I assure you that it will be taken into account.

Shri Ramji Lal Suman : It is an important question and not only those 800 persons but those 800 families are facing this problem. First I would like to present a few facts before the honourable Minister and then ask questions.

Mr. Dhir is the highest officer of C.D.A. I think that the honourable Minister of Finance is doing at the instance of C.D.A. I agree that C.D.A. would have ever recommended but C.D.A. had agreed at the talks held between C.D.A. and its representatives on 15-6-1977 that the Pay and Accounts office in Mathura should never be shifted at any cost. The facts are with me and I would like to read them out :—

"सी० डी० ए० और संयुक्त सी० डी० ए० ने कर्मचारी-प्रतिनिधियों की बात धैर्य के साथ सुनी और यह महसूस किया कि उपरोक्त पैरा 4 में कही गयीं बातों पर कर्मचारियों के विचार सही हैं।"

It means that they do not accept the order and they themselves agree that the Pay and Accounts office in Mathura should not be shifted from there.

So far as the question of the shifting of offices is concerned, regionalism got encouragement during the emergency, and I have no hesitation in stating this that ten offices of North India have been shifted, which includes P.C.T.C. office shifted to Bangalore from Alwar and similarly other offices have been shifted.

I would like to point out that Mr. Dhir himself agrees to the fact that it is not proper to shift this office and the honourable Minister of Finance should have knowledge that the Pay and Accounts office of A.R.C.T. is in Poona while its record office is in Aurangabad. I have, therefore, to say that both the offices can remain together. On transfer the children of the persons going there will face difficulty due to the fact that the medium of instruction is Marathi there. (**Interruption**)....

I would like to put a question when there is a shortage of 400 persons in its staff and despite it, their work is satisfactory then why they are being transferred from there ?

श्री के० एस० चावड़ा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियमानुसार यदि प्रश्न 150 शब्दों से अधिक है तो इसे गृहीत नहीं किया जाता है। जबकि यह प्रश्न 150 शब्दों से अधिक का हैं तब उपाध्यक्ष महोदय अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु मुझे आशा है कि माननीय सदस्य आपके कथन का पालन करेंगे। सदस्य संयम रख सकते हैं।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि रक्षा लेखा नियंत्रक (सी० डी० ए०) ने इस आशय का वक्तव्य दिया है कि वेतन और लेखा कार्यालय मथुरा में रह

सकता है। मुझे निश्चित जानकारी है कि रक्षा लेखा नियंत्रक ने इस तरह की कोई बात नहीं कही है। यह उनका विचार नहीं है। सेना मुख्यालय तथा रक्षा लेखा का विचार यह है कि वेतन और लेखा कार्यालय अभिलेख कार्यालय तथा तोपखाना केन्द्र सहित नासिक जाना चाहिए। मेरी समझ में आप यही चाहते हैं।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या यह सच नहीं है कि ये दोनों कार्यालय 1946 से सुचारु रूप से कार्य कर रहे हैं? वेतन और लेखा कार्यालय तथा अभिलेख कार्यालय दोनों को एक साथ नासिक ले जाने की इस नीति को अपनाने में क्या सुविधा होगी जबकि ऐसे अन्य का लिय भी हैं जो विभिन्न स्थानों पर रह सकते हैं? यदि इस कार्यालय ने सी० जी० एण्ड डी० ए० से प्रशंसा प्राप्त कर ली है, तो इसमें क्या सुविधा होगी? इतने सारे लोगों को स्थानान्तरित करने में क्या सुविधा होगी जिससे उनकी कार्यकुशलता और कार्य भी प्रभावित होगा। उनके बच्चों की शिक्षा और उनके आवास की वहां कोई सुविधायें नहीं हैं।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य को गलत जानकारी दी गयी है कि अन्य रेजिमेंटों के वेतन और लेखा कार्यालय अलग हैं। हर जगह वेतन और लेखा कार्यालय अभिलेख कार्यालय तथा सम्बन्धित रेजिमेंट के साथ हैं। जहां तक शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं का सम्बन्ध है, मेरे पूर्व कथन के मुताबिक लोगों के वहां जाने पर उनका ध्यान रखा जाएगा।

Shri Avdesh Pratap Singh : On the remarks raed out by the honourable Member to the effect that the controller of Defence Accounts and Joint Controller of Defence Accounts agree to it, the honourable Minister of Finance has just stated that definitely it is not so. Thus he has challenged the honourable Member. I want that the honourable Minister should prove it on what basis he is saying so? He must have some proof or basis for this.

श्री एच० एम० पटेल : एक अधिकारी से, जो यहीं पर हैं, मुझे अभी एक टिप्पण मिला है जिसमें उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने वेतन तथा लेखा कार्यालय के कर्मचारियों को बताया है कि उन्हें मथुरा में रहना चाहिए।

Dr. Karan Singh : There is no doubt that Mathura has got a special importance in the culture and history of our country. Not only in our country but all over the world people show respect to Mathura because of Lord Krishna. The Prime Minister will deal with this matter, if any office is being shifted from there, I would like to know from the Minister of Finance whether the Minister of Tourism, who is here, will chalk out a comprehensive scheme for Mathura so that the people of the country and abroad visit Mathura and pay their tribute and people of Mathura are also benefited.

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

वनस्पति उद्योग से बिचौलियों को समाप्त करना

***487. श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग से बिचौलियों को समाप्त करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय किया है;

(ख) क्या ये बिचौलिये चोर बाजारी करते रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस प्रकार का कोई भी निर्णय सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

(ख) इस समय वनस्पति घी के उत्पादन, वितरण तथा मूल्य निर्धारण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी वनस्पति उद्योग ने मूल्य-निर्धारण तथा वितरण के बारे में स्वेच्छा से संयम बरतना स्वीकार किया है। साथ ही उन्होंने स्वीकृत मूल्य से अधिक मूल्य लेने वाले किसी भी वितरक के विरुद्ध कार्रवाई करना भी स्वीकार किया है।

(ग) व (घ). प्रश्न नहीं उठते।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण

***489. श्री डी० बी० चन्द्रगौड़ा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) गत दो वर्षों में इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के पुनर्गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

प्राधिकरण ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास के अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर

(i) ऑपरेशनल क्षेत्रों एवं उपकरणों,

(ii) यात्री सुविधा क्षेत्रों,

(iii) कार्गो हैंडलिंग स्थानों और

(iv) अन्य सेवाओं

में सुधार किये हैं। ये सुधार जन साधारण, यातायात की मात्रा और साधनों की उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए उनके अनुरूप क्रमिक रूप से किये गये हैं।

(ख) प्राधिकरण ने 1975–76 और 1976–77 के दौरान 2533.24 लाख रुपये की कुल राशि खर्च की। किन्तु इसी अवधि के दौरान प्राधिकरण को केन्द्रीय सरकार से 147 लाख रुपये की बजटगत सहायता मिली जो 1976–77 में मंजूर की गयी थी। 1975–76 के दौरान प्राधिकरण को कोई बजटगत सहायता मंजूर नहीं की गयी थी।

आसाम में हथकरघा उद्योग का विकास

*493. **श्रीमती रेणुका देवी बड़कटकी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में हथकरघा उद्योग के विकास के लिये 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि मंजूर की गई थी; और

(ख) आसाम सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं और कितने व्यक्तियों को इनसे लाभ हुआ है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ख). भारत सरकार ने आसाम के लिए दो विशेष परियोजनाएं मंजूर की हैं जिनमें एक गहन विकास परियोजना है जिसमें 10,000 करघे कवर होंगे और एक निर्यात उत्पादन परियोजना है जिसमें 1000 करघे होंगे। गहन विकास परियोजना असाम के कामरूप जिले में नवबाड़ी में 1.85 करोड़ रु० के कुल वित्तीय परिव्यय से लगाई गई है जिसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा मिल कर वहन किया गया है। इस राशि में से 15 लाख रु० (11.25 लाख रु० ऋण के रूप में तथा 3.75 लाख रु० अनुदान के रूप में) की पहली किस्त अग्रिम भुगतान के तौर पर 1976–77 में राज्य सरकार को दी जा चुकी है। इस सम्बन्ध में और राशियां राज्य सरकार द्वारा धन का उपयोग किये जाने का प्रमाणपत्र पेश किये जाने के बाद दी जाएंगी।

2. निर्यात उत्पादन परियोजना में प्रधानतः रेशमी हथकरघा माल आता है और यह कामरूप जिले के सबलकुची तथा अपरहाली क्षेत्रों में स्थित है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 40 लाख रु० है जिसे पूर्णतः भारत सरकार वहन करेगी। भारत सरकार ने 10 लाख रु० (7.5 लाख रु० ऋण तथा 2.5 लाख रु० अनुदान के रूप में) की पहली किस्त 1976–77 में राज्य सरकार को दे दी है। आसाम सरकार से उपयोग-प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और धन दिया जाएगा।

3. इस प्रकार 25 लाख रु० (गहन विकास योजना के लिए 15 लाख रु० तथा निर्यात उत्पादन परियोजना के लिए 10 लाख रु०) की कुल राशि भारत सरकार ने वर्ष 1976–77 में आसाम सरकार के लिए मंजूर कर दी है।

4. भारत सरकार के हथकरघा सहकारी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1976–77 के लिए आसाम सरकार को उसकी शीर्ष विपणन संस्था को अंशपूंजी सहायता देने के लिए 5 लाख रु० दिये गये हैं।

5. 1976–77 में केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये धन के अलावा राज्य योजना में गहन विकास परियोजना के लिए 7 लाख रु० की व्यवस्था की गई थी। इसके अतिरिक्त आसाम के बुनकरों के लिए डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा 2.40 लाख रु० मंजूर किये गये हैं। 1977–78 की राज्य योजना में 62 लाख रु० (34.50 लाख रु० सहकारी क्षेत्र में तथा 27.50 लाख रु० सहकारी क्षेत्र से बाहर) की कुल व्यवस्था की जा रही है।

6. उपरोक्त गहन विकास परियोजना तथा निर्यात उत्पादन परियोजना के अतिरिक्त आसाम सरकार की राज्य भर में फैले हुए बुनकरों के लिए बैंक वित्त सम्बन्धी डी०आर०आई० योजना है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के लिये 5,000 आवेदन पत्र राष्ट्रीयकृत बैंकों को भेजें और अब तक 652 बुनकर इस योजना के अधीन लाभ उठा चुके हैं। उपरोक्त गहन विकास परियोजना और निर्यात उत्पादन योजना के मामले में राज्य सरकार ने डी०आर०आई० योजना के अधीन ऋण प्राप्त करने के लिए 1000 बुनकर प्रायोजित किये और अब तक इस योजना के अन्तर्गत 255 बुनकर ऋण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

'विस्कोस फिलामेन्ट यार्न' का वितरण

*494. **श्री के० रामामूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा बुनकरों को बिना किसी बिचौलिया एजेंसियों के विस्कोस फिलामेंट यार्न का वितरण सुनिश्चित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समय विस्कोस फिलामेंट यार्न के कुल उत्पादन के 60 प्रतिशत भाग के स्थान पर उसके सम्पूर्ण उत्पादन की वितरण के लिए अपने हाथ में लेने का हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). सीधे बुनकरों को विस्कोस फिलामेंट यार्न के वितरण की वर्तमान प्रणाली कात्तिनों तथा बुनकरों के बीच हुए स्वैच्छिक करार के माध्यम से है। इस करार के अन्तर्गत कताई एककों के उत्पादन का एक भाग समान उचित कीमतों पर सीधे बुनकरों को वितरित कर दिया जाता हैं और शेष भाग कात्तिनों द्वारा अपने व्यापारियों के माध्यम से बाजार में बेच दिया जाता हैं।

विस्कोस फिलामेंट यार्न के पूरे उत्पादन को वितरण के लिए अपने हाथ में लेने की फिलहाल कोई प्रास्थापना नहीं हैं। सरकार कमी को पूरा करने के लिए यार्न की सप्लाई को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। वर्तमान करार के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा नए स्वैच्छिक करार के निरूपण के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं

रूसी ऋण का उपयोग न किया जाना

*495. **श्री बसन्त साठे:** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में "सोवियत लोन लाईकूली टू रिमेन अनयुटिलाईजड" (रूसी ऋण का उपयोग न किया जाना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई विभिन्न टिप्पणियों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोवियत संघ से मिलने वाली सभी प्रकार की सहायता विशिष्ट परियोजनाओं से जुड़ी होती है और सहायता का उपयोग विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति पर निर्भर करता है, सरकार सोवियत संघ द्वारा गत वर्षों में दिए गए ऋणों के उपयोग की गति से प्रायः सन्तुष्ट हैं और उसके विचार में हाल ही में सोवियत संघ द्वारा दिए गए 25 करोड़ रूबल के ऋण की राशि भी पहले से स्वीकृत परियोजनाओं या भविष्य में स्वीकार की जाने वाली परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल कर ली जायेगी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दिया गया ऋण

*496. **श्री पी० वी० नरसिम्हाराव :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि प्रयोजनों के लिए, प्रति वर्ष, कुल कितनी धनराशि के ऋण दिये ;

(ख) बैंकों द्वारा और सब प्रयोजनों के लिए, वर्षवार, दिये गये कुछ ऋणों की तुलना में उक्त धनराशि की प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) ऋण प्राप्तकर्त्ताओं की साख क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा यदि कोई कसौटी अपनाई जा रही है, तो वह क्या है ; और क्या उक्त कसौटी सब बैंकों के लिए समान है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) और (ख).

सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दिये गये ऋण और कुल ऋण से कृषि ऋणों की प्रतिशतता के विषय में, 1974, 1975 और 1976 क दिसम्बर,

मासों के अन्तिम शुक्रवारों की स्थिति प्रदर्शित करने वाला बैंकसमूह बार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

बैंक समूह	दिसम्बर 1974		दिसम्बर 1975		दिसम्बर 1976	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
क. भारतीय स्टट बैंक समूह						
प्रत्यक्ष वित्त	666458	155.77	948660	228.07	1473991	326.08
अप्रत्यक्ष वित्त	117063	73.48	136837	85.84	209993	106.64
कुल (क)	783521	229.25	1085497	313.91	1683984	432.72
क. की समूह द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों से प्रतिशतता		10.3%		10.8%		11.8%
ख. 14 राष्ट्रीयकृत बैंक						
प्रत्यक्ष वित्त	1253405	322.55	1742968	430.42	2434287	589.90
अप्रत्यक्ष वित्त	176472	153.78	204454	192.57	282599	206.60
कुल (ख)	1429877	476.33	1947422	622.99	2716886	796.50
(ख) की समूह द्वारा दिये गये दिये गये कुल अग्रिमों से प्रतिशतता	10.7%		11.2%		11.1%	
(क) और (ख) की सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिमों से प्रतिशतता	10.6%		12.5%		11.3%	

(ग). कृषि सम्बन्धी ऋण प्रदान करते समय राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, मुख्य रूप से जिस परियोजना के लिए ऋण दिया जाना है, उसकी ऋण क्षमता पर बल देते हैं। यदि परियोजना अर्धक्षम है और वह पर्याप्त बचत दिखाकर ऋण की अदायगी करने की स्थिति में है तो बैंक प्रतिभूति लिए बिना ही इसे ऋणक्षम समझता है ।

उत्पादन प्रयोजनों (फसल ऋण) के लिए अल्पावधि ऋण, जोत-क्षेत्र के विस्तार तथा फसल विशष के लिये निर्धारित वित्त की आवश्यकता के आधार पर ऋण प्रदान किये जाते हैं। मध्यावधि ऋणों का सम्बन्ध जोत-क्षेत्र के विस्तार के बजाय प्रस्तावित निवेश से मिलने वाली सम्भावित आय से होता है ।

छोटे और अर्धक्षमता की सम्भावना वाले किसानों को ऋण देने पर भी बल दिया जाता है ।

Value of Smuggled Goods seized during Emergency

*497. **Shri Meetha Lal Patel** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the details in regard to smuggled goods seized by the Custom officials during the Emergency ;

(b) whether these seized goods were again exported and if so, the money earned as a result thereof ;

(c) if not, whether Government propose to export them ; and

(d) the present estimated value of the seized goods ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (d). Smuggled goods consisting mainly of gold, synthetic fabrics, watches, spices and diamonds were seized by Customs officials during the emergency. The estimated value of these seized goods is about Rs. 64 crores (including the value of vehicles and conveyances seized).

(b) and (c). The goods seized during the period of emergency have not been exported. However, the question of exporting some of the items is under examination.

वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की ब्याज दर

*498. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ब्याज दर में की गई कमी के पश्चात् वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की ब्याज दर कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मई, 1977 में बैंक ऋणों पर ब्याज की दर में आम कमी जैसी कोई घोषणा नहीं की गई थी किन्तु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी गई थी कि दीर्घावधिक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता की दृष्टि से; देश में पूंजीगत निवेश के वास्ते

तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए सावधिक ऋणों पर (जहां लागू हो वहां ब्याज कर सहित) 12.5 प्रतिशत से अनधिक दर से ब्याज लें। इसके पहिले रिजर्व बैंक ने ऐसे ऋणों पर 3 वर्ष से अधिक किन्तु 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए 15.00 प्रतिशत और सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 14 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूलने को कहा था ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बकों से यहभी कहा है कि अपनी जमाओं पर ब्याज की लागत में हुई बचत का लाभ ऋण लेने वाले अपने ग्राहकों को, विशेष रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दें । ब्याज की सम्भावित बचतों का मूल्यांकन करने में कुछ समय लगना जरूरी है क्योंकि बचत बैंक जमाओं पर ब्याज की दरों में किये गये परिवर्तन 1 जुलाई, 1977 से प्रभावी हुए हैं जो कि मीयादी जमाओं पर के ब्याज में हुए परिवर्तन 1 जून, 1977 से प्रभावी हुए हैं और केवल नयी जमाओं और नवीकरणों पर ही लागू होते हैं ।

सरकारी खरीद में सरकारी क्षेत्र को मूल्यों में प्राथमिकता

*499. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी खरीद में सरकारी क्षेत्र को दी गयी मूल्य प्राथमिकता समाप्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या पिछली सरकार ने इस नीति के विरोध में गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त बहुत से अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए जनवरी, 1977 में इस नीति का पुनर्विलोकन किया था और मूल्यों में प्राथमिकता दी और वर्षों तक जारी रखने का निर्णय किया था ; और

(ग) यदि हां, तो नया निर्णय लेने के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां, सरकार ने सरकारी उद्यमों को दी गयी मूल्य अधिमान्यता वापस लेने का निर्णय किया है ।

(ख) निवर्तमान सरकार ने सरकारी उद्यमों को दी गई 10 प्रतिशत तक की मूल्य अधिमान्यता को आगे चालू रखने के प्रश्न पर जनवरी, 1977 में विचार किया था और यह निर्णय किया गया था कि तत्सम्बन्धी नीति में अगले दो वर्ष तक कोई परिवर्तन न किया जाये और उसके बाद इस मामले पर पुनर्विचार किया जाये ।

(ग) सरकार द्वारा इस मामले पर सभी पहलुओं से जून, 1977 में पुनर्विचार किया गया जिसमें यह महसूस किया गया कि हाल ही के वर्षों में इन उद्यमों के कार्य-निष्पादन और विशेषकर संस्थापित क्षमता के उपयोग में सुधार हुआ है । इनमें से अधिकांश सरकारी उद्यम अब निजी क्षत्र के यूनिटों के साथ भी मुकाबला करने की स्थिति में पहुंच गये हैं और वे अपने टेण्डरों के बलबूते पर ही ठेके प्राप्त कर सकते हैं । इसके अलावा

सरकारी उद्यमों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए मूल्य अधिमान्यता की योजना एक छिपी हुई राज सहायता ही होती है और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से दी गयी राजसहायता उनकी अक्षमता पर पर्दा डालती है और इससे सुधारात्मक कार्रवाई करने में विलम्ब हो जाता है। अतः मूल्य अधिमान्यता की सुविधा वापस लेने का निर्णय किया गया ।

आसाम राज्य सहकारी तथा उपभोक्ता संघ द्वारा तोरिये के तेल की बिक्री

*500. **श्री निहार लास्कर** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि राज्य में तेल की अत्यधिक कमी तथा इसके परिणामस्वरूप सरसों के तेल के बढ़े हुए ऊंचे मूल्यों की स्थिति में कमी लाने हेतु आसाम राज्य को आबंटित किये गये तेल की बहुत बड़ी मात्रा आसाम राज्य सहकारी तथा उपभोक्ता संघ ने कलकत्ते में बेची है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात किया गया तोरिये का 2000 मीटरी टन तेल 'स्टेटफैड' के माध्यम से वितरत करने के लिए आवंटित किया था ;

(ग) क्या 'स्टेटफैड' ने केवल 400 मीटरी टन तेल उठाया और कहा जाता है कि शेष मात्रा को 6400 रु० प्रति टन के विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर कलकत्ता में बेचा ;

(घ) क्या इस सौदे में कुछ प्रभावशाली व्यक्ति अन्तर्गत हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार उन्हें तोरिये का 2000 मीटरी टन आयातित तेल आवंटित किया गया । इस तेल को उठाने के लिए असम सरकार द्वारा 'स्टेटफड' को नामित नहीं किया गया था ।

(ग) राज्य सरकार ने अब तक प्राइवेट पार्टियों की एजेंसी के माध्यम से लगभग 812 मीटरी टन तेल उठाया है, जिसमें से 500 मीटरी टन से अधिक तेल असम में पहुंच चुका है । किसी भी पार्टी को कलकत्ता में इस तेल को बेचने की अनुमति नहीं दी गई थी ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते हैं ।

लेखा के लेखा परीक्षा से पृथक होने के परिणामस्वरूप राज्यों को स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें

*501. **श्री के० ए० राजन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संशोधन अधिनियम, 1976 के अनुसार लेखा को लेखा परीक्षा से पृथक कर दिया ह ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों को स्थानान्तरित किये जाने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 10 के परन्तुक के अनुसार, पेंशनों के लेखाकरण को छोड़कर, केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों में लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया है । दिल्ली प्रशासन में भी लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग कर दिया गया है । किसी भी राज्य में लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अभी तक अलग नहीं किया गया है ।

(ख) राज्यों में लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग किये जाने की स्थिति में ही लेखापरीक्षा विभाग से राज्यों को कार्मिकों के स्थानान्तरण का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

लेखाओं को लेखा-परीक्षा से अलग करने के सम्बन्ध में कुछ राज्यों से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है । कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी शर्तों के बारे में, इस स्तर पर, किसी भी नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

Request from Government of Gujarat for Loan to Housing Finance Society of Gujarat

502. **Shri Dharamsinhbhai Patel** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the Housing Finance Society of Gujarat is in great difficulty due to large amount of loans received by it from Life Insurance Corporation of India and whether Government of Gujarat have made any demand in this regard and is so, when and the amount of loans asked for ;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government in this regard ; and

(c) the amount of loan asked for by Gujarat Government for this Society for the period prior to and after June 1975 ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (b). Presumably, the Honourable Member is referring to the difficulty experienced by the Housing Finance Society of Gujarat due to inadequacy of loans sanctioned to it by the LIC. Recently, a reference has been received from the Government of Gujarat for grant of a loan of Rs. 20 crores during the current year from the LIC to the Society. The matter is under consideration of Government.;

(c) The Society had directly approached LIC for loans in the previous years. The particulars of loans asked for by it upto and after 30-6-1975 are given below :

(Rs. in crores)

Upto 30-6-1975	118
After 30-6-1975	30
TOTAL	148

राज्य व्यापार निगम द्वारा ब्राजील से सोयाबीन के तेल की खरीद

***503. श्री अनन्त दवे :**
श्री शंकर सिंह जी बाघेला :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने ब्राजील से 9500 मीटरी टन सोयाबीन का तेल खरीदा था जो 20 मई, 1977 को कांडला पत्तन पहुंचा था;

(ख) क्या कान्डला पत्तन पहुंचने पर सारा तेल दूषित पाया गया;

(ग) क्या सोयाबीन का यह दूषित तेल मानव उपयोग के लिये ठीक नहीं समझा गया;

(घ) इस दूषण के क्या कारण हैं तथा दूषित तेल को किस प्रकार निपटाया जा रहा है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां। जहाज 22 मई, 1977 को पहुंचा था।

(ख) तथा (ग). जी नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

***504. श्री पी० के० कोडियन :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख): हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए प्रोफेसर श्री एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। आशा है कि समिति लगभग तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

Export of Welding Electrodes/Equipments

3502. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which welding electrodes/equipments are exported and the value thereof in each case during the period 1975-76 and 1976-77 ; and

(b) whether welding electrodes are imported by India also and if so, the country-wise details thereof and the value thereof in Indian currency during the above period ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) :

(a)

1975-76	Value in Rs. lakhs Welding Electrodes/ Equipments
ARE	65.31
Malaysia	20.56
United Arab Emirates	11.22
Syria	8.81
Iran	7.59
U.S.A.	6.66
Thailand	5.19
Total including others	172.62

Country-wise exports for the year 1976-77 are not available. However, the total exports of Welding Electrodes/Equipments during 1976-77 were of the order of Rs. 191.0 lakhs.

(b) Yes, Sir. The details are given below :

Value in Rs. lakhs

Country	1975-76	1976-77 April-Feb. 1977
Austria	..	0.38
France	0.11	0.74
West Germany	3.69	4 27
Japan	8.06	6.39
Kuwait	..	2.01
Sweden	..	0.69
U.K.	7.27	5 06
U.S.A.	18.58	1.92
U.S.S.R.	2.80	0.33
Total including others	49.50	21.84

New Posts created in National Textile Corporation (DPR)

3593. **Shri R. D. Ram**: Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) the number of new posts created in National Textile Corporation (D.P.R.) during the past six months and the number of former employees appointed on them ;

(b) whether some officers of the N.T.C. (D.P.R.) were compelled to resign or removed from service ; and

(c) if so, their number and the reasons therefor ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) Following an assessment of the man-power requirements in the Head Offices and mills under National Textile Corporation (Delhi, Punjab and Rajasthan) Ltd. twenty four new posts were created in the Head Office of the Corporation and twenty eight in the eight mills being managed by it during the last six months. No former employees have been appointed against any of these posts.

(b) and (c). No officer of the National Textile Corporation (Delhi, Punjab and Rajasthan) Limited was compelled to resign. However, the services of four officers were terminated for reasons of inefficiency/doubtful integrity.

कोल्हापुर में हवाई अड्डा

3594. **श्री शंकर राव माने** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में बजट में महाराष्ट्र राज्य में कोल्हापुर स्थान पर एक हवाई अड्डे के निर्माण के लिये कोई बजट-व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे का निर्माण सम्भवत: कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) हवाई अड्डे का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

World Bank Aid for Chambal and Hoshangabad Regions, M.P.

3595. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :-

(a) the funds sanctioned by World Bank for Chambal and Hoshangabad regions in Madhya Pradesh under Aycut scheme during the financial years 1975-76 and 1976-77 separately;

(b) the amount proposed to be allocated in 1977-78 ;

(c) the names of the Tehsils in both the regions under Aycut scheme where work has not been taken in hand ; and

(d) whether in the second phase of the scheme work would be taken up in the Tehsils where it has not been taken up ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) An Agreement has been signed with the International Development Association, a soft lending affiliate of the World Bank, for a credit of $24 million for the Chambal Command Area of Madhya Pradesh. No agreement exists with World Bank Group for the development of Aycut schemes for Hoshangabad region.

2007 L S—3

While no funds flowed from the World Bank Group in 1975-76 for the Chambal Aycut project, reimbursement of Rs. 2.26 crores was secured for 1976-77.

(b) The Project Appraisal Report envisages an overall expenditure of about Rs. 13 crores for the year 1977-78.

(c) Work has been taken up in all the Tehsils of the Chambal Aycut Scheme.

(d) Does not arise.

स्थल पत्तन की स्थापना के लिये राजस्थान से अभ्यावेदन

3596. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान से सरकार को एक ऐसा अभ्यावेदन मिला है जिसमें उसने स्थल पत्तन को अपने राज्य में ऐसे स्थान पर बनाये जाने का दावा किया है जो दिल्ली से समीपस्थ हो; और

(ख) क्या स्थल पत्तन के लिये राजस्थान के दावे पर विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) शुष्क पत्तन के साथ स्थान सम्बन्धी प्रश्न विचाराधीन है।

House Rent Allowance to Employees of Posts and Telegraphs Working in Bokaro Steel City-B

3597. **Shri Jagdambi Prasad Yadav** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Chas and Bokaro Steel City (Dhanbad) are adjoining cities and they are dependent on each other ;

(b) whether the Central Government employees working in the Bokaro Steel City are getting house rent allowance whereas the Central Government Posts and Telegraphs employees working in Chas Bokaro Steel City-B are not getting this allowance ;

(c) if the answer to parts (a) and (b) above be in the affirmative whether Government are making arrangements for the payment of house rent allowance to the Posts and Telegraphs employees and other Central Government employees working in the city (Bokaro Steel City-B) in district Dhanbad ; and

(d) if so, by what time ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel) : (a) Chas and Bokaro Steel City (Dhanbad) lie in proximity to each other. In the absence of necessary details, which have been called for, it is not possible to say at this stage whether they are dependent on each other.

(b) Bokaro Steel City with a population of 94,007 as per 1971 census is classified as 'C' class for the purpose of payment of house rent allowance to the Central Government employees including P & T employees. Chas, however, has only a population of 13,152 as per 1971 census and is not classifiable for payment of house rent allowance to Central Government employees.

(c) and (d). The question of payment of house rent allowance to the P & T employees and other Central Government employees working in Bokaro Steel City-B will be considered after obtaining the necessary details regarding the dependency on and its actual distance from Bokaro Steel City from the Ministries/Departments concerned. In the absence of this information it is not possible to say at this stage whether the place qualifies for house rent allowance to the Central Government employees posted there.

Rise in the Price of Yarn

3598. **Dr. Ramji Singh :**
Shri P. Rajagopal Naidu :

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) since when the prices of yarn started going up before the imposition of emergency and the extent of increase registered in its prices during emergency and the reasons therefor ;

(b) the percentage of increase registered in the yarn prices during the rule of Janata Government after the emergency was revoked and the reasons therefor ;

(c) whether Government are determined to check the increase in yarn prices and when its prices are proposed to be brought down and by what percentage ; and

(d) whether Government are aware that on the one hand, the yarn prices are increasing and on the other hand, the prices of the cloth produced from this yarn are more or less same in the market as a result of which lakhs of weavers are being rendered jobless ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Prices of cotton yarn started moving up since the beginning of 1974. The extent of increase registered in cotton yarn price during the emergency was 32.9 per cent. The main reason for the price rise in yarn was the rise in the prices of cotton.

(b) The percentage increase registered in cotton yarn price since March, 1977 was of the order of 3·6 per cent till the week ending 18th June, 1977. The reasons for the increase were the operation of market forces of supply and demand and to some extent the rise in cotton prices.

(c) All possible steps are being taken to check the increase in yarn prices. Measures for arranging for bulk supply to apex institutions at ex-mill prices, and for opening of yarn depots by mills, if necessary, have already been initiated in this direction by having a dialogue with the representatives of the textile mills and State Government having large handloom concentrations. It is too early to say the exact percentage of reduction that will be affected through the above measures.

(d) The index number of wholesale prices indicates that cotton yarn price went up 3·6 per cent between March and June, 1977 as against an increase 12·5 per cent in handloom cloth prices (including powerloom cloth) during the same period.

राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रय-विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य निर्धारण और वितरण

3599. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा क्रय-विक्रय की गई वस्तुओं के मूल्य निर्धारण और वितरण के बारे में किसी समिति का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक की अध्यक्षता में एक कीमत निर्धारण समिति है जो वास्तविक प्रयोगताओं को, जिनमें पंजीयित निर्यातक भी शामिल हैं, मार्गीकृत मदों के वितरण के लिये बिक्री कीमत निर्धारित करती है। इस समिति में वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), उद्योग

मन्त्रालय, तकनीकी विकास महानिदेशालय, विकास आयुक्त (लघु उद्योग), इस्पात विभाग तथा वाणिज्य मन्त्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल हैं। सम्बन्धित मार्गीकरण अभिकरणों के प्रतिनिधि भी इस समिति के विचार-विमर्शों में सम्मिलित किये जाते हैं।

मिल ओनर्स एसोसिएशन का प्रस्ताव

3600. **श्री माधव राव सिंधिया :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मिल ओनर्स एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन मिला है जिसमें ऐसी सम्भावना व्यक्त की गई है कि एक राष्ट्रीय कपड़ा योजना के अन्तर्गत एक संयुक्त उद्देश्य प्राप्त के लिए मिल उद्योग, विकेन्द्रीकृत विद्युत-चालित करघे तथा हथकरघे मिलाकर काम कर सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव राष्ट्रीय कपड़ा योजना के अनुरूप है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). इंडियन काटन मिल फेडरेशन ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें राष्ट्रीय वस्त्र नीति के लिए सुझाव दिए गए हैं। ज्ञापन में दिए गए सुझावों में वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। एक व्यापक नीति निर्माणाधीन है जो वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों पर लागू होगी तथा उसमें फेडरेशन द्वारा दिए गए सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

एयर इंडिया के विमान चालक

3601. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि एयर इंडिया के दो वृद्ध विमान चालकों को 25 वर्ष विमान उड़ाने के बाद सेवा निवृत्त होना चाहते हैं, प्रबंधकों द्वारा उनकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती विमान उड़ाने के लिए मजबूर किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जी, नहीं। दोनों विमान-चालकों ने अपने त्यागपत्र एयर इंडिया के प्रबंधकवर्ग को अप्रैल, 1977 में दे दिए थे। उनमें से एक का त्यागपत्र, जिसकी 20 वर्ष की नौकरी हो चुकी थी, 25-5-1977 से स्वीकार कर लिया गया। दूसरे विमानचालक को, जिसकी नौकरी 31 वर्ष की हो चुकी थी, 12-7-1977 को सेवा-मुक्त किया जा सका। परन्तु, उसके अपने ही अनुरोध पर, उसे 31-8-1977 तक नौकरी में बने रहने की अनुमति दे दी गयी है, जिसके बाद वह अपनी विशेषाधिकार छुट्टी ले लेगा और उसे 15-11-1977 से सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा धनराशि भेजना

3602. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त तथा रजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने गत तीन वर्षों में धनराशि भेजी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत को कानूनी रूप से नियमित धनराशि भेजने के लिए उन्हें क्या प्रोत्साहन दिए जाते हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वर्ष 1973 से लेकर, विदेशों से भेजी गई रकमों के तुरन्त आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	(करोड़ रुपए)
1973 . .	396.11
1974	569.31
1975	1,053.76
1976	1,514.86

उपर्युक्त आंकड़े निर्यात से भिन्न कुल प्राप्तियों के हैं, जिनमें "विदेशों से भेजी जाने वाली रकमों" से सम्बद्ध चार शीर्षकों अर्थात (i) परिवार भरण-पोषण (ii) गैर-निकासियों की बचतें, (iii) प्रवासी अन्तरण और (iv) मनी आर्डर प्राप्तियों के अलावा हवाई कंपनियों, जहाज कम्पनियों बीमा, लाभांश, पर्यटन आदि की सभी प्राप्तियों के आंकड़े भी शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1976 में नमूने के तौर पर किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि विदेशों से भेजी जाने वाली गैर-सरकारी रकमों में काफी वृद्धि हुई है।

इन रकमों की वृद्धि में गैर-निवासी भारतीयों का बड़ा योगदान है और उन्हें प्रेरित करने के लिए जो प्रोत्साहन दिए गए हैं उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(i) विदेशों में रहने वाले भारतीयों को 1970 में रुपयों में गैर-निकासी (बाह्य) खाते खोलने की अनुमति दे दी गई थी । इन खातों में जमा रकम बिना किसी रुकावट के वापस भेजी जा सकती है और इन जमा रकमों से होने वाली आमदनी पर आयकर नहीं लगता इसमें विदेशी मुद्रा की जोखिम से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है।

(ii) पहली नवम्बर, 1975 से एक नई योजना शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रिकों या भारत मूल के व्यक्तियों को निर्दिष्ट करेंसियों में (फिलहाल केवल पौंड स्टर्लिग और अमरीकी डालर में) खाते खोलने की छूट है और इन खातों में जमा कराई गई रकम और उनके ब्याज की राशि खाताधारी को उसी करेंसी में वापस कर दी जाएगी

या उसके निदेशानुसार और कहीं अन्तरित कर दी जाएगी । इन खाताधारियों को गैर-निवासी (बाह्य) रुपया खातों के खाता धारियों की तरह अतिरिक्त सुविधायें भी उपलब्ध है।

(iii) विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा पूंजी लगाए जाने के अवसरों को उदार बनाया गया है । गैर-निवासी भारतीय या भारत मूल के व्यक्ति भारत में किसी पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या किसी साझेदारी । मिल्कीयत में पूंजी लगा सकते हैं चाहे उस कंपनी के काम का स्वरूप कुछ भी हो किन्तु शर्त यह है कि उन्हें उस पूंजी और उससे होने वाली आमदनी को देश से बाहर न ले जाने का वचन होगा। एक और योजना के अन्तर्गत गैर निवासी भारतीय भारत में कई प्रकार के चुने हुए उद्योगों की नई कंपनियों में, उनकी 20 प्रतिशत शेयर पूंजी तक नए शेयरों में धन लगा सकते हैं। उन्हें इस प्रकार लगाई गई पूंजी और उसकी आमदनी को बाहर ले जाने की पूरी सुविधायें दी जाती हैं । परिशिष्ट 1 के और निर्यात-प्रधान उद्योगों के संबंध में 74 प्रतिशत तक पूंजी लगाने की इजाजत है ।

(iv) गैर-निवासी भारतीयों और भारत मूल के व्यक्तियों के संबंधी विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा से प्राथमिकता के आधार पर मोटरकार/स्कूटर/कृषि ट्रैक्टर/सीमेंट लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं ।

Arrears of Income-tax in Madhya Pradesh

3603. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Finance and Revnue and Banking** be pleased to state :

(a) the number of tax payers as on 31st March, 1977 in Madhya Pradesh against whom income-tax arrears were outstanding and the total amount thereof; and

(b) the names of top most five tax payers in that State and the amount outstanding against them ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) The requisite information is available according to the charges of Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh I and II, and not according to the State of Madhya Pradesh and is as under :

No. of cases as on 31-3-1977 . . .	196206*	
Amount of arrears outstanding as on 31-3-77	Gross arrears -	Rs. 23.00 crores
	Net arrears :	Rs. 15.73 crores

*This figure represents the number of entries in the Demand and Collection Registers in respect of arrears upto Rs. 1 lakh and the number of taxpayers in respect of arrears exceeding Rs. 1 lakh.

(b) Information relating to the names of the top most five tax payers on the basis of the latest assessed income and the net arrears outstanding against them as on 31-3-77 in the charges of Commissioners of Income-tax, Madhya Pradesh-I and II, is as under :

Sl. No.	*Name of the assessee*	*Net arrears outstanding*
1.	Gwalior Rayon Silk Manufacturing Weaving Company Ltd. Nagda	Nil
2.	M/s. Mohanlal Hargovindas Tobacco Company, Jabalpur	Nil
3.	M/s. Mohanlal Harbanslal, Jabalpur	Nil
4.	M/s. Kale Khan Mohamed Hanif, Bhopal	Nil
5.	Bhagwandas Sobhanath, Saga	Nil

यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों की मांग

3604. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ समय से यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया के यूनिटों की मांग में शिथिलता रही है;

(ख) यूनिटों की मांग में इस अचानक मंदी के क्या कारण हैं ; और

(ग) यूनिटों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यूनिटों की बिक्री में कोई कमी नहीं हुई है। इसके विपरीत, पिछले लेखा वर्ष 1976–77 (जुलाई-जून) में 1964 स्कीम के अन्तर्गत 33.50 करोड़ रुपए के यूनिट बेचे गए। यह रकम पिछले वर्ष की 20.76 करोड़ रुपए की रकम से 61.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 1976–77 में की गई 33.50 करोड़ रुपए की बिक्री अब तक किसी एक वर्ष में की गई बिक्री के स्तर से सब से अधिक है। यूनिट खातों की संख्या भी 56,748 से बढ़कर 68,859 हो गई है।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) जनवरी 1975 में, सरकार ने यूनिटों से 2000 रुपए तक होने वाली आय को आयकर से और यूनिटों में 25,000 रुपए तक के निवेश को सम्पत्ति कर से छट दे दी थी। यह छूट अभी तक बराबर दी जा रहीं है।

(2) सरकार ने यूनिटों को अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष 1976–77 में ट्रस्ट को 12.50 लाख रुपए का प्रचार अनुदान दिया था।

(3) यूनिट ट्रस्ट ने पंजाब और हरियाणा के चुने हुए आठ जिलों में और गुजरात के चुने हुए छह जिलों में मुख्य प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए हैं।

(4) पूंजीगत लाभ के कराधान के संबंध में 1977–78 के बजट में प्रस्तावित परिवर्तनों में यूनिटों को विशिष्ट परिसम्पत्तियों के वर्ग में शामिल कर लिया गया है और इनमें लगाई गई पूंजी पर जो लाभ होगा उस पर कर में छूट मिल सकेगी।

स्टेनलैस स्टील की री-रोलिंग फर्मों द्वारा उत्पादन शुल्क की अदायगी

3605. **श्री तुलसी दास दासप्पा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेनलैस-स्टील री-रोलिंग फर्मों द्वारा 31 मार्च, 1973 से 31 मार्च, 1977 के बीच कितना उत्पादन शुल्क अदा किया गया; और

(ख) कतने टन (री-रोल्ड माल) पर वर्ष-वार उत्पादन शुल्क अदा किया गया ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के 22 समाहर्तालयों में से 18 के संबंध में उपलब्ध है।

जहां तक प्रश्न के भाग (क) का संबंध है, इन समाहर्तालयों में स्टेनलैस-स्टील री-रोलिंग फर्मों द्वारा, 31 मार्च, 1973 से 31 मार्च, 1977 तक, 1,33,90,549/- रुपए की रकम केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के रूप में अदा की गयी थी।

जहां तक प्रश्न के भाग (ख) का संबंध है, पुनः रोल की गई सामग्री का टन भार, जिस पर इन 18 समाहर्तालयों में उत्पादन-शुल्क अदा किया गया था, निम्नानुसार था :—

वर्ष	मीट्रिक टन
1973-74 . .	25590.224
1974-75	12413.479
1975-76	23862.252
1976-77	41827.527

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के बाकी 4 समाहर्तालयों (इलाहाबाद, बड़ौदा, नागपुर और पूना) के संबंध में सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इंडियन एयरलाइन्स के लिये नये विमान खरीदना

3606. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स की विमान संख्या को बढ़ाने के लिए जो ठेके दिए जा चुके हैं उनकी अथवा नए विमान खरीदने के नये प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इन नई खरीदारियों का परिचालन और आर्थिक आधारों की रूपरेखा क्या है; और

(ग) वे विमान कब प्राप्त होंगे और उन्हें सेवा में कब लगाया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स ने 'लो प्रेशर टायरों' तथा जे० टी० 8डी-17 इंजनों से सज्जित तीन उन्नत प्रकार के बोइंग 737 विमान खरीदने के लिए 9 फरवरी, 1977 को बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन कम्पनी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। इनमें से प्रत्येक विमान का मूल्य 8,011,083 अमरीकी डालर है। स्पेयर इंजनों, अतिरिक्त पुर्जों तथा उपकरणों सहित इन तीन विमानों

की खरीद की कुल परियोजना की लागत, जिसे भारत सरकार ने अनुमोदित किया है, 30.55 करोड़ रुपए है । इस परियोजना की विदेशी मुद्रा की 90% लागत की वित्तीय व्यवस्था भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त अमरीकी डॉलर के ऋणों से की जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत की व्यवस्था इंडियन एयरलाइन्स द्वारा अपने ही साधनों से की जाएगी । ऋण समझौतों की शर्तों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और कोई विमान खरीदने का कोई नया प्रस्ताव, नहीं है ।

(ख) इन तीन बोइंग 737 विमानों का चयन मुख्यत : कुछ अधिक यातायात वाले मार्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया गया है जिन पर फिलहाल टर्बो-प्राप विमान परिचालन कर रहे हैं । इन विमानों से मार्गों की अर्थव्यवस्था (रूट इकानामिक्स) में सुधार होगा तथा परिचालनात्मक निष्पादन भी अधिक अच्छा हो जायेगा ।

(ग) इन तीन बोइंग 737 विमानों का वितरण अक्तूबर/नवम्बर, 1977 में हो जाएगा । इन विमानों को नवम्बर, 1977 से लागू होने वाली कारपोरेशन की शीतकालीन समयावलि के भाग के रूप में नियमित अनुसूचित परिचालनों में लगाया जाएगा ।

स्टेनलैस स्टील पर आयात शुल्क

3607. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी फर्में तथा व्यक्ति, जिन्हें आयात के मुख्य आयुक्त द्वारा अब तक आयात लाइसेंसों का लाभ उठाने से वंचित रखा गया था, स्टेनलैस स्टील पर वर्तमान आयात शुल्क को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी फर्मों, व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें वंचित रखा गया था ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

डाकघर बचत बैंक की ब्याज दर

3608. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघर बजट बैंक ने भी ब्याज की वे दरें अपना ली हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक ने सावधि जमा राशियों तथा बजट राशियों के लिए निर्धारित कर रखी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब से लागू हुई हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). जी, नहीं । डाकघर बचत बैंक के सावधि जमा खातों तथा बचत खातों के व्याज की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

Decision of Industrialists not to increase the Prices of Products

3609. **Shri Krishna Kumar Goyal :**
Shri Kalyan Jain :

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of industrialists and industries concerned who have decided not to increase the prices of their various products ;

(b) the main commodities which will be made available to the consumers at fixed price as per this decision ;

(c) the prices of each commodity after the said reduction ; and

(d) the measures being taken by Government to ensure that traders or intermediaries do not make this decision ineffective and void ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) A number of industrialists met on May 31, 1977 at Bombay and decided voluntarily not to increase the prices of the products produced by them till December 31, 1977, except in the cases of loss making units and subject to input costs not rising very high. The representatives of the business houses that attended the Bombay meeting are :

1. Lalbhai Group
2. Tatas
3. Birlas
4. Mafatlal
5. Bombay Dyeing
6. Larsen and Toubro
7. D.C.M.
8. Kirloskar
9. Singhanias
10. Tube Investments.

A similar decision was taken at a meeting held in Calcutta on June 3, 1977, which was attended by the representatives of the following :

1. Bangur Bros.
2. Duncan Bros.
3. Macneill Magor
4. Birla Organisation
5. Rungra Group of Industries
6. J.K. Organisation
7. Allied Resins
8. Hindustan Development
9. Indian Aluminium
10. Indian Oxygen
11. Thapar Group

12. Bata

13. Chloride

14. Eastern Paper

15. Sahu Jain Group

16. G.K.W. (Guest Keen Williams)

The Automotive Tyre Manufacturers' Association (P) Ltd. have assured the Government that they would not increase the prices for the present.

(b) and (c). In the resolutions that were passed at the meetings held at Bombay and Calcutta, industries/products which would be covered by the voluntary price freeze were not specified.

(d) The decision taken by the industrialists was a measure of voluntary price-discipline.

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का उत्पादन

3610. **डा० हेनरी ग्रास्टिन** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में चालू वित्तीय वर्ष के उत्पादन लक्ष्य ऊंचे बढ़ा दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी इंजीनियरी की वस्तुओं के उत्पादन को कोई प्राथमिकता दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु के लिए क्या उत्पादन लक्ष्य नियत किए गए हैं ; और

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान कोई नई परियोजना स्थापित की जानी है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी उद्यमों का उत्पादन बढ़ाना सरकार की एक सामान्य नीति है। सरकारी उद्यमों के अन्तर्गत केवल भारी इंजीनियरी उद्योग ही नहीं अपितु उपभोक्ता सामग्री उद्योग कृषि पर आधारित उद्योग, रसायन और भेषज, खनिज एवं धातु, परिवहन एवं सेवाओं जैसे अन्य उद्योग भी आ जाते हैं।

(ग) 1977-78 के लिए कुछ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन लक्ष्य उनके गत वर्ष के वास्तविक उत्पादन से अधिक रखे गए हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :

कम्पनी का नाम	1976-77 के वास्तविक उत्पादन से 1977-78 के उत्पादन लक्ष्यों में वृद्धि का प्रतिशत
कोल इण्डिया लि०	6
हिन्दुस्तान जिंक लि०	
(i) जस्ते के पिंड	95
(ii) सीसा	22

1	2
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	
(i) लोह अयस्क (बेलडिला) . . .	6
(ii) लोह अयस्क (किरीबुरु) . . .	25
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग	
कच्चा तेल	43
उर्वरक	
(i) न्यूट्रेंट् एन० के अनुसार .	25
(ii) न्यूट्रेंट् पी$_2$ ओ$_5$ के अनुसार	117
आर्गेनिग कैमिकल	19
औषधियां	10
पेट्रोलियम (भारतीय तेल निगम) . . .	7
इस्पात (राउरकेला)	
इस्पात पिंड . . .	3
दुर्गापूर	
(i) गर्म धातु	7
(ii) इस्पात पिंड .	15
(iii) बिक्री योग्य इस्पात .	11
गार्डन रीच वर्कशाप	
(i) जहाज निर्माण	16
(ii) डीज़ल इंजन	28
हिन्दुस्तान शिपयार्ड	
(i) इस्पात परिष्करण	17
गोवा शिपयार्ड	
(i) नया निर्माण .	113
(ii) जहाज मरम्मत . . .	9
माझगांव डाक लिमिटेड	
(i) जहाज निर्माण	6
(ii) जहाज मरम्मत .	2
भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड	
(i) मिट्टी हटाने के उपस्कर .	2
(ii) सवारी डिब्बे	11

(घ) सार्वजनिक पूंजी निवेश मण्डल ने अप्रेल, 1977 से प्रारम्भ वित्तीय वर्ष के दौरान, जिन प्रमुख परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए सरकार को सिफारिश की है उनका ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है ।

विवरण

1 अप्रैल 1977 से लेकर अब तक की अवधि के दौरन सार्वजनिक पूंजी निवेश मण्डल द्वारा अनुमोदित नई परियोजनाएं

1. राउरकेला इस्पात कारखाने की 1700 एम० एम० सेमी-कंटीन्यूअस हाट स्ट्रिप मिल का आधुनिकीकरण ।
2. कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रादेशिक पशु एवं दुग्धशाला विकास केन्द्र ।
3. बम्बई हाई के और बसीन अपतट तेल क्षेत्र के विकास का तीसरा चरण ।
4. बम्बई के बुचर आइलैण्ड में चौथे आयल–बर्थ का निर्माण ।

Toy Industry

3611. **Shri Kachrulal Hemraj Jain** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the total strength of workers in Toy Industry ;

(b) whether the manufacturers of key operated toys, P.V.C. dolls and various types of toys have not been given recognition by All India Handicrafts Board and are not included in handicraft category ; and

(c) if so, the measures being taken for the progress, development and protection of Toy Industry ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Different types of traditional and modern toys are being produced in a large number of diverse establishments like cottage and village industries, small scale units, including modern factory-type establishments. Exact number of persons employed in all these establishments is not known.

(b) Modern mechanical and battery operated toys, including key-operated toys, P.V.C. dolls, etc. are not covered under the Group 'Handicrafts'. Import Trade Control Policy for Registered Exporters classifies such toys under Product Group 'C', under 'Plastic C-28'.

(c) Carrying out surveys, imparting of export advice to industry and granting of cash incentives are among the various developmental/promotional measures taken by the Government.

सिंघानियां बन्धुओं द्वारा विदेशी मुद्रा सम्बन्धी घोटाला किया जाना

3612. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, कानपुर तथा अन्य स्थानों में हाल ही में सिंघानियां परिवार के कुछ सदस्य विदेशी मुद्रा के घोटाले में अन्तर्ग्रस्त पाये गये ;

(ख) क्या परिवार के कुछ सदस्य, विशेषकर गौर हरि सिंघानियां, भारत सिंह सिंघानियां बीजकों में गम्भीर रूप से गड़बड़ करने और विदेशी मुद्रा के अन्य घोटालों में अन्तर्ग्रस्त थे; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान, सिंघानियां परिवार का कोई सदस्य कलकत्ता, कानपुर तथा अन्य स्थानों पर विदेशी मुद्रा जालचक्र में अन्तर्ग्रस्त नहीं पाया गया।

पिछले एक वर्ष के दौरान सिंघानियां परिवार के सदस्यों द्वारा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन किये जाने के किसी मामले का ब्यौरा, जो सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गस्त दण्डनीय हो, एकत्र किया जा रहा है तथा सदन पटल पर रख दिया जायगा।

(ख) और (ग). प्रवर्त्तन निदेशालय ने तीन मामलों में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कुछ उपबन्धों के उल्लंघन किये जाने के कारण, दो कम्पनियों और उसके निदेशकों तथा निर्यात–प्रबंधक के विरुद्ध, कारण बताओ नोटिस जारी किये थे। सिंघानियां परिवार के कुछ सदस्य उपर्युक्त दोनों कम्पनियों में निदेशक हैं। श्री भरत हरि सिंघानियां इन कम्पनियों में से एक कम्पनी के निदेशक हैं और 11 फरवरी, 1971 तक वह दूसरी कम्पनी के निदेशक थे।

प्रवर्त्तन निदेशालय ने, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के कारण, एक साझेदारी फर्म के विरुद्ध भी कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें सिंघानियां परिवार के तीन सदस्य साझीदार हैं।

प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा चारों मामलों में न्यायनिर्णय किया गया है। दो मामलों में अभियुक्तों को दोषमुक्त पाये जाने पर मामले समाप्त कर दिये गए हैं। अन्य दो मामलों में अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों में मे एक कम्पनी को कुछ आरोपों का दोषी पाया गया है और दोनों मामलों में 6.5 लाख तथा 1.75 लाख रुपये का दण्ड लगाया गया है। इन दो मामलों में कम्पनी का निर्यात-प्रबन्धक भी कुछ आरोपों का दोषी पाया गया है तथा उस पर 65,000/- और 17,500/- रुपये का दण्ड लगाया गया है। अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपों को छोड़ दिया गया है।

नवम्बर 1974 में कलकत्ता के पुलिस आयुक्त ने प्रवर्तन उप-निदेशक कलकत्ता द्वारा उपलब्ध करायी गई सामग्री के आधार पर, श्री भरत हरि सिंघानियां के विरुद्ध, आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 1974 के अन्तर्गत, नजरबन्दी के आदेश जारी किये थे लेकिन 19 दिसम्बर, 1974 तक उन्हें ढूंढ कर नजरबन्द नहीं किया जा सका। 19 दिसम्बर 1974 को जब आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण (संशोधन) अध्यादेश के स्थान पर विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम, 1974 प्रतिस्थापित किया गया तो सरकार द्वारा, श्री भरत हरि सिंघानिया के विरुद्ध नजरबन्दी के नये आदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया।

सिंघानिया परिवार के सदस्यों द्वारा, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन किये जाने के ऐसे किसी भी मामले का ब्यौरा जो सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हो, एकत्र किया जा रहा है और सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

U.S. Aid for India

3613. **Shri Manohar Lal :**
Shri Ugrasen :

Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the Senate Committee of the U.S. Congress has again made an offer for direct aid to India ; and

(b) if so, the details in this regard and the items of works on which the proposed aid is to be spent ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (b). It is understood that the House of Representatives and the Senate of the U.S. Congress have recommended resumption of aid to India in their Foreign Assistance Bill for US FY 1978. However, consideration of the Bill in the U.S. Congress has not yet been completed and the Aid Legislation has not yet been finally passed.

बंगलौर स्थित अशोक होटल का विस्तार

3614. **श्री के० मालन्ना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित अशोक होटल का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Expenditure on Delegations that Went Abroad

3615. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the number of delegations sent abroad by Government during the last three years and the names of the persons (official and non-official) included in these delegations, and the purpose of their visit and the expenditure incurred thereon in Indian as well as in foreign currency ; and

(b) the period of their stay abroad and the concrete results achieved as a result of their visits abroad ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण में भेदभाव

3616. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (i) नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच तथा

(ii) औद्योगिक एवं कृषि श्रमिकों के बीच आवश्यक वस्तुओं के वितरण में माता एवं मूल्य में भेदभाव होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस भेदभाव को समाप्त करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) व (ख). केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को सप्लाई की गई आवश्यक वस्तुओं (गेहूं, चावल, लेवी चीनी, नियंत्रित कपड़ा, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक) के विभिन्न इलाकों तथा विभिन्न व्यावसायिक समूहों के बीच आवंटन का मानदंड तय करना राज्य सरकारों के अधिकार तथा विवेक पर है।

स्टेपल डाईयों और रसायनों के मूल्यों में वृद्धि

3617. **श्री के० लकप्पा:** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के 40 लाख बुनकरों को 'स्टेपल डाईयों' और अन्य रसायनों के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट के कारण भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है; और

(ग) 40 लाख लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) धागे तथा रंजक सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई है। परन्तु जैसा प्रश्न में उल्लेख है वैसी कोई जानकारी सरकार को नहीं मिली है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

Purchase of Aircraft by Rajasthan Government

3618. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Rajasthan Government had proposed the purchase of two small aircraft through Shri Sanjay Gandhi for the use of State Government ;

(b) whether one of them has already been purchased by the State Government ; and

(c) if so, full facts in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a). No Sir;

(b) No Sir;

(c) Does not arise.

स्वतः नियोजन योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण

3619. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा, करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्वतः नियोजन योजना के अन्तर्गत तकनीकी अर्हता-प्राप्त जिन अनेक युवकों ने दिल्ली में उद्योग शुरु किये थे उन को ऋण देने के तथा अन्य सहायता समय पर देने में राष्ट्रीयकृत बैंकों के गैरसहानुभूतिपूर्ण तथा नादिरशाही वाले रवैये के कारण संकट का सामना करना पड़ रहा है अथवा वे पहले ही बन्द हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ;

(ग) अपने उद्योग शुरू करने हेतु शिक्षित बेरोजगारों को आसान तथा सस्ती दरों पर ऋण देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) स्वतः नियोजन योजना के अन्तर्गत तकनीकी अर्हता प्राप्त युवकों द्वारा दिल्ली में शुरू किये गये कुछ छोटे एककों की स्थिति खराब चल रही है, जिसके अनेक कारण हैं जैसे कुप्रबन्ध, निधियों का अन्य कार्यों में अन्तरण, कच्चे माल का अभाव तथा उनके उत्पादन की मांग की कमी।

(ख) एककों की भावी अर्थक्षमता को दृष्टि में रखते हुए बैंक इन एककों की स्थिति सुधारने के लिये उपर्युक्त कार्यक्रम बनाते हैं और इन कमजोर एककों को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं।

(ग) और (घ). मोटे तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंक शिक्षित बेरोजगारों को आसान दरों पर ऋण देने के लिये बनायी गयी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत ऋण दे रहे हैं। क्योंकि ये अग्रिम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अंग हैं, अतः ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की न्यूनतम ऋण दर की सीमा के क्षेत्र से बाहर हैं।

Officers and Employees Selected in Nationalised Banks

3620. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) category-wise number of officers and employees appointed during the last three years in all the nationalised banks including the rural banks and number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them and criteria adopted for the selection ;

(b) whether lists of the selected candidates were not published by the said banks after holding the written competitive test and interview ;

(c) whether the concerned authorities of these banks have ignored these selection lists and appointed their favourite persons arbitrarily

(d) whether in the matter of appointment, reservation of posts for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes was not kept in view ; and

(e) if so, whether in view of these serious irregularities Government propose to appoint a Banking Commission for reservation in services of all the nationalised banks in future ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) : (a) Information in regard to recruitment made by the S.B.I. and the 14 nationalised banks during the years 1974, 1975 and 1976 to the extent available is given in the Annexure. (Placed in the Library. See No. L.T.-713/77)

The scheme of Regional Rural Banks was introduced with the opening of six such banks in October, 1975 only, with the staff being provided by the respective sponsoring banks initially, to be replaced later on by the Regional Rural Bank's own staff directly recruited after the finalisation of recruitment rules etc. Government instructions on reservation of Scheduled Castes/ Tribes have been forwarded to the Regional Rural Banks for compliance. Recruitment figures for the year 1976 for these banks are not available.

(b) and (c) : The Nationalised Banks have reported that generally the list of selected candidates are not published but the selected candidates are informed individually. According to the information furnished by the banks no selected candidates has been ignored while making appointments in the banks.

(d) The Nationalised Banks have been keeping in view the prescribed percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. All the nationalised banks have been giving relaxations to the candidates from these communities in qualification and qualifying standards. In order to clear the backlog of reserved vacancies some of the banks have also been conducting clerical tests exclusively for Scheduled Castes/Tribes candidates.

(e) The Banking Service Commission has been set up with effect from 21st February, 1977 under the provisions of the Banking Service Commission Act, 1975 (42 of 1975).

पर्यटन विभाग के प्रबन्ध वाले होटलों के अधिकारियों द्वारा अधिकार का दुरुपयोग

3621. डा० **बापू कालदते** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग के प्रबन्ध वाले होटलों के अधिकारियों द्वारा अधिकार के दुरुपयोग क बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अधिकार का दुरुपयोग करने के लिये इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग). भारत पर्यटन विकास निगम के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें ठेकों के देने, सामान और भंडार की खरीद, कर्मचारियों को भर्ती, स्टाफ-कार के प्रयोग, विभिन्न होटल सेवाओं और सुविधाओं के उपयोग, तथा पैसे और माल के गबन के मामलों में अपने अधिकार व सरकारी हैसीयत के दुरुपयोग से संबंधित आरोप लगाये गये हैं। इनमें से कुछ शिकायतों की विभागीय रूप से तथा दूसरों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है। सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब विभागीय/ केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल की जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

ब्राइट्स निर्यात कर्त्ताओं द्वारा एकत्र किये जाने वाले सेवा-शुल्कों को समाप्त करना

3622. **श्री के० आबुल रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा नागरिकत पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार इस समय ब्राइट्स निर्यातकर्ताओं **द्वारा वसूल किये** जा रहे 2 प्रतिशत सेवाशुल्क को समाप्त करने का है **क्योंकि वे** ब्राइट्स के **निर्यात के बारे में कोई सेवा नहीं कर रहे हैं?**

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : जी नहीं। उन्हें मिल रही निर्यात कीमतों तथा लागतों को ध्यान में रखते हुए 2 प्रतिशत का सेवा प्रभार उचित समझा जाता है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अध्ययन कर रहा है और बाराइट्स के निर्यातों के सम्बन्ध में बेहतर इकाई मूल्य उपलब्ध कराने में सहायता कर रहा है।

सिग्रेटों पर उत्पादन शुल्क

3623. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1975–76 और 1976–77 के बजटों में सिग्रेटों पर उत्पादन शुल्क अथवा कर लगाया था ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त वर्षों में केवल तम्बाकू पर उत्पादन-शुल्क अथवा कर लगाया था ;

(ग) यदि हां, तो इस से सरकार को कुल कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि सिग्रेट निर्माताओं ने कांग्रेस पार्टी को भारी धनराशि दी थी ताकि पैकिंग पेपर आदि पर उत्पादन शुल्क अथवा कर न लगे ; और

(ङ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सिगरेटों पर 1948 से केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। 1975–76 के बजट प्रस्तावों के भाग के रूप में सिगरेटों पर मूल शुल्क की दरें 5 प्रतिशत मूल्यानुसार तक बढ़ायी गई थीं लेकिन विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की दरें और उपसंगी शुल्क की दरें नहीं बदलीं। 1976–77 के बजट में सिगरेटों पर शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया गया था और उपसंगी शुल्क में कमी की क्षतिपूर्ति के बाद वर्ष 1976–77 में सिगरेटों से राजस्व में वृद्धि का अनुमान 12 करोड़ रुपये लगाया गया था।

(ख) जी, नहीं; सिगरेटों और सिगरेटों के निर्माण में प्रयुक्त अनिर्मित तम्बाकू दोनों पर उत्पादन शुल्क लगाया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार को ऐसे किसी भुगतान की जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सूती कपड़ा मिलों के लिये नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का कोटा

3624. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती कपड़ा मिलों के लिये नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का कितना सांविधिक कोटा नियत है और उन्होंने 1975, 1976 और 1977 में अब तक वास्तव में उसका कितना उत्पादन किया?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : वस्त्र मिलों पर लगायी गई बाध्यता के आधार पर उनके द्वारा तैयार किया गया नियंत्रित कपड़ा वर्ष 1975, 1976 तथा 1977 में निम्नोक्त प्रकार रहा:

(दस लाख वर्ग मीटर)

वर्ष	बाध्यता	उत्पादन
1975	847.20	702.02
1976	491.72	434.83
1977 (जनवरी-मार्च)	101.61	96.30

खाण्डसारी पर उत्पादन शुल्क

3625. **डा० बसन्त कुमार पाण्डेय** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 से 1976 के बीच खाण्डसारी चीनी उद्योग पर उत्पादन शुल्क का भार 500 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है;

(ख) क्या महाराष्ट्र खाण्डसारी निर्माता एसोसियेशन ने उत्पादन शुल्क में कमी करने और आर्थिक समस्याओं से खाण्डसारी चीनी उद्योग को बचाने के लिए अप्रैल, 1977 में सरकार से अपील की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) अनुमानतः माननीय सदस्य का अभिप्राय खाण्डसारी चीनी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की निश्चित शुल्क की दरों के बारे में है। 1-3-1970 के बाद समय समय पर लागू दरें संलग्न विवरण-पत्र में दिखाई गई है। 1-3-1975 के बाद मूल्यानुसार शुल्क की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख). तथा (ग). उल्लिखित एसोसिएशन की तरफ से एक अभ्यावेदन 27-4-1977 को प्राप्त हुआ था तथा एक और अभ्यावेदन चार संसद् सदस्यों की मार्फत 2-7-1977 को प्राप्त हुआ था। एसोसिएशन ने शुल्क उन स्तरों तक कम करने की मांग की है जो 30-4-1974 से पहले लागू थे। एसोसिएशन के अनुरोध की जांच की जा रही है।

विवरण

सल्फाइटेशन संयंत्र की मदद से काम कर रहे एककों के लिए निश्चित शुल्क की साप्ताहिक दरें

अपकेन्द्र का आकार				लागू होने की तारीख		
ऊंचाई		व्यास				
से अधिक से० मी०	से अधिक नहीं से० मी०	से अधिक से० मी०	से अधिक नहीं से० मी०	1-3-70	30-4-74*	30-4-75
				रु०	रु०	रु०
..	22.9		45.7	880	1760	4400
22 9	30.5	45.7	61.00	1180	2360	5900
30.5	45.7	61.00	76.2	1720	3440	8600
अन्यथा अविनिर्दिष्ट				2280	4560	11400
..	22.9	..	45.7	590	1180	2360
22.9	30.5	45.7	61.00	780	1560	3120
30.5	45.7	61.00	76.2	1160	2320	4640
अन्यथा अविनिर्दिष्ट				1520	3040	6080

*निश्चित शुल्क पद्धति 1-3-75 से 30-4-75 तक स्थगित की गई

टिप्पणी :—दर्शायी गई दरें समेकित दरें हैं अर्थात केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत मूल शुल्क और अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व का सामान) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क।

विद्युत्चालित करघा उद्योग का विकास

3626. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युतचालित करघा उद्योग के विकास के लिये 1976-77 में कितनी धनराशि रखी गई थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में विद्युत चालित करघों के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ?

वाणिज्य तथा नागरकि पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान शक्तिचालित करघों के विकास के लिये केन्द्रीय तथा राज्यों का योजनागत परिव्यय 55 लाख रु० था।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बाजपे में हवाई अड्डा

3627. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर तालुक स्थित बाजपे हवाई अड्डा बोइंग-737 विमान की उड़ानों के योग्य बनाने हेतु विकसित किया जा सकता है और वह विमान यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बोइंग विमान सेवाओं के लिये एक नये स्थान पर एक वैकल्पिक हवाई अड्डा बनाने की सम्भाव्यता की जांच की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो एक बड़ा हवाई अड्डा निर्मित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है अथवा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और इस दिशा में अब तक किये गये काम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) बाजपे (मंगलौर) का मौजूदा हवाई अड्डा 'लो प्रेशर टायरों' वाले उन्नत प्रकार के बोइंग-737 विमानों के परिचालन के लिये उपयुक्त है। जब कार्पोरेशन को उन्नत प्रकार के बोइंग-737 विमान प्राप्त हो जायेंगे तो उनकी बंबई-मंगलौर सैक्टर पर इन विमानों का परिचालन प्रारंभ करने की योजना है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

सब-डिवीजन और निम्नतर स्तरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की गई धनराशि

3628. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974--77 के दौरान सम्पूर्ण भारत में सब-डिवीजन और अन्य निम्नतर स्तरों पर राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी धनराशि जमा कराई गई ;

(ख) इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन बैंकों में जमा कराई गई कुल कितनी धनराशि को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा संस्थाओं को उधार देने तथा अन्य ऋण देने पर उपयोग में लाया गया ; और

(घ) इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राज्यवार जमाओं और ऋणों विषयक उपलब्ध आंकड़े क्रमशः अनुबन्ध I और अनुबन्ध II में दिये जा रहे हैं। (ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी०—714/77)

वित्तीय संस्थाओं राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुख्य अधिकारियों को बदलना

3629. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मारुति कम्पनियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये गये अनियमित ऋणों की निष्पक्ष जांच करने के लिये वित्तीय संस्थाओं अथवा राष्ट्रीयकृत बैंकों के किन्हीं मुख्य अधिकारियों को बदला गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): अप्रैल, 1977 से, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों और सरकारी क्षेत्र की एक वित्तीय संस्था के अध्यक्षों और प्रबन्ध निदेशकों के पदों पर सरकार ने कुछ नियुक्तियां की हैं क्योंकि इन पदों पर काम करने वालों की अपनी अपनी अवधि समाप्त हो गई थी अथवा पद खाली पड़े थे।

इनमें से कोई भी नियुक्ति मारुति कम्पनियों को दिये गये ऋणों के मामलों की जांच में सुविधा की दृष्टि से नहीं की गयी।

Appeals pending with Appellate Collector of Customs, Bombay

3630. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be plesased to state :

(a) the number of cases of appeal pending with Appellate Collector of Customs, Bombay and since when ; and

(b) the names of persons to whom these appeals belong to and the brief details of these cases ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) The number of cases of appeal pending with Appellate Collectors of Customs, Bombay, as on 30-6-1977 is 4545. The oldest case is of the year 1974. Monthly intake of Customs appeal at Bombay is over 1400 cases.

(b) Collection of information regarding names of appellants and the details of all the cases would involve time and effort which may not be commensurate with the purpose or object for which the information is being sought for.

भारत-कोरिया व्यापार करार

3632. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोई भारत-कोरिया व्यापार समझौता हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख). वर्ष 1977 के लिये भारत सरकार तथा कोरिया लोकतंत्रीय जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच वस्तुओं के विनिमय सम्बन्धी एक संलेख को दोनों देशों के बीच व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत अन्तिम रूप दिया गया है। संलेख के अन्तर्गत कोरिया लोक-तंत्रीय जनवादी गणराज्य से आयात की जाने वाली तथा उन्हें निर्यात की जाने वाली प्रमुख मदें निम्नोक्त प्रकार हैं :

(1) **आयात के लिये** : इलक्ट्रोलिटिक जस्ता, मैंगनीसिया क्लिंकर, सीसा, यूरिया, रसायन तथा भेषज सामग्री, कच्चा रेशम धागा, संश्लिष्ट रेशे, गंधक।

(2) **निर्यात के लिये** : इस्पात के बिलेट, रसायन तथा भेषज सामग्री, बियरिंग्स, टायर, सूती वस्त्र, पटसन के बोरे, मैंगनीज अयस्क, कोयला।

काले धन का पता लगाने के लिये कार्यवाही

3633. **श्री वी० एम० सुधीरन** :
श्री पी० एम० सईद :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने काले धन का अभी पता लगाया जाना है ; और

(ख) काले धन को पूरी तरह खोज निकालने के लिये, सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार ने देश में काले धन का कोई अनुमान नहीं लगाया है। लेकिन, 1968-69

के लिए जिस आय पर कर की चोरी की गई थी, प्रत्यक्ष कर जांच समिति (वांचू समिति) ने उस का अनुमान 1,400.00 करोड़ रुपये लगाया।

(ख) काले धन को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। सरकार समय समय पर ऐसे कदम उठाती रहती है जिन्हें उठाना आवश्यक होता है। कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 ने संविधि में अनेक संशोधन किये ताकि काले धन को बाहर निकालने का कार्य सुविधाजनक हो जाय और इस में प्रचुर मात्रा में हो रही वृद्धि को रोका जा सके। तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 में, तस्करों और विदेशी मुद्रा छल-साधकों द्वारा गैर-कानूनी ढंग से अर्जित की गई सम्पत्ति का समपहरण किये जाने की व्यवस्था है।

आयकर विभाग के गुप्त सूचना तथा जांच-पड़ताल तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त होने वाली रायल्टी

3634. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गयी पुस्तकों पर श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों को वर्ष 1964 से अब तक भारत में तथा विदेशों में प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति कितनी-कितनी रायल्टी प्राप्त हुयी (विदेशी मुद्रा प्राप्तियां पृथक रूप में दिखायी जायें) ;

(ख) क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी तथा उनके परिवार के सदस्यों ने आयकर के उद्देश्य से कोई विवरणियां भरी हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1961 में भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित किया था कि उन्हें उनके स्वर्गीय पिता ने यूनाइटेड किंगडम में अपनी रायल्टी की आय में से 1000 पौण्ड की रकम दी थी। यह रकम उन्होंने लंदन के मार्टिन बैंक लिमिटेड में अपने खाते में जमा करा दी थी। यह खाता भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से मार्च 1970 तक चलता रहा और इसे मार्च, 1970 में बंद कर दिया गया तथा 1126–3–5 पौण्ड की रकम भारत मंगा ली गई।

आयकर अधिकारियों के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार, निर्धारण वर्ष 1975–76 को छोड़कर, उनके पिता द्वारा लिखी गई और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों पर प्राप्त हुई रायल्टी की आय का अलग-अलग ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न अनुबंध 'क' में एक विवरण दिया गया है जिसमें (i) निर्धारण वर्ष (ii) विवरणी में घोषित सकल रायल्टी ; और (iii) विदेशी मुद्रा की आय दिखाई गई है।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—715/77]

आयकर अधिकारियों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रीमती इन्दिरा गांधी को छोड़कर उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य ने आयकर की अपनी विवरणियों में श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तकों की रायल्टी की कोई आमदनी घोषित नहीं की है।

(ख) और (ग) इस प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न अनुबंध 'ख' में एक विवरण दिया गया जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा निर्धारण वर्ष 1965–66 से 1976–77 तक दाखिल की गई विवरणियों का ब्यौरा दिया गया है।

श्री राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री संजय गांधी के संबंध में वर्ष 1974–75 से वर्ष 1976–77 तक की ऐसी सूचना इस प्रश्न के उत्तर के अनुबन्ध 'ग', 'घ' और 'ङ' में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०—715/77] श्रीमती मेनका गांधी ने आयकर की कोई विवरणी दाखिल नहीं की है। वर्ष 1975–76 के लिए कुमार राहुल गांधी के कर-निर्धारण के संबंध में सूचना इस प्रश्न के उत्तर के अनुबंध 'च' में दी गई है। कुमारी प्रियंका गांधी के कर-निर्धारण के बारे में सूचना आयकर अधिकारियों द्वारा इकट्ठी की जा रही है।

आयकर की बकाया राशि

3635. **श्री के० प्रधानी :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में राज्यवार आयकर की बकाया राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) न्यायालयों अथवा आयकर विभागों में अनिर्णीत पड़े ऐसे मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है ; और

(ग) बकाया राशि वसूल करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) कर की बकाया के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। सूचना केवल आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के अनुसार उपलब्ध है और उसे अनुबन्ध में दिया गया है।

(ग) उगाही करने तथा कर की बकाया को वसूल करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक उपायों की व्यवस्था है जैसे अर्थ दण्ड लगाना, चुककर्ता को प्राप्य धन का अभिग्रहण, चल सम्पत्ति का आसेध और बिक्री करना, अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण और बिक्री करना आदि। प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, कर की बकाया को वसूल करने के लिये सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समुचित उपाय किये जाते हैं।

विवरण

जिन मामलों में आयकर बकाया की रकमें बाकी पड़ी थीं, उन में 31-3-77 की स्थिति के अनुसार बकाया की रकमों के साथ, आयुक्त के अधिकार क्षेत्रवार ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(रकम करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	अधिकार क्षेत्र का नाम	31-3-77 की स्थिति के अनुसार मामलों की संख्या	31-3-77 की स्थिति के अनुसार संकल बकाया रकमें	31-3-77 की स्थिति के अनुसार शुद्ध बकाया रकमें
1	2	3	4	5
1.	आगरा	52470	6.25	4.49
2.	इलाहाबाद	69113	8.62	5.23
3.	अमृतसर	61953	8.94	7.02
4	आंध्र प्रदेश I से III	82330	23.88	12.48
5.	असम	58393	6.29	4.33
6.	बिहार I और II	111646	10.43	8.77
7.	बम्बई सिटी I से XI	353487	130.83	84.58
8.	बम्बई (सेंट्रल)	776	24.24	13.32
9.	दिल्ली I से V	248959	81.53	58.96
10.	दिल्ली (सेंट्रल)	480	12.42	7.80
11.	गुजरात I से V	257190	55.69	26.77
12.	कानपुर	33175	16.56	7.88
13.	हरियाणा और चण्डीगढ़	19198	3.19	2.16
14.	जालन्धर	39251	7.61	5.89
15.	केरल I और II	49307	12.81	7.90
16.	कर्नाटक	90232	26.29	12.26
17.	लखनऊ	85083	14.79	8.99
18.	मध्य प्रदेश I और II	196206	23.00	15.73
19.	मेरठ	43919	11.49	6.76
20.	विदर्भ और मराठवाड़ा	42224	16.03	11.56
21.	उड़ीसा	37424	4.62	3.81
22.	पटियाला	39595	6.01	4.30
23.	पुणे I और II	136024	12.66	8.26
24.	राजस्थान I और II	82547	11.04	6.92

1	2	3	4	5
25.	तमिल नाडु I से IV कोइम्बटूर और मद्रास (सेन्ट्रल) . . .	247845	80·60	46·78
26.	पश्चिम बंगाल I से XIII . .			
27.	आसनसोल	364334	239·28	177·28
28.	कलकत्ता (सेन्ट्रल) I और II .	671	18·46	9·52
	कुल . .	2803832	873,56	569.84

†ऊपर कालम तीन में दिए गए आंकड़े 1 लाख रुपए तक की बकाया पड़ी रकमों के सम्बन्ध में मांग और उगाही रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की संख्या बताते हैं और 1 लाख रुपए से अधिक की बकाया पड़ी रकमों के सम्बन्ध में कर-दाताओं की संख्या बताते है ।

Setting up of a Hotel Near Aligarh Muslim University

3636. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a hotel at a place near Aligarh Muslim University where tourists from Muslim nations and other countries come every year ;

(b) whether there is no suitable hotel at Aligarh for those tourists who stay there on their way to Agra and Lucknow ; and

(c) if so, what action Government are taking in this direction keeping in view the provision of proper facilities for tourists ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a) Not at present.

(b) There is no hotel on the approved list of the Department of Tourism at Aligarh.

(c) Due to other priorities, there is no proposal at present to construct a hotel in the public sector at Aligarh.

Opening of Branches of Banks in Rural Areas

3637. **Shri Yagya Datt Sharma** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government are encouraging the opening of the branches of Banks in the rural areas ; and

(b) if so, the additional number of rural areas where branches of the Banks are to be opened in 1977-78. ?

The Minister of Finance (Shri H.M. Patel) (a) Yes, Sir.

(b) Under the perspective plan for branch expansion 1977, R.B.I. has allowed commercial banks to open branches at 2173 rural centres in all. Inclusive of the 654 licences pending with Regiona Rural Banks for such centres as at the end of May, 1977, banks had 3114 licences allotments in hand for opening branches at rural centres. It is expected that branches at a large number of these centres will be opened during 1977-78.

भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्चे पटसन की खरीद

3638. **श्री सौगत राय :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू फसल में भारतीय पटसन निगम के माध्यम से कच्चे पटसन की खरीद के लिए उसकी मात्रा बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की सीधी खरीद के लिए कितने और केन्द्र खोले जाएंगे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष में विभागीय खरीद केन्द्रों की संख्या 87 से बढ़ा कर 100 करने का विचार है। इसके अतिरिक्त भारतीय पटसन निगम ने चालू वर्ष में 20 उप-केन्द्र खोलने की योजना बनाई है। साथ ही, इस मामले में राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Supply of Opium to Opium Addicts

3639. **Shri Dhanna Singh Gulshan** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether the number of opium addits is very large, particularly in Punjab State ;

(b) whether Government propose to make opium available to the persons who have become its addicts through legal and easy means with a view to check opium smuggling ;

(c) whether Government propose to sell opium on contract basis as before to ensure revenue to Government ; and

(d) if so, from when ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) According to the information available with the Government, the number of registered opium addicts is not very large in the country including the Punjab State. The total number of registered opium addicts for the whole of India in 1961 was 1,74,556 out of which 13,498 addicts were from the State of Punjab. In the year 1976, the total number of registered addicts for the whole of India is 66,876 out of which only 993 are from the State of Punjab.

(b) Arrangements already exist to supply opium on medical grounds to the registered addicts through the District Treasuries.

No, Sir.

(c) Does not airse.

Carpet Industry, Shahjahanpur (U.P.)

3640. **Shri Surendra Bikram** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the action being taken to promote Carpet Industry in Shahjahanpur District in Uttar Pradesh as also the facilities being provided to carpet manufacturers ?

The Minister of Commerc and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : Training in carpet weaving is being provided in Shahjahanpur District of Uttar

Pradesh for production of better quality of carpets on a large scale. Carpet manufacturers are provided facilities like liberalised credit, technical know-how besides cash incentives for export of carpets,

रुपये की क्रय शक्ति

3641. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) 1950 की तुलना में इस समय रुपए की क्रय शक्ति कितनी है;

(ख) क्या रुपए की क्रय शक्ति में वृद्धि करने के किन्हीं उपायों पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) वर्ष 1950-100 को आधार मानते हुए, अखिल भारतीय औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक के अनुसार, मई 1977 में रुपए की क्रय शक्ति 26.18 पैसे बैठती है ।

(ख) और (ग). वस्तुओं की कीमतों में जितनी कमी होगी, रुपए की क्रय शक्ति उतनी ही बढ़ेगी । सरकार की सभी नीतियों का उद्देश्य इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है ।

Raids Conducted by Income-tax Authorities

3642. **Shri Ambika Prasad Pandey** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) whether Government are taking any action in respect of raids conducted by the Income-tax Department out of political malice ;

(b) whether any action has been taken on the representation made in April, 1977 in regard to raids conducted by the Income Tax Department on Doctor Chudamani Agrawal, Proprietor of Agrawal Nursing Home in Banda district and if so, the details thereof ; and

(c) if not when the action will be taken?

The Minister of Finance and Revneue and Banking (Shri H.M. Patel) : (a) The Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into the mismuse of authority, excesses and malpractices committed by public servants and other individuals who may have directed, abetted or otherwise associated with the commission of such acts during the period of operation of the Proclamation of Emergency or during the period immediately preceding it. Raids, if any, conducted on extraneous considerations will be within the purview of the said Commission.

(b) All assets, except those retained by an order under Section 132(5) of the Income-tax Act, 1961 have been released. The assessee's application against the above order is fixed for hearing by the Commissioner of Income-tax Agra on the 25th July, 1977.

(c) Does not arise.

House rent allowance to Postal Employees working in District Branch Giridih, Bihar

3643. **Shri R. L. P. Verma:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether Government pay house-rent allowance to their employees stationed in a town with a population of fifty thousand and more;

(b) if so, the reasons for not granting House Rent Allowance to the postal employees working at district branch Giridih (Bihar); and

(c) whether Government have received any representation from those employees in this connection?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) Under the existing orders governing the payment of house rent allowance to the Central Government employees a town having a Municipal status, with a minimum population of 50,000 as per 1971 census is classifiable for the payment of house rent allowance to the Central Government employees posted there.

(b) According to the 1971 census, Giridih has only a population of 40,308 and is therefore not classifiable for the purpose of house rent allowance to the Central Government employees posted there.

(c) Yes, Sir.

Foreign Loans

3644. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the amount of the interest on foreign loans outstanding, country-wise; and

(b) per capita amount of foreign loan?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) Sir, the amount of interest due and outstanding for payment on foreign loans to Government of India as on date is nil. However, a statement showing the estimated amount of interest payable during 1977-78 on foreign loans to Government of India is laid on the Table of the House.

(b) Based on the population of India projected by the Export Committee on Population Projection, as on 1-3-77, the per capita amount of foreign loans to the Government of India outstanding as on 31-3-77 was Rs. 138·49.

Statement

Country-wise, estimated amount of interest payable during 1977-78 on foreign loans to the Government of India

(Figures in Rupees crores at current rates)

Sl. No.	Name of the country/source	Amount
1	2	3
1	Austria	0·96
2	Belgium	0·68
3	Canada	3·49
4	Denmark	0·06
5	France	13·03
6	Federal Republic of Germany	33·98
7	Italy	0·52
8	Japan	29·85
9	Netherlands	6·98
10	Sweden	0·88

1	2	3
11	Switzerland	2·02
12	Qatar	0·09
13	Iraq	3·53
14	United Arab Emirates	1·46
15	Kuwait Fund for Arab Economic Development	1·12
16	Abu Dhabi Fund for Arab Economic Development	0·22
17	United Kingdom	10·53
18	U.S.A.	52·84
19	I.B.R.D. (World Bank)	19·25
20	International Development Association	24·41
21	Czechoslovakia	0·87
22	Poland	0·30
23	Yugoslavia	0·01
24	U.S.S.R.	5·09
25	Hungary	0·18
	TOTAL	212·35

Rules, Regulations, Salaries and Facilities for Workers in India Tourism Development Corporation

3645. **Shri Chaturbhuj :**
Shri Kachrulal Hemraj Jain:

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether in spite of the fact that India Tourism Development Corporation is a Government Corporation, there is no uniformity in rules, regulations, salaries and other facilities for Hall the workers working there; and

(b) whether the employees working in the Head Office and Transport Department are provided with better facilities and salaries than those working in hotels?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) and (b). Looking to the lack of uniformity, Government propose to constitute shortly a Committee for rationalisation of wage structure in I.T.D.C. The Committee will *inter-alia* consider the feasibility of putting all non-officer employees of the Corporation on a standard wage structure including a common dearness allowance formula, irrespective of their sphere of activities. It will also make recommendations in regard to other related matters.

चीनी के निर्यात की मात्रा के सम्बन्ध में निर्णय

3646. **श्री जी० एम० बनतवाला :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चीनी के निर्यात की मात्रा के संबंध में अभी तक न तो कोई निर्णय किया गया है और न ही घोषित किया गया है हालांकि चीनी का वर्ष 1 अक्तूबर, 1976 से आरम्भ हो चुका है ;

(ख) क्या भारतीय चीनी के लिये विदेशों से बहुत ही बार पूछे जाने पर भी राज्य व्यापार निगम चीनी के निर्यात की मात्रा के बारे में सरकार द्वारा कोई निर्णय न लिये जाने के कारण कोई निश्चित वायदा नहीं कर पाया है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि यह निर्णय लेने में विलम्ब के कारण बहुत सी विदेशी मण्डियां हमारे हाथ से निकल रही हैं ;

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीदी गई चीनी की भारी मात्रा इस संबंध में नीति-निर्णय के अभाव में विभिन्न पत्तनों के गोदामों में पड़ी हुई है और उस से मानसून के कारण खराब होने का खतरा पैदा हो गया है ; और यदि हां, तो कितनी मात्रा; और

(ङ) इस संबंध में नीति-निर्णय कब तक कर लिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ङ) चालू चीनी वर्ष (1976–77) के लिए राज्य व्यापार निगम को निर्यात हेतु 4 लाख मे० टन चीनी रिलीज की गई थी, जिसमें 2.87 लाख मे० टन 30 जून, 1977 तक निर्यात की जा चुकी है । शेष 1.13 लाख मे० टन चीनी का निर्यात नहीं किया गया है क्योंकि चीनी के निर्यात के बारे में सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है । मार्च 1977 के दौरान निर्यात के लिए खरीदी गई लगभग 47,000 मे० टन चीनी राज्य व्यापार निगम के विभिन्न पत्तन गोदामों में उपलब्ध है । मानसून के दौरान इस चीनी को खराब होने से बचाने के प्रयास किये जा रहे हैं । अन्य सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और चीनी के निर्यात के बारे में शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा ।

मंत्रियों के विदेशों के दौरे

3647. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रिमंडल स्तर के उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1 जनवरी, 1976 से 15 जून, 1977 के बीच विदेशों के दौरे किये; दौरे किन-किन तिथियों को किये गये, उन पर कितना-कितना व्यय हुआ तथा दौरों के उद्देश्य क्या-क्या थे; और

(ख) उक्त अवधि में प्रधान मंत्री किन-किन तिथियों को विदेशों के दौरे पर गये/गयीं तथा उनके दौरों का उद्देश्य क्या-क्या था और उन पर कितना-कितना व्यय हुआ और इनका यदि कोई परिणाम निकला तो वह क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चूजों के आयात के बारे में जांच

3648. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद के मुर्गी पालकों ने चूजों के आयात की अनुमति देने के लिये आपात काल में 'रेडबुक' की जान-बूझ कर हेरफेर किये जाने के बारे में कोई उच्च स्तरीय जांच का आग्रह किया है;

(ख) क्या इन मुर्गी पालकों ने आरोप लगाया है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के अधिकारियों को आयात की अनुमति देने के लिए भूतपूर्व प्रधान मंत्री के सचिवालय से परामर्श दिया गया था ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बारे में पूरी जांच कराने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). इस मामले में जांच की गई थी । अभिकथनों को सिद्ध करने के लिये कोई बात रिकार्ड में नहीं है । आगे और जांच करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा ।

इस विषय पर आयात नीति का उद्देश्य देश में मुर्गी-पालन उद्योग के सर्वोपरि हितों को पूरा करना है ।

Smuggling of Indian Films

3649. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether there have been cases of seizing Indian films while being smuggled during the last two years;

(b) if so, the names of such films and the nature of punishment awarded to the smugglers; and

(c) the measures taken by Government to check the smuggling of films in future?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) & (b). Yes, Sir, The reports received by the Government show that the following Indian films were seized by the Customs authorities while being smuggled out of the country :

Chemmeon, Geeta Mera Naam, Aradhana, Do Sher, Anurag (3 reels), Do Yaar (11 reels), Shikar (9 reels), Ayirathil Oruvan (1 real), Azzad (15 reels), Brahma Vishnu Mahesh (14 reels), Pyasa (6 reels), Marmayogi (11 reels), Revolver Reeta (11 reels) and Mintharuvi Kolakkesu (6 reels). Appropriate action under the law is being taken against the persons involved.

(c) The Customs field formations have been suitably alerted to be vigilant to check any attempt at smuggling of Indian films out of the country. The anti-smuggling measures include keeping a watch on the export baggage of passengers and intensification of harbour patrols and rummaging of ships.

Closure of Mills

3650. **Shri Ishwar Choudhary:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the closure of 103 mills was due to the fact that their owners showed losses; and

(b) if so, whether Government are taking steps to prevent the mill owners from such arbitrary acts?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) & (b) Apparently reference is to the 103 textile mills which were nationalised

by Government with effect from 1-4-1974. Not all the 103 mills were lying closed though they had run into difficulties on account of mismanagement, finances and labour problems. Their financial results were unsatisfactory. In order to improve control on the accounts of the private mills, Cost Accounting Records (Cotton Textiles) Rules, 1977, effective from 1-7-1977, have been issued on 28-6-1977.

Consumption of Lac

3651. **Shri Karia Munda:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government have fixed the rate at which lac will be purchased from farmers in lac producing areas; and

(b) the consumption of lac in the country?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) No, Sir.

(b) The consumption of lac in the country is estimated to be between 1500 to 2000 tonnes in terms of seedlac and shellac.

कृषि मूल्य आयोग का कपास समर्थन मूल्य के बारे में प्रतिवेदन

3652. **श्री के० लकप्पा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपास समर्थन मूल्य के बारे में कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ट ग्रि : ३ : थ

(ख) तथा (ग) मामला विचाराधीन है ।

शाहजहांपुर के तिलहट शहर की "कुदरती मंजिल" को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेना

3653. **श्री रेन्द्र विक्रम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री य ह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के तिलहट शहर से लाखों रुपये के मूल्य की सम्पत्ति "कुदरती मंजिल" को जिसके मालिक तीन पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं, अब तक सरकार द्वारा अपने अधिकार में न लेने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्पत्ति से लाभ उठा रहे लोगों से जुर्माने सहित इस पूरी सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) से (ग). प्रश्नाधीन सारी जायदाद के, जिसमें शाहजहाँपुर में एक मकान तथा कुछ जमीन शामिल है, मालिक मरहूम श्री कुदरत हुसैन खां थे जो अपने पीछे विधवा पत्नी, 3 लड़के तथा 3 लड़कियां छोड़ गए हैं। उनके केवल 2 लड़के पाकिस्तान चले गये थे और केवल उनके हिस्से को शत्रु संपत्ति घोषित किया जा सकता है। तीसरे पुत्र ने जो कि भारतीय नागरिक है, इस संपत्ति में दो पाकिस्तानी वारिसों के हिस्सों की जो गैर-कानूनी बिक्री की है उसके खिलाफ शहाजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट ने पहले ही सब-डिवीजन आफीसर, तिलहट के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया है।

शुष्क खेती प्रौद्योगिकी के बारे में विश्व बैंक द्वारा सहायता

3654. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में छः जिलों के लिये जिन्हें विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त हो रही है वर्कशाप आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उक्त प्रयोजन के लिये कितनी वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया ; और

(ग) क्या किसानों को शुष्क खेती प्रौद्योगिकी में सहायता देने के लिये किसी विशेषज्ञ दल ने भी भारत का दौरा किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं। किन्तु सूखे की सम्भावना वाले क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक परियोजना है, जिसके अन्तर्गत देश के छह जिले आते हैं और इनमें कर्नाटक राज्य का बीजापुर जिला भी एक है। उक्त परियोजना के लिए अन्तराष्ट्रीय विकास संघ ने 3.5 करोड़ डालर का कुल ऋण दिया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन द्वारा विकासशील देशों को मंजूर दिये गये ऋण

3655. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ने कुछ विकासशील देशों को तेल के अधिक मूल्य के परिणामस्वरूप उनकी भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को हल करने में सहायता करने हेतु अपनी विशेष निधि से कुछ ऋण मंजूर किये हैं ; और

(ख) यदि हां तो भारत को मंजूर किये गये ऋणों के तथ्य क्या हैं और उनकी शर्तें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन की विशेष निधि से भुगतान शेष के कुल घाटे को पूरा करने और विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए ऋण दिए जाते हैं।

(ख) इस निधि से भारत को 218 लाख अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा लेकिन बकाया राशियों पर 0.5 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार देना होगा। इस ऋण की रकम 25 वर्ष में चुकाई जानी है जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है। शुरू में, इस ऋण का उपयोग आयात (भुगतान शेष की सहायता के रूप में) के लिए किया जाएगा और उससे निर्मित प्रतिरूप रकम सिंगरौली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के पहले दौर के स्थानीय खर्च को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ऋण करार पर 11 जनवरी, 1977 को हस्ताक्षर किए गए थे।

महाराष्ट्र की कोयना परियोजना क्षेत्र में काम कर रहे डाक तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते का भुगतान

3656. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र क्षेत्र में (अलोरा-पोपुआली शिरगारा) कोयना परियोजना में कार्य कर रहे डाक-तार कर्मचारियों को उसी आधार पर परियोजना-भत्ता दिया गया था जो राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है और क्या महानिदेशक डाक और तार नई दिल्ली की मंजूरी प्राप्त न होने के कारण उक्त भत्ता मार्च, 1975 में बन्द कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना भत्ते के रोके जाने के क्या कारण थे और महा निदेशक ने मंजूरी क्यों नहीं दी; और

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों को उक्त भत्ते का भुगतान भूतलक्षी प्रभाव से करने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां महाराष्ट्र (पर्लि, अलोर, कोफाली और शिरगांव) में कोयना परियोजना क्षेत्र में काम करने वा डाक-तार कर्मचारियों को 1955 से उन्हीं दरों पर प्रतिपूर्ति (परियोजना) भत्ता दिया जा रहा थ जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को लागू थी। यह भत्ता 1–3–1975 से वापस ले लिया गया।

(ख) परियोजना भत्ते का आशय मूलतः आवास, स्कूलों, बाजारों तथा औषधालयों आदि जैसी कुछ सुविधाओं के अभाव की कर्मचारियों को प्रति पूर्ति करने के लिए है। चूंकि ये सुविधाएं परियोजना स्थल पर उपलब्ध हो गई थी इसलिए परियोजना भत्ता वापस ले लिया गया।

(ग) ऊपर (ख) को ध्यान में रखते हुए परियोजना भत्ते की अदायगी को भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ऋण नीति

3657. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित नई ऋण नीति क्या है और इसके परिणामस्वरूप किन क्षेत्रों में ऋण नियंत्रण समाप्त अथवा ढीले हुए हैं ;

(ख) क्या ब्याज दर में कमी करने से दीर्घावधि पूंजी निवेश को बल मिलेगा; और

(ग) यदि कोई विशेष परियोजना आरम्भ की गई है तो पूंजी निवेश और मुद्रा प्रसार के क्या परिणाम निकले ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित नई ऋण नीति का उद्देश्य यथासम्भव मुद्रा प्रसार को अधिक से अधिक नियंत्रण में रखने का है परन्तु साथ ही इसका लक्ष्य पूंजी निवेश को बढ़ाना, उत्पादन तथा निर्यात में सहायता देना और आयात के जरिए अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं और औद्योगिक कच्चे माल की सप्लाई में बढ़ावा देना है। नई नीति उत्पादन, निवेश और निर्यात की वास्तविक जरूरतों पर किसी तरह का दबाव नहीं डालेगी।

(ख) दीर्घावधि पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से बैंकों को उनके द्वारा उद्योगों में पूंजी निवेश के लिये तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष तक की अवधि के लिए दिये गये सावधि ऋणों पर ली जा रही 15 प्रतिशत (ब्याज कर सहित) ब्याज की दर के स्थान पर तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिये दिये गये सावधि ऋणों पर 12.5 प्रतिशत (ब्याज कर सहित, जहां लागू हो) की दर से ब्याज लेने की सलाह दी गयी है।

(ग) चूंकि नई नीति की घोषणा मई मास के अन्त में की गयी थी अतः इतनी जल्दी इसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

लघु उद्योग क्षेत्र के लिये निर्यात परिषद

3658. **श्री धर्म वीर वशिष्ठ** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के लिये निर्यात परिषद् स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन उद्योग

3659. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में पर्यटन उद्योग से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एक समय-बद्ध प्रभावशाली योजना तैयार करने का है ; और

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले में बहुत अधिक सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर रहने के फलस्वरूप भारी संख्या में विदेशी पर्यटक भारत नहीं पहुंच पाये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। इस संबंध में केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं रहा जा रहा है, अपितु विदेशी पर्यटकों को सुविधायें देने के लिये निजी क्षेत्र में भी पर्याप्त सहायता और प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं। ब :रहाल, भारत को यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ी है जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से प्रतीत होगा :—

वर्ष	आने वाले पर्यटकों की संख्या	प्रतिशत वृद्धि
1974. .	423,161	——
1975. .	465,275	10.0
1976. . .	533,951	14.8
1977. . . . (जनवरी से जून तक)	282,449 (1976 की उसी अवधि के मुकाबले में)	19.3

भारत आने वाले विदेशी पर्यटक

3660. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना में निर्धारित भारत पहुंचने वाले विदेशी पर्यटकों के बारे में अब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस राष्ट्रीय हानि के लिये अधिकारियों को जिम्मेबार ठहराने तथा उन्हें सजा देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पर्यटन विभाग ने 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की अनुमानित वृद्धि की दर से 1978 के अंत तक 800,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का लक्ष्य निर्धारित किया था। यह लक्ष्य 1973 में, जब पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनायी जा रही थी, निर्धारित किया था। उस समय तेल के संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात में कमी हो जाने का कोई संकेत नहीं था। अतः भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात की गति में पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष, 1974 में, कमी हुई। उस वर्ष भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 15 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि के मुकाबले में केवल 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु उसी वर्ष विश्व पर्यटक आंकड़ों में 2.8 प्रतिशत की कमी हुई, जिसकी तुलना में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में 3.2 प्रतिशत की छोटी सी वृद्धि भी एक उपलब्धि थी।

बाद के वर्षों में भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात में उत्तरोत्तर वद्धि हुई है। लिहाजा, 1975 में 10 प्रतिशत, 1976 में 14.8 प्रतिशत तथा 1977 के पूर्वार्ध में 19.3 प्रतिशत की वद्धि हुई है। यदि भारत आने वाले अंतराष्ट्रीय पर्यटकों की वट्टमान उत्साहजनक प्रवृत्ति जारी रहती है, तथा विश्व पर कोई राजनीतिक अथवा आर्थिक संक्रट नहीं आता है तो 1978 के अन्त तक 800,000 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो जाएगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशो पर्यटकों के स्वागत के लिये कार्यवाही

3661. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 1980 तक पहुंचने वाले, जैसाकि पहले प्रस्तावित था, दस लाख विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिये क्या कार्यबाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : एक विवरण, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक यातायात को अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपाय दिए गए हैं, सभा पटल पर रखा है।

विवरण

1. 16,771 कमरों की वर्तमान होटल धारिता में अभिवृद्धि करने के लिए, पर्यटन विभाग नेन ई होटल परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है। सरकारी क्षेत्र ने देश में पर्यटन महत्व के चुने हुए स्थानों पर परियोजनाओं का कार्यक्रम बनाया है। निजी क्षेत्र को भी माली सहायता, संस्थागत ऋणों के रूप में वित्तीय सहायता, तथा अनिवार्य अपेक्षाओं के लिये अग्रता प्रदान करने के रूप में प्रस्तुत किये गये विभिन्न प्रोत्साहनों के द्वारा अधिक होटल स्थापित करने के लिये प्रोत्साहति किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये महत्वपूर्ण पर्यटपे केन्द्रो रि पांचवीं योजनावधि के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कुल मिला कर लगभग 10,000 होटल कमरों की वृद्धि की जाएगी।

2. पूरक आवास की व्यवस्था करने के लिए, 15 युवा होस्टलों का निर्माण आरम्भ किया गया जिनमें 14 चालू हो चुके हैं। प्रन्द्रहवां युवा होस्टल पूरा होऽ वाला है औंर 1977–78 के दौरान चालू हो जाएगा। दो और युवाँ होस्टलों-पांडिचेरी मैसूर में एक-एक का निर्माण करने के लिए भी कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

3. मध्य आय वर्गीय पर्यटकों के लिये अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करने के लिये 11 पर्यटक बंगलों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया। इनमें से, सात पहले ही चालू हो चुके हैं तथा शेष निर्माण की विभिन्न प्रावस्थाओं में हैं। उनके पांचवीं योजनावधि के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

4. सड़क द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करने के लिये पर्यटक रुचि के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाले राप्ट्रीय रजमार्गों (नेशनल हाईवेज) पर 5 शिविर स्थ व आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

5. और बड़ी संख्या में भारत को लक्ष्य बनाकर आने वाले पर्यटक यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कोवालम् समुद्रतटीय विहारस्थल में तथा शीतकालीन खेलकूद का विकास करने के लिए गुलमर्ग में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ।

6. वन-जीव प्रेमियों के लिए 5 फारेस्ट लाजों का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया । दो पहले ही चालू किए जा चुके हैं तथा शेष तीन 1977–78 के दौरान चालू कर दिये जाएंगे । पांचवीं योजनावधि के दौरान दो या तीन फारेस्ट लाजों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है । आवास के अलावा, पशुओं तथा पक्षियों को देखने के लिये चुने हुए वन्य-जीव शरण-स्थलों पर मिनी-बसों की भी व्यवस्था की जाती है ।

7. भारत पर्यटन और विकास निगम का प्रमुख पर्यटक केन्द्रों हर परिवहन यूनिटों का एक तंत्रजाल है इसके परिवहन बेड़े में 101 लग्जरी कारें, 63 अम्बेसडर कारें, 38 बड़े टूरिस्ट कोच तथा 8 मिनी बसें सम्मिलित हैं । भारत पर्यटन विकास निगम तथा कुछ राज्य पर्यटन विकास निगम कोचों द्वारा मार्गदर्शी सैर-सपाटा एवं परिभ्रमण सेवाओं का परिचालन करते हैं । इस प्रकार की संचालित कोच यात्राओं का परिचालन कुछ बड़ी-बड़ी यात्रा एजेंसियों द्वारा भी किया जाता है ।

8. परिवहन ऋण योजना निजी पर्यटक परिवहन परिचालकों को उनके पर्यटन वाहनों के बेड़े में वृद्धि करने के लिए किराया-खरीद सुविधाएं प्रदान करती है ।

9. गोविंदसागर तथा नागार्जुनसागर झीलों में प्रत्येक पर दो-दो मोटर लाँचों की व्यवस्था की गयी है जिससे कि पर्यटक इन क्षेत्रों में पोत विहार कर सकें ; इसके अलावा, कन्याकुमारी तथा विवेकानंद रॉक के बीच यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए विवेकानंद स्मारक को एक फेरी बोट दी गयी है ।

10. इंडियन एयरलाइन्स ने देश के ही अन्दर आसान तथा रूचिपूर्ण यात्रा सर्किट की व्यवस्था करने के लिए कई महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को विमान सेवा से जोड़ा है ।

11. इंडियन एयरलाइंस तथा रेलवेज द्वारा विशेष हू'भारत दर्शन" विमान किराये तथा "भारत-रेल पास" चालू किए गए हैं जिससे कि अंतरराष्ट्रीय पर्यटक भारत में ठहरने की अवधि के दौरान यथासंभव अधिकतम पर्यटक केन्द्रों की सैर करने के लिये देश के ही अन्दर सस्ते में यात्रा कर सकें ।

12. विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन, तथा भारत के ही अन्दर सामान्यतः अथवा विशेष स्थानों को यात्रा करने के लिए "पैकेज टूर" एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए और सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ।

वाणिज्यिक फर्मों द्वारा राज्य व्यापार निगम के विरुद्ध दायर दावे

3563. श्री रतन राठौड़ : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मई, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "'सिक्स वनस्पति यूनिटस फाइल कलेम्स विद दी स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) ताड़ के तेल के दो रैक मार्च, 1977 में कानपुर पहुंचे थे। मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, कानपुर के डिपो में, जो राज्य व्यापार निगम का हैंडलिंग एजेंट तथा सरकारी स्वामित्व वाला एक वनस्पति कारखाना है, डिलिवरी से पहले तेल को पिघलाने के लिए गरम करते समय, हीटिंग कायल में छिद्र हो गया। जैसे ही यह बात राज्य व्यापार निगम के ध्यान में लाई गई तो वनस्पति एककों को आगे डिलिवरी रोक दी गई।

2. अभी तक केवल चार एककों ने राज्य व्यापार निगम को अपने दावे प्रस्तुत किये है। अन्तर्ग्रस्त आर्द्रता की कुल मात्रा केवल 30 मे० टन है जबकि डिलिवर की गई कुल मात्रा लगभग 1200 मे० टन है। प्रभारित तेल के कानूनों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण रिपोर्टों के आधार पर पार्टियों के दावों पर विचार किया जा रहा है। अब तक केवल एक पार्टी के अपने दावे का मूल्य बताया है, जो 91,000 रुपये है।

3. राज्य व्यापार निगम को मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के इसमें आर्द्रता की मात्रा अत्यधिक है। परन्तु अधिक आर्द्रता की मात्रा होने से यह मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त नहीं हो जाता है। मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, कानपुर ने ताड़ के तेल की बाकी बची मात्रा उठाने की पेशकश की थी और वह उन्हें डिलिवर कर दिया।

बिक्री कर को उत्पादन शुल्क से मिलाना

3663. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कागज और कागज बोर्ड पर बिक्री कर को उत्पादन शुल्क से मिलाने के बारे में बिहार कागज व्यापारी संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय, बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क केवल (रेशमी कपड़ों से भिन्न) कपड़ों, तम्बाकू और चीनी पर ही लगाया जाता है। इस योजना को अन्य वस्तुओं पर भी लागू करने के प्रश्न पर पहले विचार किया गया था लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति द्वारा अब सभी केन्द्रीय, राज्यीय तथा स्थानीय

अप्रत्यक्ष करों के ढांचों की समीक्षा की जा रही है । बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाये जाने के प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तथा सम्भव शीघ्र पुन: विचार किया जायगा ।

कृषि पुर्नवित्त विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में लघु सिंचाई योजना को वित्त पोषण

3664. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में कृषि पुर्नवित्त विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में वित्तपोषित लघु सिंचाई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1976–77 के दौरान, मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में "कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम" द्वारा 1081 लाख रुपये की वित्तीय सहायता (जिसमें कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम की बचनबद्धता 970 लाख रुपये की है) । से 36 लघु सिंचाई योजनायें (अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और गैर-अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण योजनायें) अनुमोदित की गयीं थीं । मध्य प्रदेश में कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम द्वारा दी गई कुल सहायता 2616 लाख रुपये की है जिसमें से 2404 लाख रुपये लघु सिंचाई योजनाओं के लिये हैं (जिसमें 824 लाख रुपये पम्प सेटों के विद्युतीकरण के लिये हैं) । कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम द्वारा 1976–77 में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये दी गई 2404 लाख रुपये की सहायता में से, 1521 लाख रुपये राज्य भूमि विकास बैंकों को और 883 लाख रुपये वाणिज्यिक बैंकों को दिये गये थे ।

(ख) 1976–77 में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वीकृत लघु सिंचाई योजनाओं के बारे में समग्र स्थिति नीचे दी गई है :––

(लाख रुपयों में)

	स्वीकृत योजनायें	वित्तीय सहायता	कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम की वचनबद्धता	कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम द्वारा दी गई सहायता
राज्य भूमि विकास बैंक	103	6940	6257	4315
वाणिज्यिक बैंक	138	4186	3740	2220
	241	11126	9997	6535

गांवों को मिलाने वाली सड़कों के विकास के लिये राज्य के स्रोत

3665. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों को मिलाने वाली सड़कों के लिए राज्य सरकारों के लिए और स्रोतों की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया ; और

(ग) वर्ष 1977–78 के केन्द्रीय बजट में कुल कितनी धनराशि का उपबन्ध किया गया और विभिन्न राज्यों के लिए इसका पृथक पृथक ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय बजट में ग्रामीण सड़कों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी इस लिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 1977–78 के लिए केन्द्रीय बजट में कुल 20 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । विभिन्न राज्यों में इस रकम के आवंटन का निर्धारण अभी किया जाना है ।

Assistance from the U.S.S.R.

3666. **Shri Meetha Lal Patel:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether Soviet Union has recently given an assurance for providing rouble assistance to India; and

(b) If so, the amount of assistance to be provided, the terms and conditions thereof and how will it be utilized?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) & (b). Yes, Sir. An agreement was concluded between the Governments of the USSR and India on April 27, 1977 providing for a loan of Roubles 250 million for the development of the ferrous metallurgical industry, for coal mining projects in the Raniganj and Singrauli areas and for such other projects as may be mutually agreed upon between the two Governments. The laon is repayable over a period of 20 years inclusive of a grace period of 3 years and carries an interest rate of 2½ per annum.

Payment of Income-Tax by Shrimati Indira Gandhi and Her Family Members

3667. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state;

(a) the detailed statement of income of the former Prime Minister Smt. Indira Gandhi, her sons S/Shri Sanjay Gandhi and Rajiv Gandhi and her daughters-in-law Smt. Sonia and Smt. Maneka Gandhi for the last three years as per Income-tax Returns submitted by them;

(b) the source of their income as per their statement and the income from each source, year-wise; and

(c) the year upto which assessment of their incomes has been made for Income-Tax purposes and which of them have bank accounts in foreign countires?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) to (c). The information in respect of Smt. Indira Gandhi, S/Shri Sanjay Gandhi, Rajiv Gandhi and Smt. Sonia Gandhi is given in Annexures A, B, C &D.

Smt. Maneka Gandhi has not filed any return of Income-tax.

Statement—I

Shrimati Indira Nehru Gandhi

Statement of Income	Assessment Year		
	1975-76	1976-77	1977-78
(a) Gross total Income returned	1,05,565·85	87,512·89	1,24,481·32
(b) Source of income as per statement :			
(i) Salary .	34,199·00	34,225·25	36,624·00
(ii) Government securities	210·10	210·10	210·60
(iii) Other securities . .	1,681·77	—	—
(iv) Dividends .	3,243·35	8,079·55*	8,126·72*
(v) Interest on fixed deposits .	2,968·75	3,125·00	—
(vi) Annuity .	4,010·00	3,641·25	3,341·25
(vii) Other items i.e. Royalty income and dividend income from units	59,252·88	38,231·74	76,178·75

*It includes dividends on Unit Trust of India which for earlier years have been shown alongwith Royalty income.

TOTAL . . .	1,05,565·85	87,512·89	1,24,481·32
Less deductions claimed under Chapter VIA	14,146·00	5,000·00	5,000·00
Total Income	91,419·85	82,510.00	1,19,481·32

(c) (i) Assessments have been completed upto assessment year 1976-77.

(ii) There is no information available on record with regard to maintenance of any bank account by Smt. Indira Nehru Gandhi in foreign countries.

Statement—II

Shri Sanjay Gandhi

Statement of Income	Assessment Year			
	1974-75	1975-76	1975-76 Original	1976-77 Revised
(a) Gross total Income returned	57,327	90,460	57,691	59,107
(b) Sources of Income as per statement:				
(i) Salary	48,000	50,600	44,500	44,[illegible]
(ii) Dividends	1,298	35,880	10,328	10,328
(iii) Interest	8,029	3,980	4,279	4,279
(iv) Property		(Loss)	1,416	Nil
Gross total income returned	57,327	90,460	57,691	59,107
Less: Deductions claimed under Chapter VIA	11,416	12,576	13,463	13,463
Total Income	45,911	77,884	44,228	45,644

(c) (i) Assessments have been completed upto Assessment year 1976-77.

(ii) There is no information available on record with regard to maintenance of any bank account by Shri Sanjay Gandhi in foreign countries.

Statement—III

Shri Rajiv Gandhi

Statement of Income	Assessment Year		
	1974-75	1975-76	1976-77
(a) Gross total income returned	33,593	36,677	36,057
(b) Sources of income as per statement:			
(i) Salary	33,593	36,677	36,087
(ii) Dividends	—	—	—
(iii) Interest	—	—	—
(iv) Property	—	—	—
Less deductions claimed under chapter VIA	4,964	5,079	6,412
Total income	28,629	31,598	29,645

(c) (i) Assessments have been completed upto Assessment Year 1974-75.

(ii) There is no information available on record with regard to maintenance of any bank account by Shri Rajiv Gandhi in foreign country.

Statement—IV

Shrimati Sonia Gandhi

Statement of Income	Assessment Year		
	1974-75	1975-76	1976-77
(a) Gross total income returned	36,724	40,966	4,995
(b) Sources of income as per statement:			
(i) Salary	35,538	29,200	833
(ii) Dividend	1,154	7,138	1,823
(iii) Interest	32	199	375
(iv) Insurance Commission	—	2,158	1,964
(v) Capital Gains	—	2,271	—
Total Income	36,724	40,966	4,995
Less deductions claimed under Chapter VIA	6,549	10,640	4,995
Total Income	30,175	30,323	Nil

(c) (i) Assessment have been completed upto Assessment Year 1976-77.

(ii) There is no information available on record with regard to maintenance of any bank account by Shrimati Sonia Gandhi in foreign countries.

स्टेनलेस स्टील की चादरों पर आयात शुल्क

3668. **श्री तुलसीदास दासप्पा** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्टेनलैस स्टील की चादरों पर वर्तमान आयात शुल्क में वृद्धि करने के लिये 'स्टेनलेस स्टील रि-रोलर्स' की मांगों पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्टेनलेस स्टील रि-रोलर्स के प्रतिनिधियों की वित्त मन्त्री के साथ हुई बैठक का परिणाम है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सरकार को, स्टेनलेंस स्टील पर आयात शुल्क के बारे में विभिन्न संगठनों और निकायों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कुछ स्टील री-रोलर्स से प्राप्त अभ्यावेदन भी शामिल हैं। अनेक संघों के प्रतिनिधि भी वित्त मन्त्री से मिले हैं। अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद लिये गये निर्णय की घोषणा जल्दी कर दी जायेगी।

राज्य व्यापार निगम का विदेश व्यापार में योगदान

3669. **श्री एस०आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम का वर्ष 1976–77 में भारत के विदेश व्यापार में क्या योगदान रहा और विगत वर्ष की तुलना में इसकी स्थिति क्या थी;

(ख) निर्यात की ऐसी कौनसी नई वस्तुएं हैं जिनमें राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष के दौरान प्रमुख रूप से सफलता प्राप्त की है; और

(ग) उक्त वस्तुओं के इस चालू वर्ष में निर्यात जारी रहने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1975–76 तथा 1976–77 में राज्य व्यापार निगम के निर्यात एवं आयात निम्नोक्त प्रकार रहे :

	1975–76	1976–77 (अनन्तिम)
निर्यात	744 करोड़ रु०	661 (अनन्तिम)
आयात	158 करोड़ रु०	299

(ख) 1976–77 में राज्य व्यापार निगम ने निम्नलिखित नई मदों का निर्यात किया था।

जौ, लकड़ी का कोयला, मछली चूर्ण, स्पार्कलर, बिजली के मीटर, चीनी के क्यूब।

(ग) निर्यात नीति के ढांचे में रहते हुए राज्य व्यापार निगम आशा करता है कि वह ऐसी मदों के अपने कार्य-निष्पादन में सुधार कर सकेगा।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

3670. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा गैर-सरकारी रूप से माल भेजने वालों ने 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान अलग-अलग कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के लौह अयस्क का निर्यात किया तथा गत वर्ष के आंकड़ों से इन आंकड़ों की तुलनीय स्थिति क्या है;

(ख) आयातक देशों के नाम क्या हैं और उनके साथ दीर्घावधि करारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में लौह अयस्क के निर्यात पर कोई रोक लगाने का है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1976-77 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा गोवा के निजी शिपर्स द्वारा लौह अयस्क के निर्यात गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में इस प्रकार हैं :—

मात्रा : दस लाख मी० टन में

मूल्य : करोड़ रु० में

वर्ष	खनिज तथा धातु व्यापार निगम		गोवा के शिपर्स		योग	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1975–76 . .	11.62	128.90	11.15	84.89	22.77	213.79
1976–77 . .	11.74	148.85	11.30 (अनन्तिम)	86.00	23.04	234.85

(ख) भारत से लौह अयस्क का आयात करने वाले देश ये हैं : एशिया में जापान, दक्षिण कोरिया, तथा ताईवान, पूर्वी यूरोप में रूमानिया, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, हंगरी, बल्गारिया, जर्मन जनवादी गणराज्य तथा पश्चिम यूरोप में पश्चिम जर्मनी, इटली, तुर्की तथा मध्य-पूर्व में ईराक, आबुधाबी, कतार। दीर्घावधि संविदाओं के ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं हैं।

(ग) इस समय ऐसी कोई प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात

3671. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1976–77 में प्रत्येक वस्तु की कितनी मात्रा का तथा मूल्य का निर्यात किया एवं किस देश को निर्यात किया तथा ये आंकड़े गत वर्ष के आंकड़ों से किस प्रकार तुलनीय हैं;

(ख) दीर्घावधि ठेकों के अन्तर्गत कितने मूल्य की किस किस वस्तु का निर्यात किया जाता है और इसमें से कितना निर्यात वर्ष के दौरान तदर्थ आधार पर था; और

(ग) नए बाजारों को खोज के लिये किस प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) अनुबन्ध 1 के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें विगत वर्ष की तुलना में 1976–77 के दौरान, खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा विभिन्न मदों के अलग अलग देशों को निर्यात, मात्रा तथा मूल्य सशक्त दिये गए हैं ।

(ख) अनुबन्ध 2 के रूप में एक विवरण संलग्न है जिसमें दीर्घावधि संविदाओं के आधार पर तथा तदर्थ आधार पर निर्यात दर्शाए गए हैं।

(ग) नए निर्यात बाजारों का पता लगाने का, खनिज तथा धातु व्यापार निगम निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। इसमें ये शामिल हैं: बाजार अध्ययन, खरीदारों के साथ सीधा सम्पर्क स्थापित करना तथा ऐसे नए बाजारों में भावी खरीदारों को परीक्षण पोतलदान।

विवरण I

1975–76 तथा 1976–77 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अलग-अलग निर्यात

मात्रा दस लाख मी० टन
मूल्य करोड़ रु० (लगभग)

(क) **लौह अयस्क**

गन्तव्य स्थान	1975–76		1976–77	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	7.215	81.18	7.781	98.88
पूर्वी यूरोप				
रूमानिया	2.032	18.69	1.602	15.45
चैकोस्लोवाकिया	0.403	5.72	0.498	7.53
पोलैण्ड	0.575	7.38	0.329	4.49
बल्गारिया	0.118	1.37	—	—
हंगरी	0.133	1.89	0.192	2.96
जर्मनी (पूर्वी)	—	—	0.289	4.53
यूगोस्लाविया	—	—	0.026	0.43
उप-योग	3.261	35.05	2.036	35.39
प० यूरोप				
हालैण्ड	0.438	5.00	0.138	1.69
जर्मनी (प०)	0.228	2.49	0.239	3.72
बैल्जियम	0.035	0.28	—	—
उप-योग	0.701	7.77	0.377	5.41
अन्य	0.441	4.90	0.644	9.17
महा-योग	11.618	128.90	11.738	148.85

(ख) **मैंगनीज अयस्क**

(मात्रा मे० टन)
मूल्य लाख रु० लगभग

	1975–76		1976–77 (अनन्तिम)	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	7.16	1422.95	7.12	1639.54
स्पेन	0.32	123.05	0.16	66.15
दक्षिण कोरिया .	0.33	142.85	0.47	147.68
चैकोस्लोवाकिया	0.27	63.79	0.29	119.10
अन्य	0.68	227.05	0.24	111.82
योग .	8.76	1979.69	8.28	2084.29 (अनन्तिम)

(ग) **वैराइटिस**

सऊदी अरब	3,810	31.32	32,431	251.60
ईराक . .	7,250	51.55	31,000	200.53
ईरान .	4,010	19.73	58,395	310.04
आबुधाबी . .	——	——	6,000	37.87
दुबाई .	800	5.71	17,200	113.85
अन्य	199	2.00	11,324	104.00
योग	16,069	110.31	1,56,350	1017.89

नोट :—बेराइटिस के निर्यात 14-1-76 से ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत हुए थे।

(घ) **सिल्लीमेनाइट**

प० जर्मनी . . .	——	——	55	0.74
(ङ) **बाक्साइट**				
जर्मन जनवादी गणराज्य . .	——	——	2550	3.12

(मात्रा लाख मे० टन)
मूल्य लाख रु० (लगभग)

(च) **कोयला**

	1975–76		1976–77	
बंगला देश . .	3.60	1432.43	2.74	684.71
बर्मा	0.80	364.06	1.08	322.51
*ताईवान .	——	——	0.77	141.19
*डेनमार्क	——	——	0.21	57.27
फ्रांस .	——	——	0.54	80.32
*हालैण्ड .	——	——	0.20	50.99
*जापान .	——	——	0.04	11.91
*इटली .	——	——	0.22	61.75
*बेल्जियम .	——	——	0.39	99.66
*पाकिस्तान . .	——	——	0.11	62.82
योग	4.40	1796.49	6.30	1573.13

*लागत भाड़ा/लागत बीमा भाड़ा के आधार पर संविदाएं।

विवरण II

लोक सभा में 15 जुलाई, 1977 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 3671 के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

दीर्घावधि संविदाओं तथा तदर्थ आधार पर 1976–77 के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए निर्यात

	दीर्घावधि		अन्य	
	मात्रा लाख मे० टन	मूल्य करोड़ रु० में	मात्रा लाख मे० टन	मूल्य करोड़ रु० में
लौह अयस्क . .	50.00	60.00	67.00	88.85
मैंगनीज अयस्क .	1.53	3.51	6.75	17.33
कोयला . .	——	——	6.30	15.73
बेराइट्स .	——	——	1.56	10.18
			मात्रा मे० टन	मूल्य लाख रु०
सिल्लीमेनाइट . .	——	——	55.00	0.74
बाक्साइट . . .	——	——	2550.00	3.12

सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

3672. **श्री अनन्त दवे** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमाशुल्क अधिकारियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वे भिन्न-भिन्न लोगों के साथ भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं और एक ही वस्तु के लिये जुर्माना भी एक समान नहीं होता है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में दिनांक 2 जुलाई, 1977 के 'ब्लिट्ज़' में "समग्लर्स आल" शीर्ष से छपे समाचार को देखा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) यात्रियों के असबाब की सीमा-शुल्क संबंधी जांच का स्वरूप तथा सीमा, यात्री के पर्यटक होने, उसके असबाब में शुल्क लगने योग्य वस्तुएं होने और अन्य संगत पहलुओं के आधार पर बदलती रहती है। जुर्माना भी एक समान नहीं हो सकता जो संगत कानूनों के उल्लंघन के स्वरूप, गंभीरता और गुरुता के आधार पर अलग-अलग प्रकार से लगाया जाता है। तथापि जुर्माने में भिन्नताओं को भेदमूलक नहीं समझा जा सकता है।

(ख) 2 जुलाई, 1977 के "ब्लिट्ज़" में प्रकाशित सम्पादक के नाम एक पत्र सरकार की जानकारी में आया है।

(ग) यात्रियों के असबाब की तेज गति से और निर्बाध रूप से निकासी सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर अनेक उपाय किये गये हैं, जैसे कि सीमाशुल्क कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना, असबाब और अन्य संगत नियमों को समीक्षा करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिक प्रभावी पर्यवेक्षण करना, आदि। इन उपायों की सतत समीक्षा की जाती है।

डाकघरों में छोटे बचत लेखे

3673. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में छोटे बचत लेखों की अधिक प्रचार, अधिक सुविधायें, अधिक व्याज तथा इसी प्रकार के उपायों की सहायता से वृद्धि की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). विभिन्न अल्प बचत योजनाओं की बराबर समीक्षा की जाती है और उन्हें अधिक आकर्षक और लोकप्रिय

बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाये जाते हैं। पिछले वर्ष के दौरान किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) गांवों में बचतों की रकमें जुटाने के काम को सरल बनाने के विचार से सहकारी संस्थाओं, सहकारी बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने सदस्यों और ग्राहकों की ओर से खाते खोले जाने की व्यवस्था करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है।

(2) आवर्ती जमा रकमों और राष्ट्रीय बचत पत्रों (पांचवां निर्गम) के परिपक्वता मूल्यों में पहली अक्टूबर, 1976 से यथोचित वृद्धि कर दी गई ताकि उनसे उतना ब्याज मिल सके जितना सरकारी क्षेत्र के बैंक देते हैं।

(3) पहली अप्रैल, 1976 से एक नई राष्ट्रीय बचत वार्षिकी योजना शुरू की गई है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति इकट्ठी अथवा किस्तों में रकम जमा करा सकता है और इसके बदले उसे सात वर्ष तक हर महीने रकम मिलती रहेगी और उसके बाद उसे कुछ प्रीमियम के साथ जमा कराई गई सारी रकम अदा कर दी जाएगी।

(4) डाकघर सावधि जमा खातों में धनराशि जमा कराने वालों को (क) परिपक्वता के बाद रकम फिर से जमा कराने और (ख) परिपक्वता से पहले खाता बन्द करने की अतिरिक्त सुविधाएं दी गई हैं।

(5) रेल तथा डाक-तार विभागों के पेंशन भोगियों के लिए डाकघर बचत बैंकों के माध्यम से पेंशनों के भुगतान की व्यवस्था शुरू की गई है।

(6) एजेंटों को देय कमीशन की दरों में पहली जुलाई, 1976 से वृद्धि की गई है।

(7) डाकघर बचत बैंक के खाताधारियों को उनके खातों में कम से कम 200 रुपए की रकम जमा रखे रहने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रयोजन से अक्टूबर, 1973 में शुरू की गई डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना को जारी रखा गया। वर्ष में दो बार इनाम निकाले जाते हैं। प्रत्येक ड्रा में लगभग 20 लाख रुपए के कुल मूल्य के 11,000 से अधिक इनाम निकाले जाते हैं जिनमें 1 लाख रुपए का पहला इनाम शामिल है।

अल्प बचत योजनाओं का प्रचार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है जैसे आकाशवाणी के रेडियो स्पाट और वाणिज्यिक प्रसारण सेवा के स्पांसर्ड कार्यक्रम, समाचार पत्रों में विज्ञापन, विवरणिकाओं और पुस्तिकाओं का वितरण, बसों और उपनगरीय रेलों पर पट्टों द्वारा विज्ञापन तथा प्रदर्शनियों और मेलों में स्टाल लगाना।

Replacement of Sales-tax by single point tax/excise duty/tax at the source of production

3674. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether in order to bring uniformity in the sales tax and save the traders and consumers from unnecessary inconvenience and to save the excessive expenditure, Government propose to levy single point tax/excise duty/tax at the source of production in lieu of the sale tax levied at present; and

(b) if so, by what time that would be done?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) & (b) Sales tax is a State subject of taxation under the Constitution. Any policy to make changes in the present system of levy of sales tax would have to be formulated in consultation with the State Governments/Union Territories. The Indirect Taxation Enquiry Committee under the Finance Ministry is reviewing the structure of all the indirect taxes—Central, State and local and its report is expected by December, 1977. A decision in regard to changes in the structure of Sales tax and alternative sources of revenue will be taken in consultation with the States and in the light of the recommendations of the Committee referred to above, as early as possible.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कम्पनियों को धन जमा करने के बारे में जारी किये गये निदेश

3675. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने कम्पनियों को धन जमा करने के बारे में कोई नये निर्देश जारी किये हैं;

(ख) क्या यह निदेश निवेश कम्पनियों और गैर-बैंककारी कम्पनियों पर भी लागू होगा; और

(ग) यदि हां, तो यह निदेश कम्पनियों के लिये कहां तक सहायक सिद्ध होगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). भारतीय रिजर्व बैंक नें सूचित किया है कि उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को, जिनमें निवेश कम्पनियां, ऋण कम्पनियां, किराया-खरीद वित्तीय कम्पनियां, आवासन कम्पनियां और परस्पर लाभ वित्तीय कम्पनियां शामिल हैं, तथा विविध गैर-बैंकिंग कम्पनियों को, जिनमें परम्परागत चिटों तथा इनामी चिटों/लाभ अथवा बचत योजना को चलाने वाली कम्पनियां शामिल हैं, निदेशों का एक नया सेट जारी किया है।

(ग) निदेशों का यह नया सेट भारतीय रिजर्व बैंक ने जनहित में जारी किया है। इन निदेशों का उद्देश्य है कि कम्पनियों की शुद्ध निधि से जोड़कर और कुछ मामलों में जमाएं स्वीकार करने की अवधि को सीमित करके, कम्पनियों द्वारा स्वीकार की गयी अप्रतिभूत जमाओं को विनियमित किया जाय।

कम्पनियों द्वारा पूंजी जुटाना

3676. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात कम्पनियों को हाल में 323 लाख रु० की पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रत्येक कम्पनी को कितनी पूंजी जुटाने की अनुमति दी गई है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इन कम्पनियों के नामों तथा उनके द्वारा जुटाई जाने वाली अनुमत राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	जुटाई जाने वाली पूंजी की अनुमत राशि (लाख रुपए)
1.	बैंकेलाइट हाईलेम लिमिटेड . . .	107.97
2.	इंडस्ट्रियल परफ्यूम्स लिमिटेड . . .	25.50
3.	भारत बिजली लिमिटेड	26.67
4.	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड . .	50.00
5.	स्टेरीवेयर (प्राइवेट) लि० . . .	1.94
6.	सरसन इंडस्ट्रीज प्रा० लि० . . .	8.93
7.	अजन्ता ट्यूब्स लि० .	102.00
	जोड़ . .	323.01

बेनिफिट एण्ड चिटफण्ड कम्पनियां

3677. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कथित "बेनिफिट कम्पनियों" और "चिट फण्ड कम्पनियों" पर रोक लगाने और जहां कहीं सम्भव हो उन के उन्मूलन के बारे में सरकारी कार्रवाई के परिणाम सन्तोषजनक निकले हैं; और

(ख) यदि हां, तो अब तक के परिणामों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) लाभ कम्पनियों सहित चिट फण्ड कम्पनियों द्वारा जमाएं स्वीकार किये जाने के कार्य का विनियमन, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय 111 (ख) के अधीन मिले अधिकारों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाता है। रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके द्वारा जारी किये गये निदेशों के उपबन्धों का उल्लंघन करने पर उक्त प्रकार की कम्पनियों के विरुद्ध उसके मुकदमे की कार्रवाई आरम्भ करने और उसके द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किये जाने के परिणामस्वरूप कुछ कम्पनियों ने नई योजनाएं आरम्भ करना बन्द कर दिया है किन्तु वर्तमान योजनाओं का काम बन्द करने के लिए समय मांगा है। आगे रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने आठ कम्पनियों के बारे में निषेधात्मक आदेश जारी किये हैं, छब्बीस कम्पनियों के विरुद्ध मुकदमें की कार्रवाई आरम्भ की है और चौरानवें अन्य कम्पनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।

कलकत्ता स्थित सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से 40 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट

3678. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता की एक कम्पनी ने जिसमें भूतपूर्व बैंकिंग मंत्री, श्री प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निदेशक होना बताया जाता है, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से लगभग 40 लाख रुपये का ओवरड्राफ्ट प्राप्त किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इसके कार्यकरण में किन-किन अन्य अनियमितताओं का पता चला है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसके बैंक में ऐसे किसी प्रतिष्ठान का ऋण खाता नहीं है, जिसमें श्री प्रणब कुमार मुकर्जी की पत्नी श्रीमती मुकर्जी निदेशक अथवा भागीदार है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

शिवरामन समिति की सिफारिश

3679. **श्री के० ए० राजन :**
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विभिन्न कपड़ों के उत्पादन के लिये हथकरघा क्षेत्र को दिया गया संरक्षण प्रभावी रूप से प्रवर्तित नहीं किया जाता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हथकरघा क्षेत्र को बचाने के लिये शिवरामन समिति की सिफारिश को प्रवर्तित करने हेतु तत्काल कदम उठाने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : आरक्षण आदेशों के कुछ उल्लघनों की सूचना मिल रही है और राज्य सरकारें इन उल्लघनों के सम्बन्ध में आरक्षण आदेश के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर रही है । तथापि आरक्षण आदेश का पालन और अधिक प्रभावी रूप से किया जाना जरूरी है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे और अधिक सतर्क रहें और इन आरक्षण आदेशों का कठोरतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

अनबिका हथकरघा कपड़ा

3680. **श्री के० ए० राजन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को पता है कि देश भर में हथकरघा कपड़े का भारी स्टाक अनबिका पड़ा हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार रक्षा एवं अन्य सरकारी विभागों को हथकरघा कपड़ा खरीदने को कहने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) हथकरघा उत्पादों के भारी मात्रा में जमा हो जाने की सूचना फरवरी 1977 में मिली थी । इस माल को अधिकांशत: मार्च--अप्रैल, 1977 के दौरान 20 प्रतिशत छूट देकर निकाल दिया गया है । अब बड़ी मात्रा में जमा माल को कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) हथकरघा क्षेत्र को सरकारी विभागों की जिन में रक्षा विभाग भी ामिल है, कपड़े की आवश्यकताओं के अधिकाधिक भाग को उत्तरोत्तर पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए पहले ही कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है ।

गोआ के लौह अयस्क तथा मैंगनीज उत्पाद के व्यापार का खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से किया जाना

3681. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पुर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ के लोह अयस्क तथा मैंगनीज उत्पाद के सभी निर्यातों को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से करने का सरकार का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : मैंगनीज अयस्क का समग्र निर्यात, जिसमें गोआ का मैंगनीज अयस्क भी शामिल है, पहले से ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है ।

गोआ के लौह अयस्क के निर्यात को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से ही मार्गीकृत करने की कोई प्रस्थापना फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

भिन्न-भिन्न देशों के साथ व्यापार

3682. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार में परिवर्तन होने के कारण भारत और भिन्न-भिन्न देशों के बीच व्यापार में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन महीनों के दौरान कुल कितना घाटा हुआ अथवा व्यापार में कितनी कमी आई और किन-किन देशों के साथ व्यापार में कमी आई हैं ;

(ग) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) उनके साथ व्यापार में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ) : कुल व्यापार में गिरावट और सरकार में परिवर्तन के बीच कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है ।

विदेश व्यापार के सम्बन्ध में अद्यतन अस्थायी सरकारी आंकड़े अप्रैल-मई 1977 की अवधि के लिए हैं । 1976 के उन्हीं महीनों से तुलना करने पर देश से हुए निर्यात 4 प्रतिशत अधिक रहे हैं और आयात 17 प्रतिशत कम रहे हैं । विदेश व्यापार के देशवार आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

सरकार की यह नीति है कि सभी देशों के साथ व्यापार बढ़ाया, सुधारा तथा संबर्धित किया जाए । इस प्रयोजनार्थ अनेक कदम उठाये गये है, जिनमें ये शामिल हैं ; संयुक्त आर्थिक आयोगों की स्थापना, विदेशों में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों तथा निर्यात मदों का पता लगाना और अन्य निर्यात संबर्धन उपाय जैसे शुल्क वापसी, नकद मुआवजा समर्थन, निर्यात वित्त की व्यवस्था, क्वालिटी नियंत्रण और आयातित तथा घरेलू निविष्ट साधनों की सप्लाई ।

आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

3683. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात-स्थिति समाप्त करने के पश्चात आयकर अधिकारियों ने छापे मारना बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं !

(ग) क्या वे आयकर के छापे विगत काल में आंध्र प्रदेश, तमिल नाडु और कर्नाटक राज्यों में नहीं मारे गये थे ; और

(घ) क्या सरकार का विचार समूचे देश में ऐसे छापे मारने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) विगत समय में आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों में भी छापे मारे गये थे । वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान तलाशी लेने तथा माल पकड़ने के मामलों की संख्या निम्नानुसार है :—

	1975–76	1976–77
आन्ध्र प्रदेश	105	148
कर्नाटक	65	105
तमिलनाडु	152	269

(घ) जहां उचित समझा जाता है, तलाशी लेने तथा माल पकड़ने की कार्यवाही आय-कर प्राधिकारियों द्वारा की जाती है ।

भारत-जर्मन व्यापार

3684. **श्री आर० पी० स्वामीनाथन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1976 में भारत-जर्मन व्यापार दुगुना हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ;

(ग) अन्य किन-किन देशों के साथ व्यापार दुगुना हो गया है ;

(घ) जिन देशोंके साथ भारत के व्यापार में अभी तक सुधार नहीं हुआ है उन के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ङ) क्या उन के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये कोई नये प्रोत्साहन दिये गये हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) (क) तथा (ख) : भारत-जर्मन व्यापार 1976–77 (अप्रैल, फरवरी) के दौरान, 1975–76 की उसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ गया है ।

(ग) निम्नोक्त देशों के साथ हमारा व्यापार दुगुना हो गया है: आस्ट्रिया, फिनलैंड, टर्की, मोरिटानिया, रियूनियन, अपर वोल्टा, पश्चिम अफ्रीका, स्पेनिश, बुरुंडी, गिनी, इथोपिया, आबुधाबी, डुबाई, कुवैत, लिबिया, आस्ट्रेलिया, हांगकांग ताईवान, लाओस तथा वियतनाम।

(घ) सभी देशों को निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम ये हैं : बाजार सर्वेक्षण करना, बिक्री प्रतिनिधिमंडल भेजना, भारतीय प्रदर्शनियां लगाना, अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना, वाणिज्यिक प्रचार, सुलभ ऋण देना, व्यापार करार करना, सरकारी स्तर पर व्यापार वार्ताएं करना, अन्तर्राष्ट्रीय निविदाओं के लिए टैंडर भरना, निर्यात संवर्धन संगठन के खोलना कतिपय पश्चिम यूरोपीय देशों के साथ वाणिज्यिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पाद अनुकूलन करना, मुख्यत: पूर्व यूरोप में रुपया व्यवस्था वाले देशों के साथ प्रतिवर्ष वर्धित स्तर पर व्यापार योजनाओं को अन्तिम रूप देना, निर्यातकों को विभिन्न प्रोत्साहन देना, क्वालिटी नियंत्रण तथा उत्पादन अन्तर्निविष्टों

को मानीटर करना; हमारे वाणिज्यिक मिशनों के जरिए विदेशी व्यापारियों तथा सरकारों के साथ उच्च स्तरीय सम्पर्कों को प्रोत्साहित करना और हमारे वाणिज्यिक मिशनों तथा अन्य स्रोतों के जरिये जानकारी एकत्र करना तथा उसका प्रसार करना ।

(ङ) जी नहीं ।

वर्ष 1977–78 के दौरान निर्यात

3685. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 के दौरान इंजीनियरिंग का सामान, हथकरघा वस्तुयें, सिंथेटिक वस्त्र, वस्त्र मशीनरी, मशीनी औज़ार, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का सामान, निर्यात की वस्तुएं, टेलीफोन उपकरण तथा ऊनी बुने हुए कपड़ों के निर्यात के लिये वर्तमान सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है ; और

(ख) वर्ष 1977–78 की पहली तिमाही के दौरान उपरोक्त वस्तुओं का वास्तविक निर्यात कितना है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) निर्यात लक्ष्य सामान्यत: मुख्य उत्पाद समूहों के सम्बन्ध में निर्धारित किए जाते हैं । 1977–78 के लिये इंजीनियरी माल (जिसमें वस्त्र मशीनें, मशीनी औजार, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के निर्यात टेलीफोन उपस्कर शामिल हैं) के निर्यात लक्ष्य अस्थायी रूप में 625 से 650 करोड़ रु० तक और वस्त्रों (जिनमें हथकरघा, संश्लिष्ट वस्त्र तथा ऊनी निटवियर शामिल है) के निर्यात लक्ष्य 745 से 755 करोड़ रु० तक रखे गये हैं ।

(ख) इस समय 1977–78 की पहली तिमाही के सम्बन्ध में वस्तुवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

वस्त्र व्यापार में मन्दी

3686. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकरिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र व्यापार में, विशेषकर दिल्ली में, मन्दी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दिल्ली में कितने वस्त्र एककों को बन्द कर दिया गया है ; और

(ग) सिले-सिलाये वस्त्रों के व्यापार को निर्यात प्रयोजन हेतु प्रोत्साहन देने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क)तथा (ख) विदेश स्थित बाजारों में मांग में गिरावट आने की वजह से परिधानों के व्यापार में मंदी आई है । चूंकि, परिधान एकक स्थापित करने के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती और अन्यथा

भी सभी एकक स्थानीय प्राधिकारियों के पास पंजीयित भी नहीं थे, इसलिए परिधान एककों के बंद होने के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सरकार, कतिपय महत्वपूर्ण आयातकर्ता देशों द्वारा परिधानों पर लगाए गए प्रतिबन्धों को समाप्त कराने के लिए प्रयास कर रही है । सं० रा० अमरीका ने हाल में सूती हथकरघा परिधानों पर से प्रतिबन्ध हटा लिए हैं । इसके अतिरिक्त, परिधानों के निर्यात उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने अलग से एक परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् गठित करने का विनिश्चय किया है ।

हथकरघा बुनकर

3687. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान हथकरघा बुनकरों की सूत की अनुमानित मांग क्या थी और उन्हें वास्तव में कितना सूत सप्लाई किया गया ;

(ख) हथकरघा बुनकरों को उचित मूल्यों पर सूत की उचित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ग) उस वर्ष के दौरान इस क्षेत्र की बेकार पड़ी क्षमता अनुमानतः कितनी थी और उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए; और

(घ) इन बुनकरों को लाभ कर मजूरी देना सुनिश्चित करने हेतु आगे क्या कार्यवाही करने पर विचार किया गया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1976 के वर्ष में मिलों ने हथकरघा बुनकरों को सप्लाई करने के लिए 23.3 करोड़ कि० ग्रा० हैंक धागा दिया था । इस उद्योग के बहुत ज्यादा विकेन्द्रीकृत होने के कारण और कार्यकाल में विभिन्नता होने के कारण मांग का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ख) बुनकरों को धागे की पर्याप्त सप्लाई प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव होने की कोई सूचना नहीं मिली है । परन्तु गत कुछ समय से धागे की कीमतें बढ़ रही हैं । सरकार ने इस परिस्थिति का सामना करने के लिए सूती तथा मानव निर्मित रेशों की भारी मात्राओं का निर्यात करके और मिलों द्वारा उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा कर अनेक उपाय किए हैं । इसके अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिलों, सरकारी कताई मिलों, मिल ओनर्स एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों से हाल ही में बातचीत की है और वे हथकरघा बुनकरों को उचित कीमतों पर विपुल मात्रा में धागा उपलब्ध कराने के लिए और यदि मिलों से सीधा वितरण करने हेतु आवश्यक हो तो, यार्न डिपों खोलने के लिए भी सहमत हो गए हैं ।

(ग) इस क्षेत्र में क्षमता के उपयोग की मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, परन्तु यह पता है कि माल की मांग मौसमी होने के कारण और अन्य कारणों से मजबूरन बेकारी की कुछ अवधियां तो होती ही हैं । विशेष गहन तथा निर्यात परियोजनाओं के आरम्भ किए जाने के परिणाम-

स्वरूप और ऋण व्यवस्था तथा बिक्री व्यवस्था में सुधार के लिए किए गए प्रबंधों के कारण बेकार क्षमता कम होती जा रही है । इस क्षेत्र को हैंक धागे की पूर्ति में गत कुछ वर्षों से वृद्धि हो रही है इससे भी पता चलता है कि करघे अधिक क्रियाशील हैं ।

(घ) विभिन्न विकास कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं जिसमें अन्तर्साधनों की नियमित सप्लाई और हथकरघा उत्पादों के विपणन की संम्भावनाओं में सुधार करना शामिल है । इनका मंजूरी के स्तर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की आशा है ।

अशोक होटल में घूमनेवाली टावर में रेस्टोरेंट

3688. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम ने अशोक होटल में घूमने वाली टावर में रेस्टोरेन्ट के निर्माण सम्बन्धी अपने प्रस्ताव का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) अशोक होटल में एक रिवाल्विंग टावर रेस्टोरेंट के निर्माण की प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन को साधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण स्थगित कर दिया गया है ।

कनाडा को निर्यात में वृद्धि

3689. **श्री के० लकप्पा**: क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के गत वर्षों में कनाडा को भारत के निर्यात में सराहनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) तथा (ख) हाल में कनाडा को निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । भारतीय निर्यात 1975–76 में 42.36 करोड़ रु० के थे जो 1976–77 में बढ़कर 48.39 करोड़ रुपये के हो गये, इस प्रकार उनमें लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई । जिन मदों में वृद्धि हुई है, वे हैं : काजू, तिलहन एवं नट, फुटवियर सहित चमड़ा माल, वस्त्र और धातु निर्मित माल ।

दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यात्रियों की बुकिंग

3690. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स अब मुख्य अथवा राष्ट्रीय आन्तरिक मुख्य मार्गों के लिए उन यात्रियों की बुकिंग नहीं कर रही है जो एयर इंडिया के बोइंग विमान से यात्रा करना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बुकिंग को इस प्रकार बन्द कर देने से इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया को वित्तीय हानि हुई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार बुकिंग करने की पुरानी प्रथा को पुन: आरम्भ करने का है जिससे राजस्व में और होने वाली हानि को कम किया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । अंतर्देशीय मार्गों अर्थात् बम्बई दिल्ली बम्बई, बम्बई कलकत्ता बम्बई, तथा बम्बई मद्रास बम्बई, पर एयर इंडिया की धारिता की बिक्री इंडियन एयरलाइन्स करती है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

पर्यटकों की देशवार संख्या

3691. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975, 1976 और 1977 के पहले छ: महीनों में भारत में कुल कितने विदेशी पर्यटक आए ;

(ख) ये पर्यटक किन-किन देशों से आए ;

(ग) भारत में यह पर्यटक औसतन कितनी अवधि के लिये रुके और उन्होंने सामान्यतया किन-किन ऐतिहासिक रुचि और रमणीक दृश्य के स्थलों की यात्रा की; और

(घ) इस अवधि के दौरान उन से वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 1975, 1976, तथा 1977 के पूर्वार्ध में भारत आये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या
1975	465,275
1976 . .	533,951
1977 (जनवरी-जून)	282,449

(ख) 1975, 1976 के वर्षों तथा 1977 की पहली तिमाही (जनवरी—मार्च) में भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की राष्ट्रिकृत–वार संख्या विवरण–I में दी गयी है । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी.—716/77] 1977 की दूसरी तिमाही (अप्रैल—जून) के राष्ट्रिकता-वार आंकड़ों की गणना अभी की जानी है ।

(ग) 1975 तथा 1976 के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के भारत में ठहरने की औसत अवधि क्रमशः 27.1 तथा 27.2 दिन थी। अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों द्वारा घूमे गये ऐतिहासिक रुचि तथा प्राकृतिक सौंदर्य के स्थानों का ब्यौरा विवरण–II में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—716/77] बाद के काल में ठहरने की अवधि के बारे में सूचना परिकलित की जा रही है।

(घ) 1975 तथा 1976 में पर्यटन से क्रमशः 104.2 करोड़ तथा 225.0 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होने का हिसाब लगाया गया है। 1977 के पूर्वार्ध के लिए पर्यटन से हुई विदेशी मुद्रा की आय का अनन्तिम अनुमान 119.0 करोड़ रुपये लगाया गया है

श्रीनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे म बदलना

3692. **डा० कर्ण सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देशी पर्यटन

3693. **डा० कर्ण सिंह :** क्य **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देशी पर्यटन के महत्व को देखते हुए प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थानों में तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार करने के लिये विशेष प्रयास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) तीर्थ यात्रियों के लिये प्रमुख धार्मिक केन्द्रों पर सुविधाएं प्रदान करने के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व तथा रमणिक प्राकृतिक दृश्य के स्थानों पर भी यात्रियों के लिये सुविधायें प्रदान करने का सरकार का प्रयत्न होगा। इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह निर्धारित करने के लिए कि कौन-कौन से ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक दृश्यात्मक, एवं धार्मिक महत्व के स्थानों पर विकास कार्य आरम्भ किया जाये और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों में चुने हुए स्थानों पर किस प्रकार और किस वर्ग की

2007 LS—7.

पर्यटन सुविधायें उपलब्ध करायी जायें, राज्यवार आधार पर एक पर्यटन संभाव्यता सर्वेक्षण हाथ में लेने का प्रस्ताव है । छठी योजना की स्कीमों को तैयार करने की तैयारी के रूप में चालू वित्तीय वर्ष में ही इस सर्वेक्षण को हाथ में लेने और पूरा करने का प्रस्ताव है ?

जनता की जमा राशियों पर ब्याज की दरें कम करने के लिये कम्पनियों का निर्णय

3694. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों ने जनता की जमा राशियों पर ब्याज की दरें कम करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस से मध्य वर्ग की बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) गैर बैंकिंग कंम्पनियों द्वारा स्वीकार की गई जमाओं पर उनके द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर का नियमन न तो गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों के मामले में कम्पनी (जमाओं को स्वीकार करना) नियम 1975 के द्वारा किया जाता है और न ही गैर बैंकिंग वित्तीय और विविध गैर बैंकिंग कम्पनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। फिर भी रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि समाचार पत्रों के माध्यम से उसके ध्यान में यह बात आई है कि कुछ बड़ी-बड़ी गैर वित्तीय कम्पनियों ने जमाओं पर ब्याज की दर में आधे प्रतिशत से एक प्रतिशत तक की कमी की है।

(ख) बैंक जमाओं की तुलना में गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जुटाई गई मात्रा की राशि थोड़ी है। इसलिए कुछ गैर बैंकिंग गैर वित्तीय कम्पनियों द्वारा ब्याज की दर में किये गये परिवर्तन से मध्यम वर्ग की जमाओं पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विलय

3695. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का एक निगम के रूप में विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी माध्यम से आयात करने के लिए दो पृथक् निगम रखने का क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज एवं धातु व्यापार निगम के कार्य क्षेत्र सुनिर्धारित तथा अलग-अलग हैं। कारोबार की मात्रा तथा विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए इनमें से प्रत्येक द्वारा संभाली जा रही वस्तुएं निश्चित हैं तथा उनके कार्य न तो एक-दूसरे के क्षेत्र में आते हैं और न उनका कोई टकराव ही है।

सेलम में असैनिक हवाई अड्डा

3696. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम के एक औद्योगिक केन्द्र के रूप में बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखते हुए सेलम, जिले में एक असैनिक हवाई अड्डे का निर्माण करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Forward Marketing in Cotton, Wheat etc.

3698. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce on regular basis forward marketing in cotton, wheat, oilseeds, silver, coconut, parched paddy provision in the country and if so, when and how;

(b) the action taken or proposed to be taken by Government so far in regard to forward marketing; and

(c) whether representation have been received for introducing forward marketing and if so, from whom and from where these representations were received as also the dates on which these were received and the action taken by Government thereon?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) (a) There is at present no such proposal under consideration of the Government.

(b) Forward Marketing, is regulated by the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952. The Forward Markets Commission, a statutory organisation under this Ministry, is responsible for the administration and enforcement of the provisions of the FC(R) Act, 1952 and it regulates forward marketing in various commodities. There is an Enforcement Directorate under the Forward Markets Commission for checking and taking action to curb illegal trading.

(c) The details of the representations are given in the statement at Annexure. (Placed in the Library *see* No L.T.—717/77]. The representations received careful consideration, in consultation with and advise of the Forward Markets Commission, Bombay.

Modernisation of Aerodromes

3699. **Shri Dharamsinhbhai Patel :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) the expenditure proposed to be incurred in the Fifth Five Year Plan on the modernisation of aerodromes for enabling the big aeroplanes to land and take off from these aerodromes;

(b) the expenditure, out of it, incurred on Porbander, keshod, Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, Bhuj aerodromes during the Fifth Five Year Plan and when the remaining expenditure would be incurred as also the items of work on which it would be incurred; and

(c) whether there is a scheme for the continued use of keshod and Porbander aerodromes during the monsoons also and if so, the details thereof?

The Minister for Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) (a) The expenditure proposed to be incurred during the Fifth Five Year Plan period on the modernisation of the airports in the country is Rs. 86.95 crores approximately.

(b) The expenditure so far incurred on Porbander, Keshod, Rajkot, Jamnagar, Bhavnagar, and Bhuj aerodromes during the 5th Five Year Plan is Rs. 46.52 lakhs. During the remaining portion of the Fifth Plan period an expenditure of Rs. 45·95 lakhs is anticipated to be, incurred on buildings for Non Directional Beacons at Bhavnagar and Bhuj, provision of jeeps, ambulances, fire tenders at all the six aerodromes mentioned and for resurfacing of runway at, Rajkot.

(c) Existing Indian Airlines flights to keshod and Porbandar will continue to operate during the monsoons also.

जीवन बीमा निगम द्वारा मारुति को दिया गया धन

3700. **श्री अनन्त देव:** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेसर्ज मारुति अथवा भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पुत्र श्री संजय गांधी की मिल्कियत वाली अथवा नियन्त्रणाधीन मारुति की सहयोगी कम्पनियों अथवा जहां संजय गांधी का कोई हित था को कुल कितना धन दिया;

(ख) ये राशियां किन-किन प्रतिभूतियों पर दी गईं;

(ग) इस प्रकार दी गई राशि पर जीवन बीमा निगम क्या ब्याज दर वसूल कर रहा है;

(घ) क्या ब्याज इस बीच पूरा-पूरा चुका दिया गया है और क्या इस प्रकार दी गई राशि की कोई किश्त चुकता कर दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने न तो मेसर्स मारुति लिमिटेड को और न उसकी किसी सहायक कम्पनी को कोई ऋण दिया है। निगम ने उपर्युक्त कंपनियों के शयरों में भी कोई पूंजी नहीं लगाई है।

(ख) से (ङ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

खली का निर्यात

3701. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1977 के "पैट्रियट" में "सम फिशी फैक्ट्स अबाउट आयल-केक एक्सपोर्टस" (खली के निर्यात सम्बन्धी कुछ सन्देहास्पद तथ्य) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस घोटाले वाले सौदे का व्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन निर्यातकर्ताओं के बिरुद्ध कार्यवाही की है जो इस घोटाले में भागीदार थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 1976–77 के लिये बिनौलों के निस्सारणों तथा कोल्हू की खली के लिये नकद सहायता नीति के अनुसार जो कि मार्च, 1976 में घोषित की गई थी, निस्सारणों पर एफ०ओ०बी० मूल्य के $22\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर पर और कोल्हू की खली पर एफ०ओ०बी० मूल्य के $17\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर पर नकद सहायता देय है और वह पहले एक लाख मे० टन के निर्यातों के बाद ही देय है पर शर्त यह है कि निर्यात $2\frac{1}{2}$ लाख मे०टन से कम नहीं होने चाहिए। बिनौले के निस्सारणों और कोल्हू की खली के निर्यातों पर नकद सहायता बिनौले के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है। अखिल भारतीय काटनसीड्स क्रशर्स एसोसिएशन ने जिसकी मार्फत निर्यात मार्गीकृत हैं दिसम्बर, 1976 के अंत में यह अभ्यावेदन किया था कि कई कारणों से जिनमें रुई की फसल कम होना भी शामिल है उनके लिये लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं होगा और लक्ष्य को कम कर दिया जाये। एसोसियेशन के अनुरोध पर विचार किया गया परन्तु सरकार भूतलक्षी प्रभाव से नकद सहायता देने के विरुद्ध थी। 23 फरवरी, 1977 को यह फसला किया गया कि मार्च, 1977 में किये जाने वाले निर्यातों पर नकद सहायता वर्णित क्रम से दी जायेगी। 1977–78 के लिये बिनौला निस्सारणों के निर्यातों की नीति पर भी निर्णय किया गया और मार्च, 1977 में निर्यातों को अधिकतम करने के लिये प्रोत्साहन की दरें आनुपातिक थीं।

2. केलेंडर वर्ष की प्रथम तिमाही बिनौला चूर्ण के लिये मुख्य निर्यात मौसम है। अतः यह बात कोई असाधारण नहीं है कि मार्च, 1977 के निर्यात अन्य महीनों से काफी अधिक थे। विशेषकर जबकि नकद सहायता का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया गया था। मार्च, 1977 में वास्तविक निर्यात 48,640 मे० टन थे जबकि मई, 1976 से मार्च, 1977 तक कुल निर्यात 1.48 लाख मे० टन थे।

3. नकद सहायता देने का उद्देश्य निर्यातों के स्तर को बढ़ाना और बिनौले के तेल का अधिकतम उत्पादन करवाना था। देय राशि 115 लाख रु० बैठती है जो कि मार्च के महीने में निर्यातों के मूल्य का 16 प्रतिशत है। कुल 53 निर्यातकों में केवल 13 निर्यातक ऐसे थे जिन्होंने केवल मार्च, 1977 में निस्सारणों/खलियों का निर्यात किया था और उससे पहले के महीनों में नहीं किया था। वे बिल्कुल नई पार्टियां नहीं हैं अपितु वे अखिल भारतीय काटन सीड्स क्रशर्स एसोसिएशन के पुराने सदस्य हैं। अतः यह अभिकथन निराधार है कि निर्यातकों में से अधिकांश नई पार्टियां हैं।

4. इस आशय के बहुत से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि एसोसिएशन को दी जाने वाली नकद सहायता उन सभी एककों में उचित तरीके से बांटी जानी चाहिए जिन्होंने वर्ष के दौरान निर्यात किये थे। इस प्रश्न पर फैसला होने तक एसोशिएशन को नकद सहायता की अदायगी रोक दी गई। एसोसिएशन को अध्यक्ष तथा प्रबन्ध समिति ने अब एक ऐसी वितरण योजना का प्रस्ताव रखा है जिसके अनुसार एककों को मई, 1976 से मार्च, 1977 की पूरी अवधि में किये गये निर्यातों के आधार पर नकद सहायता दी जाये और केवल मार्च, 1977 में किये गये निर्यातों के आधार पर नकद सहायता न दी जाय। सरकार ने इस नीति का अनुमोदन कर दिया है।

नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी के ऋण प्रस्ताव पर स्वीकृति देने के लिये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बैठक

3702. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात–नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी के ऋण प्रस्ताव पर स्वीकृति देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के बोर्ड की एक विशेष बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख). "गुजरात–नर्मदा वैली फर्टीलाइजर कम्पनी लिमिटेड" को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी०बी०आई०) की कार्यकारी समिति की 28–3–77 को हुई बैठक में विचार किया गया था, परन्तु इस प्रस्ताव पर भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा देय आश्वासनों/गारंटियों विषयक ऐसे कुछ स्पष्टीकरण दिये जाने तक, जिनके आधार पर अन्तरिम सहायता का प्रस्ताव किया गया था, निर्णय स्थगित कर दिया गया। क्योंकि इस कम्पनी को पश्चिम जर्मनी की एक फर्म क्रेडिट्स्टंस्ल्ट फार-विडरौफबाओ के साथ विदेशी मुद्रा ऋण करार को अन्तिम रूप देना था तथा इस परियोजना के लिये रुपयों में वित्तीय सहायता का प्रबंध करना था, इसलिये सिद्धान्ततः इस परियोजना के वास्ते 60 करोड़ रुपये के सावधिक ऋण (रुपयों में) की वित्तीय सहायता स्वीकार करने और 12 करोड़ रुपयों के साम्या (इक्विटी) शेयरों की हामीदारियां (अंडरराइटिंग) देने के लिये, बशर्ते कि उक्त आश्वासन/गारंटियां भारत सरकार और गुजरात सरकार द्वारा दे दी जायें; 6 अप्रैल 1977 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की कार्यकारी समिति की एक विशेष बैठक बुलाई गई थी।

Introduction of Cooperatives as a subject in Schools and Colleges

3703. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether the cooperatives have become essential part of society in India to-day and their need is being recognised in every field of activity; and

(b) if so, whether his Ministry has taken up with the Education Ministry the question of introducing cooperatives in the schools and colleges as a subject and teaching its theory and practical aspects in the schools and colleges?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) This Ministry as early as in 1960 issued in consultation with the Ministry of Education and the University Grants Commission, a policy circular letter to the Vice-Chancellors of all Universities on the introduction of the subject of cooperation at the University level. The subject of cooperation is being taught today in a number of Universities and Colleges in the country an part of a subject or as an optional subject in B.A., B.Com. and M.A. courses.

An expert group appointed by the National Council for Cooperative Training is at present reviewing the existing syllabi of the subject of cooperation in (i) Universities, (ii) Colleges and (iii) Higher Secondary Schools to suggest model syllabi to be adopted at each of these three levels.

रुग्ण एककों से आयकर की बकाया राशि की वसूली

3704. **डा० बापू कालदाते** : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन सक्षम एककों को आयकर तथा अन्य करों में रियायतें देने का है जो अन्य रुग्ण एककों को अपनाने के लिए तैयार हो जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रुग्ण एककों की कर की देनदारियों को माफ कर दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो सक्षम एककों के साथ मिलने वाले रुग्ण एककों से आय कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां। वित्त (सं० 2) विधेयक, 1977 का आशय आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 72क अन्तः-स्थापित करना है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि जहां औद्योगिक उपक्रम की मालिक कोई कम्पनी किसी अन्य कम्पनी में मिल जाती है तो मिलने वाली कम्पनी की संचित हानि और अनवशोषित मूल्य ह्रास भत्ता आगे ले जाया जायगा और उस स्थिति में मिलने के बाद बनी कम्पनी के हाथों मुजरा किया जाएगा, जब केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जायगा कि इनका मिलाना जनहित में है । और इस बारे में शर्तें पूरी हो जायेंगी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जो कम्पनियां रुग्ण एककों का समामेनन कर लेती हैं, उन कम्पनियों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक उपाय किये जाते हैं ।

भारत में आयकर दाता

3705. **डा० बापु कालदाते** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10,000 रुपये, 15,000 रुपये और 25,000 रुपये के आयवर्ग में आने वाले आयकर दाताओं की संख्या कितनी है ;

(ख) पिछले दो कर निर्धारण वर्षों में इन आयकर दाताओं से आयकर के रूप में कुल कितना धन वसूल हुआ है ; और

(ग) उसी अवधि में उपरोक्त प्रत्येक आय वर्ग के आयकर दाताओं से कर वसूल करने में औसत खर्च कितना आया ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विभिन्न आय वर्गों के अनुसार आयकर दाताओं की संख्या के बारे में सूचना किसी वर्ष के दौरान पूरे किये गये कर-निर्धारण के आधार पर तैयार की जाती है । इस समय उपलब्ध अद्यतन संकलन के अनुसार वर्ष

1975–76 के दौरान जिन आयकर दाताओं का कर निर्धारित किया गया था और जो विनिर्दिष्ट आय वर्गों में आते हैं उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

आय वर्ग		आयकर दाताओं की कुल संख्या
10,000 रु० तक		12,40,806
10,001 रु० से 15,000 रु०		5,11,297
15,001 रु० से 25,000 रु०		3,63,756
	कुल	21,15,859

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और उसको एकत्रित करने में काफी समय और श्रम लगेगा जो प्राप्त होने वाले सम्भावित परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन, फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के सम्बन्ध में (निगम कर सहित) आयकर की कुल उगाहियों और प्रत्यक्ष-करों की उगाही में आई लागत निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष	आयकर (निगम कर सहित) की कुल उगाही	प्रत्यक्ष करों की उगाही की लागत
	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
1975–76 . . .	1832.28†	42.13
1976–77 . . .	2045.00†	42.58

† इसमें, आय और धन का स्वेच्छया प्रकटन अधिनियम, 1976 के अधीन की गई वसूलियां जो वर्ष 1975–76 के लिए 199.24 करोड़ रुपये तथा 1976–77 के लिए 33.42 करोड़ रु० हैं, शामिल नहीं है।

जमा राशियों पर ब्याज की दरों के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों को रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के निदेश

3706. डा० बापू कालदाते : क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने हाल ही में जमा राशियों पर ब्याज की एक जैसी दरों के लिये राष्ट्रीकृत बैंकों को निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन निदेशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसा करना रिजर्व बैंक का काम है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार मंत्रालय के विशेषाधिकारों का अतिक्रमण करने से रिजर्व बैंक आफ इंडिया को रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) . भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमाओं पर देय ब्याज दरों के ढांचे को और भी युक्ति संगत बना दिया है । संशोधित ब्याज दर की सारणी अनुबन्ध में दी गई है । मीयादी जमाओं पर ब्याज–दरों में परिवर्तन 1 जून, 1977 से लागू हुए हैं और ये परिवर्तन नई जमाओं तथा नवीनीकरण पर लागू होंगे तथा अपनी वर्तमान जमाओं पर उनकी अवधि के दौरान लागू नहीं होंगे ।

बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे चैक द्वारा परिचालित बचत बैंक खातों तथा अन्य बचत बैंक खातों में अन्तर बरतें और पहले प्रकार के खातों पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा चकों के बिना परिचालित बचत बैंक खातों पर 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दें । यह परिवर्तन 1 जुलाई, 1977 से लागू हो गया है ।

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35क के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक को जन हित में अथवा बैंकिंग नीति के हितों को देखते हुए, बैंकिंग कम्पनियों की सामान्यत: अथवा विशेष रूप से किसी बैंकिंग कम्पनी को यथोचित आदेश जारी करने का अधिकार है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा राशियों पर 1 जून, 1977 से देय ब्याज की दरों की स्थिति*

	वर्तमान प्रतिशत	प्रस्तावित प्रतिशत
I. बचत जमा राशियां		
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक		
(1) 10 करोड़ रुपये तक की मांग तथा सावधि देयताओं सहित	5.5	चैक सुविधाओं से युक्त बचत जमाराशियों पर 3 प्रतिशत और बिना चैक सुविधाओं के बचत जमाराशि लेखों पर 5 प्रतिशत
(2) 10 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये के बीच की मांग तथा सावधि देयताओं सहित	5.25	
(3) 25 करोड़ रुपये से अधिक मांग तथा सावधि देयताएं	5:0	
II. मियादी जमा राशियां		
(1) 15 दिन से 45 दिन तक	3.0	3.0
(2) 46 दिन से 90 दिन तक	3.5	3.5
(3) 91 दिन से छः महीने तक	5.5	4.0

* बचत जमाराशियों को छोड़कर जो 1 जुलाई, 1977 से लागू होंगी ।

(4) 6 महीने से 9 महीने तक	6.0	4.5
(5) 9 महीने से 1 वर्ष तक	7.0	5.0
(6) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	8.0	6.0
(7) 3 वर्ष से 5 वर्ष तक	9.0	8.0
(8) 5 वर्ष से अधिक	10.0	10.0

टिप्पणी: 1. 25 करोड़ रुपये से कम मांग और सावधि देयताओं वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 5 वर्ष तक की सभी तरह की बचत जमाराशियों और सावधिक जमाराशियों पर $\frac{1}{4}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष तक का अतिरिक्त ब्याज अपने निर्णय पर दे सकते हैं। 5 वर्ष से अधिक की जमाराशियों पर ब्याज दर केवल 10 प्रतिशत होगी।

2. किसी भी सहकारी बैंक को, जमाराशियों पर दिया जाने वाला ब्याज ऊपर निर्धारित की गई दरों के अतिरिक्त निम्नलिखित दी गयी दरों से अधिक देने की अनुमति नहीं है :—

		अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा देय ब्याज की दरों से ऊपर
		प्रतिशत प्रतिवर्ष
(1)	संघशासित क्षेत्रों और मणीपुर, त्रिपुरा, नागालैंड	1/2
(2)	अन्य सभी राज्यों में स्थित राज्य सहकारी बैंक	1/4
(3)	केन्द्रीय सहकारी बैंक	1/2
(4)	प्राथमिक सहकारी बैंक	1

3. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक बचत और मीयादी जमाराशियों पर 0.5 प्रतिशत तक अधिक दे सकते हैं, केवल पांच वर्ष से अधिक की मीयादी जमाराशियों को छोड़कर जिन मामलों में उन्हें अलग से हिदायत दी जाती है।

अशोक होटल के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

3707. श्री **सतीश अग्रवाल** : क्या **पर्यटन** और **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल के चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामला दर्ज किया गया था और यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे ; और

(ख) क्या उक्त जांच पूरी हो गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां । केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने 9–12–1976 को अशोक होटल नई दिल्ली के मेडिकल आफिसर के विरुद्ध एक प्रारम्भिक जांच दर्ज की थी । मेडिकल आफिसर के खिलाफ शिकायत यह थी कि यद्यपि वह 'नान-प्रेक्टिसिंग' भत्ता ले रहा था फिर भी वह प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था ।

(ख) जी, हां । केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने जांच पूरी कर ली है, तथा उनकी रिपोर्ट हाल ही में मिली है जिसकी समीक्षा की जा रही है ।

दिल्ली में शुष्क पत्तन

3708. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट शुष्क पत्तन स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है; और ऐसे विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : शुष्क पत्तन के स्थान के बारे में अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है । विभिन्न स्थानों के सापेक्ष गुणों तथा दोषों पर विचार किया जा रहा है ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आय के स्रोत

3709. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74 से 1975–76 तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की आय के क्या स्रोत थे;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी आय घोषित की गई और कितनी आय पर कर निर्धारण किया गया;

(ग) उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष की दान राशि तथा अन्य प्राप्तियां क्या हैं; और

(घ) उक्त प्रत्येक वर्ष का व्यय का व्यौरा क्या है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कर-निर्धारण वर्ष 1973–74 के लिये अखिल भारतीय कांग्रस कमेटी ने आय के निम्नलिखित स्रोत दिखाए हैं :—

(i) विज्ञापन द्वारा तथा सोशलिस्ट इण्डिया और सोशलिस्ट भारत नामक पत्रिकाओं के वितरण से प्राप्त आय ।

(ii) वसूली तथा दान द्वारा ।

(iii) प्राथमिक और सक्रिय सदस्यों से प्राप्त शुल्क में से हिस्सा ।

(iv) कांग्रेस तथा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशनों से प्राप्त अधिशेष में से हिस्सा ।

(v) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्यता शुल्क ।

(vi) विविध आय ।

कर-निर्धारण वर्ष 1974–75 के दौरान आय के निम्नलिखित स्रोत दिखाये गये हैं :—

(i) विज्ञापन द्वारा तथा सोशलिस्ट इण्डिया और सोशलिस्ट भारत नामक पत्रिकाओं के वितरण से प्राप्त आय ।

(ii) वसूली तथा दान ।

(iii) प्राथमिक तथा सक्रिय सदस्यों से प्राप्त शुल्क में से हिस्सा ।

(iv) सदस्यता शुल्क/प्रतिनिधि शुल्क द्वारा ।

(v) कर्मचारियों से वसूल किया गया किराया ।

(vi) विविध प्राप्तियां ।

कर-निर्धारण वर्ष 1975–76 के लिये जिसका कर-निर्धारण अभी नहीं किया गया है आय के निम्नलिखित स्रोत दिखाए गए हैं :—

(i) विज्ञापन द्वारा तथा सोशलिस्ट इण्डिया और सोशलिस्ट भारत नामक पत्रिकाओं के वितरण से प्राप्त आय ।

आय विवरणी के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का लाभ और हानि लेखा अथवा तुलन-पत्र दाखिल नहीं किया गया है ।

(ख) कर-निर्धारण वर्ष	घोषित आय	कर-निर्धारित आय
1973–74 (हानि) . .	1,44,566	1,44,566 (हानि)
1974–75 (हानि)	2,35,989	2,35,989 (हानि)
1975–76 (हानि) . . .	6,56,300	अभी कर-निर्धारण पूरा नहीं हुआ है

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 1973–74 और 1974–75 के लिये ब्यौरे क्रमशः परिशिष्ट 'क' और 'ख' में दिये गये हैं । **[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—718/77]** कर-निर्धारण वर्ष 1975–76 की आय-विवरणी के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का लाभ और हानि लेखा

अथवा तुलन-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये सोशलिस्ट इण्डिया तथा सोशलिस्ट भारत के सम्बन्ध में दान तथा अन्य आय के ब्यौरे परिशिष्ट 'ङ' में दिये गये हैं ।

(घ) कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 से सम्बन्धित ब्यौरे क्रमश: परिशिष्ट 'ग' और 'घ' में दिये गये हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 की आय-विवरणी के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का लाभ और हानि का लेखा अथवा तुलन-पत्र दाखिल नहीं किया गया है। सोशलिस्ट इण्डिया और सोशलिस्ट भारत के सम्बन्ध में व्यय का ब्यौरा परिशिष्ट 'च' में दिया गया है।

बैंकिंग उद्योग की जांच

3710. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 5 मई, 1977 के स्टेट्समैन में 'इंक्वायरी इंटू बैंकिंग इंडस्ट्री फेवड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की जानकारी है;

(ख) उक्त समाचार के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के चेयरमैन अथवा डायरेक्टर के विरुद्ध जांच कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख), सरकार ने उस समाचार को देखा है जो स्टेट्समैन के 5 मई, 1977 के "दिल्ली संस्करण" में छपा था और उसमें लिखी बातों की ओर ध्यान दिया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Visit of Indian Delegations to Seoul

3711. **Shri Manohar Lal:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether Indian Delegations visited Seoul recently to attend meetings of the Indo-Korean Joint Trade Committee and of the Joint Business Council; and

(b) if so, the issues discussed in the meetings?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir.

(b) The meeting of the India-South Korea Joint Trade Committee was held in December, 1976 at Seoul. The Issues discussed included *inter alia* review of trade proposals for bilateral trade expansion, setting up of joint ventures, measures to increase flow of trade information cooperation in third countries.

The meeting of the India-South Korea Joint Business Council was held at Seoul in June, 1977. The issues discussed included the Economic situation in India and South Korea, expansion of India-South Korea trade, identification of areas of cooperation and joint ventures in South Korea, India and third countries.

आपात स्थिति के दौरान की गई नियुक्तियों के बारे में रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अनुरोध

3712. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया आफिसर्स एसोसिएशन ने अप्रैल 1977 में सरकार से यह अनुरोध किया था कि आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक तथा अन्य आधारों पर जिनमें स्थानान्तरण पदोन्नतियां तथा अतिरिक्त लाभ भी सम्मिलित हैं की गई सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऐसे कितने मामलों की जांच की है और उनमें क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) जी हां। अप्रैल, 1977 के महीने में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी संघ के प्रधान से प्राप्त हुए पत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठतम पदों पर की गई नियुक्तियों का उल्लेख किया गया था। वर्तमान सरकार का यह निश्चित मत है कि वरिष्ठतम पदों पर नियुक्तियां, पदोन्नतियां, और लाभों की मंजूरी प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर की जानी चाहिए। हाल ही में इस नीति के अनुसरण में रिज़र्व बैंक के वरिष्ठतम पदों में कुछ परिवर्तन जनहित में किए गये थे।

जाम पाये गये एयर बसों के इंजन

3713. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मई को बम्बई में तथा 30 मई अथवा इसके आसपास कलकत्ता में गम्भीर यांत्रिक तथा तकनीकी दोषों के कारण दो एयर बसों के इंजन जाम पाये गये;

(ख) क्या इंजन को खराबियों के कारणों के बारे में कोई जांच की गई ; और

(ग) यात्रियों के लिये अन्य एयर बस से हवाई यात्रा करना कहां तक सुरक्षित है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) 30 मई, 1977 को कलकत्ता में एयर बस ए 300 बी 2 का एक इंजन खराब हो गया था तथा दूसरे इंजन में बम्बई में 13 जून, 1977 को जब वह भूमि पर ही था बोरोस्कोपिक निरीक्षण के दौरान दबाव की हालतों (कंप्रेसर स्टेजेज) में गड़बड़ पाई गयी।

(ख) जांच कार्य चल रहा है।

(ग) एयर बस ए 300 बी 2 विमान द्वारा यात्रा करना बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि विमान को उड़ान के लिये उन्हीं इंज़नों के साथ परिचालित किया जाता है जिन्हें पूरी तरह जांच कर लेने पर उड़ान के लिये सुरक्षित पाया जाता है।

गुजरात में रुग्ण सूती तथा तेल मिल

3714. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 31 दिसम्बर, 1975 को जिलेवार रुग्ण सूती तथा तेल मिलों की संख्या क्या थी;

(ख) ऐसी कितनी मिलों को सरकार ने 31 दिसम्बर, 1976 को अपने अधिकार में लिया और ऐसे मिलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये मिल किन समूहों से सम्बन्धित हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) रुग्ण मिल की व्याख्या करने के लिए कोई सही सही कसौटी नहीं है और इसलिये किसी प्रकार का ब्यौरा देना सम्भव नहीं है। 31–12–75 से 31–12–1976 के बीच गुजरात में कोई भी सूती कपड़ा अथवा तेल मिल अधिकार में नहीं ली गई।

गुजरात में पर्यटक स्थलों का विकास

3715. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में पर्यटक स्थलों के रूप में विकास हेतु कौन-कौन से स्थान चुने गये हैं; और

(ख) केन्द्र द्वारा इन स्थानों के विकास हेतु क्या कार्यवाही की गई है और की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). चौथी तथा पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान गुजरात में पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिये चुने गये स्थान थे अहमदाबाद, गांधी नगर, पोरबन्दर तथा ससनगिर। इन स्थानों पर आरम्भ की गयी स्कीमें निम्न प्रकार हैं :—

1. साबरमती आश्रम, अहमदाबाद में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन	11.84 लाख रुपए
2. पोरबन्दर में एक पर्यटक बंगले का निर्माण . .	10.93 लाख रुपए

3. गांधीनगर में एक युवा होस्टल का निर्माण	. .	4.07 लाख रुपए
4. ससनगिर में एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण	. .	21.60 लाख रुपए

ऊपर 1, 2 व 3 पर दी गयी स्कीमें पहले ही पूरी और चालू हो चुकी हैं। ससनगिर में फॉरेस्ट लॉज के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

निधियों के उपलब्ध होने तथा व्यवहार्यता अध्ययन अनुकूल होने की व्यवस्था में, भारत पर्यटन विकास निगम का पांचवीं योजनावधि के दौरान अहमदाबाद में एक 60 कमरों वाले तीन स्टार होटल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

विदेशी कम्पनियों की सहायक कम्पनियों और शाखाओं द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

3716. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान विदेशी कम्पनियों की कितनी तथा कौनसी सहायक कम्पनियों और शाखाओं ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन किया है; और

(ख) दोषी फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

वनस्पति एककों को 1976-77 में दिये गये लाइसेंस

3717. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनस्पति कारखाने खोलने के लिये 1976-77 में कितने लाइसेंस दिये गये; और

(ख) क्या जिन कारखानों के लिये लाइसेंस दिये गये थे उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) देश में वनस्पति कारखाने खोलने के लिए 1976-77 में कोई लाइसेंस नहीं दिया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों में वृद्धि

3718. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 में इससे पहले वर्ष की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशियों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) प्रतिशतता बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1976–77 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की जमाओं में 24.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, इसकी तुलना में पिछले वर्ष अर्थात् 1975–76 में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ख) बैंक अपनी जमाओं को बढ़ाने का निरन्तर प्रयत्न करते है। अधिकाधिक व्यक्तियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपनी शाखाओं के जाल को फैलाने तथा अपनी जमाएं जुटाने के अलावा सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विभिन्न प्रकार के जमाकर्त्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कई योजनाएं बनाई है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से जनता को अवगत कराने के लिए बैंक उद्देश्यपूर्ण प्रचार अभियान भी चला रहे हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम शो रूम कर्मचारी यूनियन से प्राप्त मांग-पत्र

3719. **श्री रामचन्द्रन् कडनापल्ली :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय कपड़ा निगम शो रूम कर्मचारी यूनियन से कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) कर्मचारियों की शिकायतों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग). राष्ट्रीय वस्त्र निगम को शो रूम कर्मचारी यूनियन से मांग-पत्र प्राप्त हुआ है।

मांगें निम्नोक्त प्रकार है: —

(1) सभी कर्मचारियों का स्थायीकरण।

(2) पदोन्नति तथा भर्ती नियम बनाना।

(3) जमानत की कटौती बन्द करना।

(4) दिहाड़ी वाले कर्मचारियों को नियमित करना।

(5) पर्यवेक्षक पदों का सृजन।

(6) विपणन कार्यों में कर्मचारियों को शामिल करना।

(7) यूनियन को मान्यता देना।

(8) बोनस दिया जाना।

(9) वेतन क्रम तथा सम्बद्ध लाभ।

(10) राष्ट्रीय वस्त्र निगम का कपड़ा खरीदने तथा पीने के पानी की सुविधाएं आदि।

यूनियन के प्रतिनिधि श्रम आयुक्त, दिल्ली से मिले थे और उसके बाद यूनियन तथा प्रबन्धकों में समझौता हो गया है । कुछ मांगें तो मान ली गई है और कुछ अन्य मांगों पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम तथा कर्मचारी यूनियन के बीच बातचीत चल रही है ।

सम्पत्ति के मुआवजे के दावों के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को बढ़ाया जाना

3720. श्री समर गुह : क्या **वाणिज्य** तथा **नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति के मुआवजे के दावों के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को बढ़ाने के सरकार के निर्णय का पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के समाचार पत्रों में पर्याप्त प्रचार किया गया है ;

(ख) क्या आकाशवाणी ने भी इसका प्रचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) (1) पर्याप्त प्रचार करने के उद्देश्य से अनुग्रही योजना के अन्तर्गत दावों के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को 31 जुलाई, 1977 तक बढ़ाने की सूचना निम्नलिखित समाचार-पत्रों में प्रकाशन के लिए दी गई थी --

1. दी स्टेट्समैन लि०, कलकत्ता (उनके सभी संस्करणों में भी)
2. हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली ।
3. हिन्दू, मद्रास ।
4. इण्डियन ऐक्सप्रेस, बम्बई (उनके सभी संस्करणों में भी) ।
5. टाइम्स आफ इंडिया, बम्बई (उनके सभी संस्करणों में भी) ।
6. अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता ।
7. जुगान्तर, कलकता ।
8. आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता ।
9. बसुमति, कलकत्ता ।
10. असम एक्सप्रेस, गौहाटी ।
11. जनशक्ति, पटना ।
12. इंडियन नेशन, पटना ।
13. असम ट्रिब्यून, गौहाटी ।
14. दैनिक असम, गौहाटी ।

15. जाग्राम, अगरतला ।

16. जन्मभूमि, जोरहाट ।

17. रोमई, एजवाल ।

18. जोमई, ऐजवाल ।

19. नेशनल हैरल्ड, लखनऊ ।

20. जनपद, अगरतला ।

21. प्रान्त ज्योति, सिलचर ।

22. प्रजातन्त्र, इम्फाल ।

23. हमार अर्सी, ऐजवाल ।

(ii) आकाशवाणी, कलकत्ता तथा दूरदर्शन कलकत्ता ने 18 जून, 1977 को इसका प्रसारण किया ।

कलकत्ता हवाई अड्डे के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विमान यातायात

3721. **श्री समर गुह :**
श्री सौगत राय :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में कलकत्ता हवाई अड्डे के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, प्रतिवर्ष हुई अधिक उड़ानों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) कलकत्ता हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख). जी, नहीं । पिछले तीन वर्षों के दौरान कलकत्ता विमान क्षेत्र से होकर जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यातायात में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) कलकत्ता से होकर जाने वाली उड़ानों में वृद्धि करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं । जब द्विपक्षीय विमान सेवा करारों की मार्ग-अनुसूचियों पर बातचीत की जाती है तो कलकत्ता को निश्चित रूप से विदेशी एयर लाइनों को उनकी विमान सेवाओं में एक मार्गस्थ स्थान (प्वायन्ट ऑफ कॉल) के रूप में प्रस्तुत किया जाता है । कलकत्ता विमान क्षेत्र पर धावनपथों को लम्बा एवं मजबूत करने तथा अत्यन्त परिष्कृत प्रकार के राडार उपकरणों की स्थापना करने के अलावा एक नये टर्मिनल भवन, एक ऑपरेशनल ब्लॉक, एक आधुनिक होटल तथा पहुंच मार्गों की व्यवस्था करने और रेडियो दिक्चालन उपकरणों के आधुनिकीकरण पर काफी धन-राशि व्यय की जा चुकी है । आशा है कि इन सुविधाओं के होने से और अधिक विदेशी एयरलाइनें आगे आएंगी तथा कलकत्ता से होते हुए अपनी विमान सेवाएं परिचालित करेंगी ।

सऊदी अरब के साथ ऋण समझौता

3722. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब ने जून, 1977 में हमारे देश के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है तथा ऋण समझौते की शर्तें क्या हैं ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में श्री सेलम और नागार्जुन सागर पन-बिजली परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार और सऊदी विकास निधि के बीच 2 जून, 1977 को 35.30 करोड़ सऊदी रियाल अथवा लगभग 90 करोड़ रुपये के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए। यह ऋण 20 वर्षों में चुकाया जाना है, जिसमें 5 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है और इस पर 4 प्रतिशत ऋण प्रभार लगेगा।

आय-कर की बकाया राशि को कम करने के लिये कार्यवाही

3723. **श्री रामानन्द तिवारी :**
श्री दुर्गा चन्द :

क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1977 को आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी;

(ख) इस बकाया राशि को वसूल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) बकाया राशि को कम करने तथा कर अपवंचन को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 30–6–1977 की स्थिति के अनुसार कर की बकाया के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। 31–3–1977 की स्थिति के अनुसार (निगम कर आयकर की सकल तथा शुद्ध बकाया निम्न प्रकार से थी :

सकल बकाया . . .	रुपये 873.56 करोड़
शुद्ध बकाया	रुपये 569.84 करोड़

(ख) जिन कारणों से कर की बकाया वसूल किये बिना रह जाती है उनमें से कुछ मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :—

(i) दोहरे आयकर से राहत सम्बन्धी निर्णय हो जाने तक पड़ी रकमें।

(ii) परिसमाप्त हो रही कम्पनियों से प्राप्य रकमें।

(iii) जिन व्यक्तियों ने भारत छोड़ दिया है अथवा जो अन्यथा लापता हैं उनसे प्राप्य रकमें।

(4) जिन रकमों के बारे में अपीलें की गयी हैं।

(5) जिन मामलों में परिसम्पत्तियों का अभिग्रहण किया गया है परन्तु जिन्हें विभिन्न कारणों से अभी बेचा नहीं गया है उनमें वसूली की कार्यवाही के अधीन पड़ी रकमें।

(ग) उगाही करने तथा कर की बकाया को वसूल करने के लिये आयकर अधिनियम 1961 में अनेक उपायों की व्यवस्था है जैसे अर्थ-दण्ड लगाना, चूककर्ता को प्राप्य धन का अभिग्रहण, चल सम्पत्ति का आसेध और बिक्री करना, अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण और बिक्री करना आदि। प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, कर की बकाया को वसूल करने के लिये सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समुचित उपाय किये जाते हैं।

कर की चोरी की बुराई का प्रभावी तौर पर मुकाबिला करने के लिये प्रत्येक उपाय किये जा रहे हैं। बड़े कर-अपवंचकों द्वारा अपनाई जाने वाली चतुराईपूर्ण चालों तथा तरीकों का पर्दाफाश करने के लिये आयकर विभाग के गुप्त सूचना तथा जांच-पड़ताल तंत्र को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और सुविज्ञता का विकास किया जा रहा है। साथ ही कर-अपवंचकों पर देश के विभिन्न भागों में अदालतों में अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है।

कैप्रोलेक्टम पर उत्पादन शुल्क

3724. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से कैप्रोलेक्टम पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 225 सूत्रांक से अनधिक सूत्रांक के नायलान धागे के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किये गये कैप्रोलैक्टम को उस पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादन शुल्क से इस शर्त पर पहले ही छूट प्राप्त है कि ऐसे नायलान धागे का इस्तेमाल टायर की डोरी के निर्माण में नहीं किया गया हो। इस छूट को टायर की डोरी के निर्माण में प्रयुक्त कैप्रोलैक्टम पर लागू करने के लिए अथवा टायर की डोरी के धागे की अवस्था पर शुल्क का अन्तरण करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

एक मलेशियाई फर्म द्वारा ताड़ के तेल की सप्लाई

3725. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मलेशियाई फर्म ने दीर्घकालिक आधार पर ताड़ का तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है।

अमरीका को भेजा गया माल

3726. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से फरवरी, 1977 के बीच भारत से अमरीका भेजे गये माल को अमरीका सीमाशुल्क अधिकारियों ने विभिन्न कारणों से रोका था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ कारण ये थे कि मेंढक की टांगों के ग्यारह लदानों में मोनेला विद्यमान था और कुछ लदानों में फफूंद आ गई थी और कीड़े पाये गये थे;

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि लदान पूर्व निरीक्षण प्रक्रिया का ठीक प्रकार अनुसरण नहीं किया जाता है;

(घ) क्या इससे बहुत हानि हुई है और कुछ लदान अमरीका ने रद्द कर दिये हैं; और

(ङ) इस बात का ध्यान रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि निर्यात की जाने वाली वस्तु देश में उपलब्ध सर्वोत्तम वस्तु हो ताकि देश की प्रतिष्ठा को आघात न पहुंचे ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, कुछ हानि हुई है।

(ङ) विवरण संलग्न है।

विवरण

निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं या करने का विचार है जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निर्यात किया जा रहा माल अपेक्षित क्वालिटी का हो और देश की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचे :

(1) सरकार ने निर्यात किये जाने वाले कुछ उत्पादों के अनिवार्य निरीक्षण के लिए निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 नामक अधिनियम अधिनियमित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुएं निर्यात से पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अथवा दोनों के अध्यधीन हैं। इस समय भारत से होने वाली कुल निर्यातों के लगभग 50 प्रतिशत निर्यात इस अधिनियम द्वारा कवर होते हैं। अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण के लिए अधिकाधिक वस्तुएं शामिल की जा रही हैं।

(2) सरकार से मान्यता पाकर विभिन्न निरीक्षण अभिकरण लदान पूर्व निरीक्षण सम्बन्धी कार्य कर रहे हैं। ये अभिकरण हैं :—

(क) कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार।

(ख) भारतीय मानक संस्था।

(ग) बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास स्थित वाणिज्य मंत्रालय के अधीन 5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण।

(घ) वाणिज्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त 8 सरकारी अभिकरण।

(ङ) वाणिज्य मंत्रालय से मान्यता प्राप्त 31 गैर-सरकारी निरीक्षण अभिकरण।

(3) यह अधिसूचित किया गया है कि सभी मछली उत्पादों का अनिवार्य रूप से गुण नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण किया जाएगा। ये निरीक्षण बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास के निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा किये जा रहे हैं।

(4) सं० रा० अमरीका को निर्यातित मछली उत्पादों का लदान पूर्व निरीक्षण उस समझौता ज्ञापन के अनुसार किया जाता है जो भारत सरकार की ओर से निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा 13–1–1975 को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक हैल्थ सर्विजि आफ यू०एस०ए० के साथ सम्पन्न किया गया था।

(5) सभी वस्तुओं के सम्बन्ध में अनिवार्य गुण नियंत्रण तथा लदान पूर्व निरीक्षण की क्रियाविधियों की समीक्षा की जा रही है। सैल्मोनैला तथा मेंढक की टांगों सम्बन्धी समस्या का अध्ययन इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ दल द्वारा किया जा रहा है।

(6) निर्यातकों को क्वालिटी नियंत्रण अनुशासन का पालन करने तथा निरीक्षण क्रिया विधियों के बारे में निरन्तर अनुदेश तथा शिक्षा दी जाती है।

(7) निर्यात किए जा रहे उत्पादों की क्वालिटी से सम्बन्धित शिकायतों की जांच सरकार विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से करती है और दोष सम्बन्धी प्रमाण मिलने पर एककों का पंजीकरण रद्द करने जैसी कठोर कार्यवाही की जाती है।

देश में इंजनों के ओवरहाल की सुविधायें

3727. **श्री शंकर सिंह जी वघेला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्डियन एयरलाइन्स में फालतू इंजन क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या इंजनों को ओवरहाल के लिये विदेशों में भेजा जाता है और यदि हां तो गत तीन वर्षों में कितने इंजन ओवरहाल के लिये विदेशों में भेजे गये, ओवरहाल, परिवहन, लाने ले जाने के बीमे आदि के लिये कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा पर इस भार से बचने के लिये देश में ही ओवरहाल सुविधायें उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) कलकत्ता स्थित इन्डियन एयरलाइन्स इंजीनियरिंग बेस के कार्य क्या हैं और क्या वहां के इंजीनियरों के पास कुछ फालतू क्षमता है ; और

(ङ) देश में इंजन ओवरहाल वर्कशाप स्थापित करने के लिये क्या विशेष कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) इंडियन एयरलाइन्स के पास उपलब्ध स्पेयर इंजनों का विमानों के टाइप-वार विवरण नीचे दिया गया है :—

एयरबस ए—300बी 2	4
बोइंग–737	9
कैरावेल	3
एच एस–748	11
एफ–27	8
वाइकाउंट	2

(ख) सामान्यतया विदेश में ओवरहाल के लिये कोई इंजन नहीं भेजा जाता । तथापि, कुछ ऐसे कारणों से जो इंडियन एयरलाइन्स की शक्ति से बाहर थे हाल में 5 बोइंग-737 इंजन ओवरहाल के लिये भेजने पड़े । इस बारे में कुल व्यय का अनुमान जिसमें ओवरहाल, परिवहन भाड़ा, बीमा शुल्क इत्यादि सम्मिलित है, 95 लाख रुपये लगाया जाता है । (जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश अनुमानतः 82.50 लाख रुपये है) इसके अतिरिक्त पिछले तीन वर्षों में और कोई इंजन ओवरहाल के लिये विदेश नहीं भेजा गया ।

(ग) और (ङ). इंडियन एयरलाइन्स के बोइंग 737, कैरावेल और टर्बो-प्राप विमानों पर लगे हुए इंजनों के ओवरहाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बम्बई में एयर इंडिया की और दिल्ली में इंडियन एयरलाइन्स की इंजनों के ओवरहाल की वर्तमान सुविधायें पर्याप्त हैं । एयरबस ए-300बी 2 के लिये, एयर इंडिया की वर्कशाप क्षमता को 1978 के प्रारम्भ तक यथोचित रूप से सज्जित कर देने की योजना है ।

(घ) कलकत्ता का इंजीनियरिंग बेस एफ–27 विमानों के लिये ओवरहाल सुविधाएं, बोइंग–737 विमानों की अनुषंगी पावर यूनिटें, इंडियन एयरलाइन्स के अन्य प्रकार के विमानों के कुछ अतिरिक्त पुर्जे, पिस्टन इंजनों का ओवरहाल, एयरबस ए–300 बी2 विमानों के ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर की एसेम्बली और अनुरक्षण की व्यवस्था, तथा कलकत्ता से अथवा वहां से होकर परिचालित होने वाले इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के अनुरक्षण की सुविधा प्रदान करता है । इंडियन एयरलाइन्स द्वारा इस इंजीनियरिंग सुविधा की उपलब्ध क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाता है

माल तथा यात्री डिब्बों के क्रयादेश

3728. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975–76 तथा 1976–77 के दौरान विभिन्न देशों से प्राप्त माल यात्री डिब्बों के कार्यादेशों का देशवार, ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध सप्लाई की गई है तथा कब तक पूरी सप्लाई हो जायेगी और शीघ्र सप्लाई करने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के माल निर्यात के लिए एक स्वतन्त्र संगठन स्थापित करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) 1975–76 तथा 1976–77 के वर्षों में विभिन्न देशों से प्राप्त माल डिब्बों एवं यात्री डिब्बों के क्रयादेशों का ब्यौरा निम्नोक्त है :—

वर्ष	देश	मात्रा		मूल्य
		माल डिब्बे	यात्री डिब्बे	(लाख रु० में)
1975–76	+तंजानिया	—	17	238
1976–77	जाम्बिया .	30	—	57
	उगांडा .	250	20	800
	तंजानिया	30	—	97
	श्रीलंका . . .	30	—	70

+इन क्रयादेशों में 5 री-कंडीशन किये हुए स्टीम, रेल इंजन तथा 15 डीजल रेल इंजन भी हैं। सभी 5 स्टीम रेल-इंजनों तथा 10 डीजल इंजनों की पूर्ति कर दी गई है ।

(ख) उन क्रयादेशों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है जिनके आधार पर सप्लाई पहले ही की जा चुकी है :—

देश	पहले ही पूरी की गई सप्लाई	शेष
तंजानिया	17 यात्री डिब्बे	शून्य

समय-सारणी, जिसके अनुसार वर्तमान क्रयादेशों को पूरा किया जायेगा, संलग्न विवरण में दी गई है ।

काम पूरा करने की समय-सीमा इस अनुमान पर आधारित है कि खरीददार उत्पादों के विनिर्माण एवं सप्लाई के लिये आवश्यक संविदागत औपचारिकताओं को पूरा करेंगे ।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान यात्री डिब्बों एवं माल डिब्बों के निर्यातों से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि निम्नोक्त है :—

(लाख रु० में)

1974–75	933.58
1975–76 . . .	1284.76
1976–77 . . .	941.84
योग . .	3160.18

(घ) एक स्वतंत्र संगठन, भारतीय प्रोजैक्ट तथा उपस्कर निगम लिमिटेड (पी०ई० सी०) माल डिब्बों एवं यात्री डिब्बों के निर्यात को देखने के लिये पहले ही विद्यमान है । प्रोजेक्ट एवं उपस्कर निगम भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड का एक समनुषंगी निकाय है ।

विवरण

समय सारणी का ब्यौरा जिसके अनुसार चालू क्रयादेश पूरे किये जायेंगे:

क्रम सं०	देश	मात्रा		काम पूरा करने की समय-सीमा	टिप्पणी
		माल डिब्बे	यात्री डिब्बे		
1	जाम्बिया	30	—	मार्च, 78 तक	जाम्बिया के खरीदार द्वारा आस्थगित भुगतान के संबंध में अपेक्षित बैंक गारंटी अभी दी जानी है तथा कतिपय तकनीकी ब्यौरे को क्लीयर किया जाना है । पी०ई०सी० उनसे सपर्म्क बनाये हुए है ।
2	उगांडा	250	20	मार्च, 78 तक	उगांडा सरकार द्वारा 75 प्रतिशत आस्थगित भुग-

					तानों के सम्बन्ध में बैंक गारंटी अभी दी जानी है । कतिपय तकनीकी ब्यौरों का भी उनके द्वारा स्पष्टीकरण किया जाना है ।
3	तंजानिया	30	—	मार्च 78 तक	साख-पत्र में कुछ संशोधन प्रतीक्षित हैं । इन पर पी० ई० सी० के प्रतिनिधि की, जो इसी प्रयोजन के लिये तंजानिया गया था खरीदार के साथ सहमति हो गई है ।
4	श्रीलंका	30	—	मार्च, 78 तक	श्रीलंका के प्राधिकारियों द्वारा ड्राइंगों का अनुमोदन प्रतीक्षित है। इसमें देरी का कारण उनके रेल कर्मचारियों द्वारा धीरे काम करना तथा उसके बाद हड़ताल कर देना है । इस मामले में शीघ्रता करने के लिये पी० ई० सी० के एक प्रतिनिधि को श्रीलंका भेजा गया है ।

पड़ौसी मित्र देशों के साथ व्यापार

3729. **श्री क० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल, बर्मा, श्रीलंका तथा बंगला देश जैसे पड़ौसी मित्र देशों के साथ भारत सरकार ने कोई नये व्यापार समझौते किये हैं ;

(ख) चालू वित्त वर्ष में इन में से प्रत्येक देश के साथ कितना व्यापार हुआ; और

(ग) चालू वर्ष में इन देशों को कौन सी वस्तुएं निर्यात की गई तथा इनसे कौन सी वस्तुएं आयात की गई ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) चालू वर्ष के लिए आंकड़े अभी संकलित किए जा रहे हैं और जैसे ही वे तैयार हो जाएंगे सप्लाई कर दिये जाएंगे ।

Appointment of M.Ps. as Chairman of Central Government Public Undertakings

3730. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether, from the point of effecting economy in expenditure, Government propose to appoint Members of Parliament as Chairman of all Central Government Public Undertakings;

(b) whether keeping in view the economic condition of the country and to check wasteful expenditure, Government propose that none of the Chairman of Undertakings should get a salary of more than Rs. 3000 per month; and

(c) the names of those existing Undertakings whose expenditure is borne by the Centre?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel:) (a) It is not the policy of Government to appoint sitting Members of Parliament as Chairman or Directors of Central Government enterprises.

(b) The Salaries of Chief Executives and other incumbents of top posts of Central Government enterprises have been categorised, taking into account the size and complexity of their problems, into four Schedules; viz. Schedule 'A' (Rs. 3,500—125—4,000); p.m. Schedule 'B' (Rs. 3,000—125—3,500); p.m. Scheduled 'C' (Rs. 2,500—100—3,000); p.m. & Schedule 'D' (Rs. 2,250—100—2,750); p.m. It is not proposed to put a ceiling of Rs. 3,000 per month for the salary of Chief Executives of Central Government enterprises. The enterprises have, however, been asked to achieve maximum economy in expenditure and improve productivity;

(c) The Central Government invests in the Public enterprises by way of equity capital and loans. The names of enterprises in which Government have made such investments are given in the annual report on the "Working of Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government 1975-76", which was placed on the table of the House recently.

Profit earned by STC

3731. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the commodities imported and exported by the State Trading Corporation itself; and

(b) the annual profit earned by this Corporation during the last three years on each commodity traded by it?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) & (b) A statement is enclosed.

Statement

Statement showing Trading Profits/Losses during the 3 *years ending* 31-3-1977

(In Rs. Crores)
(Excluding Interest and STC's overheads)

	1976-77 (Provl.) Trading Profit	1975-76 Trading Profit	1974-75 Trading Profit
Import Commodities			
Newsprint	2.74	2·11	1·48
DMT (Dimethyl Terephtalape)	0·48	—	Negl.
MEG (Men Ethylene Glycol)	0·35	—	—
Caprolactum	0·25	5·22	2·51
Wool	0·44	(—)0·52	(—)0·02
Synthetic Rubber	0·07	0·06	0·13
Woodpulp	0·65	1·11	1·10
Polyster Fibre/Yarn	0·50	Neg.	Neg.
Tallow/Fatty Acid	1·17	0·79	2·96
Soyabean Oil	13·53	0·66	(—)0·84
Palm Oil (V)	3·27	(—)1.67	(—)2·10
Rapeseed & Rapeseed Oil	(—)11·73	0·39	(—)5·91
DDT	0·19	0·31	0·17
CPC (Chemicals and Pharmaceuticals)	—	1·17	3·50
*Others	0·66	0·01	(—)0·38
TOTAL	12·57	9·64	2·70
Export Commodities			
Sugar	0·76	2·31	1·57
Semi Processed Leather	0·35	0·34	0·28
Coffee	0·14	0·04	(—)0·02
Cement	1·00	0·24	0·27
Silver	0·64	0·01	—
Castor Oil	1·55	0·50	1·99
Footwear	0·48	0·29	0·47
Tobbacco	0·03	0·03	0·01
ABS Ground Nut & Extrn.	0·58	0·01	Neg.

	(Provl.) 1976-77 Trading Profit	1975-76 Trading Profit	1974-75 Trading Profit
Rice	(—)0.71	(—)1·41	9·94
Opium	0·01	0·01	0·01
Readymade Garments	0·03	0·01	0·02
Salt	0·02	0·02	0·10
Shellac & Seedlac	0·42	1·24	—
Armysoftwear	(—))·08	0·40	0·26
Dry Fish	0·05	0·02	0·02
Art Silk Fabrics	0·01	0·02	0·04
Dev. Export	0·42	0·24	0·01
Jute Goods	(—)0·20	(—)0·14	(—)0·06
Linseed Oil and Extrn.	0·01	(—)0·31	—
Barley	0·29	—	—
Spices	0·01	Neg.	Neg.
CPC (Chemicals & Pharmaceuticals)	—	0·04	0.09
**Others	0·37	0·14	(—)0·23
TOTAL	6·10	4·04	14·77

*Others stand for Misc. items whose turnover is less than Rupees One crore.

**Others stands for Misc. items whose turnover is less than Rs. One Crore *e.g.* Cotton Textile, Gum Resin, Vacuum Flask, Coir Products etc.

सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाना

3732. **श्री नवाब सिंह चौहान** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन देने के नियमों का ब्यौरा क्या है और वे किन पर लागू होते हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पेंशन मंजूर करने का है जो विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में पिछले 20 वर्ष से निरन्तर सेवा कर, रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किया जाएगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) पेंशनयोग्य संस्थान में आने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समय समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 द्वारा शासित होते हैं । इन नियमों को अखिल भारतीय सेवाओं तथा रेलवे कर्मचारियों से संबद्ध अधिकारियों के संबंध में भी उपयुक्त संशोधनों के साथ अपना लिया गया है ।

(ख) और (ग) पेंशन केवल उन सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य होती है जिन्होंने नियमों के अन्तर्गत सेवा-निवृत्ति के समय स्थायी रूप से स्थायी पद को धारा किया हुआ हो तथा कम से कम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। अस्थायी कर्मचारी पेंशन पाने के पात्र नहीं होते, परन्तु उन्हें समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली 1965 के अनुसार आवधिक उपदान मिलता है । इस स्थिति को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Promotion to the Posts of Deputy Collector of Customs

3733. **Shri Yagya Datt Sharma:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether the Departmental Promotion Committee had made a selection in June, 1977 to promote the Assistant Customs Collectors as Deputy Collectors; and

(b) if so, the criteria for this selection?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) Yes Sir. A meeting of the Departmental Promotion Committee to select officers of the grade of Assistant Collector of Customs and Central Excise for promotion to the grade of Deputy Collector was held on the 8th and 9th June, 1977.

(b) The criteria for this selection was seniority-*cum*-merit in accordance with the general principles laid down by the Department of Personnel and Administrative Reforms.

Utilization of Capacity in Public Sector Undertakings

3734. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) whether the Public Sector industries are not fully utilising their capacity; and

(b) if so, the steps taken by Government to utilise their full capacity; and the extent to which the capacity of the cement and steel plants and the Mini Steel Plants in the Public Sector was utilized during 1976-77?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (Shri H. M. Patel): (a) It is true that some of the public sector enterprises are not fully utilising their capacity.

(b) Various measures like diversification, provision of balancing facilities, better maintenance, increasing labour productivity etc. have been taken to improve capacity utilisation.

The capacity utilisation achieved by the major integrated steel plants during 1976-77 is indicated below :—

Plant	Percentage utilisation of capacity in terms of saleable steel
Bhilai Steel Plant	102·7
Durgapur Steel Plant . .	72·7
Rourkela Steel Plant . . .	95·9
Indian Iron & Steel Co.	67·7

There is no mini steel plant in the public sector.

There are two plants in commercial production under the Cement Corporation of India in the public sector at Mandhar and Kurkunta. The Mandhar plant operated at 100 per cent capacity during 1976-77 while the Kurkunta plant achieved 74 per cent capacity.

Loans Distributed by Rural Banks in States

3735. **Dr. Lakshminarayan Pandey:** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state the amount of loans distributed by rural banks to farmers in various States during 1976-77 and the steps taken by Government to ensure that farmers get loans easily?

The Ministry of Finance (Shri H.M. Patel) : Regional Rural Banks disbursed a total amount of Rs. 12.66 crores during the financial year 1976-77 in various States. These banks have adopted simplified forms and procedure to ensure that farmers get loans easily. State-wise break-up of the disbursements made is as follows :—

(Amount in Rs. thousand)

Name of State	No. of R.R. Banks as on 25-3-1977	Disbursements made during 1976-77
1. Andhra Pradesh	3	23753
2. Assam	1	484
3. Bihar	6	6240
4. Haryana	2	8739
5. Himachal Pradesh	1	125
6. Jammu & Kashmir	1	583
7. Karnataka	3	10239
8. Kerala	2	1983
9. Madhya Pradesh	3	5278
10. Maharashtra	1	2293
11. Orissa	4	9703
12. Rajasthan	3	11707
13. Tamil Nadu	1	159
14. Tripura	1	628
15. Uttar Pradesh	9	31532
16. West Bengal	4	13134
Total	45	126585

Manufacture of Dhoties and Sarees by Handloom Sector

3736. **Dr. Lakshminarayan Pandey:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the manufacturing of dhoties and sarees was entrusted on an experimental basis to the handlooms, the decentralised sector ;

(b) if so, the cloth, in metres, manufactured by them in 1976-77 ; and

(c) whether Government propose to continue the scheme ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information received so far, 14·32 million sq. mtrs. were manufactured by end of May, 1977 under the scheme.

(c) Yes, Sir.

आई० डी० बी० आई० द्वारा संकटग्रस्त पटसन मिलों और कपड़ा मिलों की सहायता

3737. **श्री सौगत राय** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० बी० आई० ने गत वर्ष संकटग्रस्त पटसन मिलों और कपड़ा मिलों की सहायता के लिये "सौफ्ट लोन विंडो" (आसान शर्तों पर ऋण खिड़की) खोली है; और

(ख) यदि हां, तो संकटग्रस्त पटसन और कपड़ा मिलों की स्थिति में सुधार करने में उस योजना को कितनी सफलता मिली है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार के कहने पर नवम्बर, 1976 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने पांच चुने हुए उद्योगों अर्थात् चीनी, सीमेंट, सूती वस्त्र, पटसन और कुछ इंजीनियरी उद्योगों को रियायती दरों पर "असान शर्तों पर ऋण योजना" आरम्भ की थी ताकि वे संयंत्रों और उपकरणों के अप्रचलन, उनकी बदली और उनके नवीकरण विषयक समस्याओं पर काबू पा सकें। सहायता देने का मुख्य मापदण्ड आधुनिकीकरण की योजना के कार्यान्वियन के आधार पर प्रतिष्ठानों के शीघ्र अर्थक्षम हो पाने की आशा है। यह योजना भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम लिमिटेड द्वारा चलाई जा रही है। 30-6-77 की स्थिति के अनुसार सूती वस्त्र और पटसन के सम्बन्ध में इस योजना के अधीन प्राप्त, हुए नामंजूर किये गये, स्वीकृत वितरित और अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

	सूती वस्त्र		पटसन	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. प्राप्त आवेदन पत्र . .	157	277.69	21	64.19
2. नामंजूर/वापिस लिए गए/प्रारम्भिक जांच के बाद समाप्त माने गये आवेदन पत्र . .	25	54.56	—	—
3. मंजूर किये गये आवेदन पत्र .	33	21.56	2	5.15
4. वितरित की गई राशि .	—	—	—	—
5. अनिर्णीत आवेदन पत्र .	99	193.11	19	59.04

हैदराबाद के समीप डकोटा के दुर्घटनाग्रस्त होने की जांच

3738. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के समीप दुर्घटनाग्रस्त डकोटा की जांच पूरी हो गई है जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ पांच वैज्ञानिक भी मारे गये थे ;

20007 LS—9.

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) विमान दुर्घटना में मारे गये वैज्ञानिकों तथा विमानचालकों के परिवारों को प्रत्येक मामले में कुल कितना-कितना मुग्रावजा दिया गया ?

पयटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) जांच रिपोर्ट 6 जून, 1977 को प्राप्त हुई थी तथा उसकी समीक्षा की जा रही है ।

(ग) इस विमान दुर्घटना में मारे गए वैज्ञानिकों तथा विमानकर्मियों के परिवारों को 8,01,729.24 लाख रुपये की कुल राशि दी जा चुकी है ।

बैंककारी आयोग द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्यों को पूरा करने के वैकल्पिक प्रबन्ध

3739. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में स्थापित किये गये बैंककारी आयोग द्वारा अधूरे छोड़े गये कार्यों को पूरा करने के लिये सरकार ने कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : सरकार ने काम की उन मदों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जिन्हें श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पूरा नहीं किया है । आयोग ने काम की कोई भी मद इस अर्थ में पूरी नहीं की कि उसने कोई रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की थी ।

Pakistani Citizenship for Some Persons of U. P.

3740. **Shri Surendra Bikram :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the owners of the 'Kudrati Manzil' in Tilhar Town of Shahjahanpur District, Uttar Pradesh have been granted Pakistani Citizenship and if so, the reasons for which Government have not taken over their property worth lakhs of rupees even then ; and

(b) the number of heirs of the 'Kudrati Manzil' and the number of persons out of them who are Pakistani citizens and the value of the property ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): (a) and (b). The property in question was owned by Shri Qudrat Hussain Khan who died as Indian national. He was survived by his widow, 3 sons and 3 daughters. His 2 sons migrated to Pakistan and as such only the share of these two sons could be declared as enemy property. The third son who is an Indian national had sold certain properties including the share of his two brothers who migrated to Pakistan. The District Magistrate, Shahjahanpur has already instituted proceedings in the Court of Sub-Divisional Officer, Tilhar, objecting to the illegal sale of the shares of the two Pakistani heirs of the property. The value of the shares of the property of two Pakistani nationals (sons of Shri Qudrat Hussain Khan) has, so far, not been determined.

Labourers Working in Hotels

3741. **Shri Krishna Kumar Goyal :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the labourers working in hotels are given food allowance at a rate of Rs. 45 per month whereas officers are entitled to spend upto Rs. 45 per meal ; and

(b) if so, the reasons for this discrimination ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b) In accordance with the practice prevalent in Hotel Industry in India and abroad, meal allowance/free food is an element in the wage structure of the hotel workers.

In the case of ITDC Hotel workers in Delhi, Meal Allowance has been fixed at Rs. 45/- per person per month, as per settlement with their Unions. In respect of the workers in ITDC Hotels outside Delhi, the Meal Allowance ranges between Rs. 20/- and Rs. 30/ per person per month. Excepting those who are given free meals, while on duty Meal Allwoance is admissible to all hotel workers even during the period of their leave with pay. Those employees who are entitled to free meals on duty are given Meal Allowance in lieu of free meals during the period of their leave.

Meal Allowance is not paid to ITDC Hotel Officers. To ensure prompt and efficient service to the hotel guests, officers having operational and managerial duties are given free meals while on duty. The maximum cost of such meals varies from hotel to hotel and ranges between Rs. 7·20 to Rs. 12/- per meal.

Admissibility of meal allowance/free duty meals is related to the duties and responsibilities assigned to the various employees and officers of the hotels.

Service Charges Received by India Tourism Developmenl Corporrtion

3742. **Shri Krishna Kumar Goyal :**
Shri Kachrulal Hemraj Jain :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether the management of India Tourism Development Corporation receive service charges from the persons staying in hotels in the name of workers ; and

(b) whether this money is not distributed among the workers ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) and (b). Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Labour Quarters of Hotels Run by I.T.D.C.

3743. **Shri Krishna Kumar Goyal :**
Shri Kachrulal Hemraj Jain :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether the management of ITDC carries out repairs in hotels throughout the year

(b) whether the labour quarters of hotels run by India Tourism Development Corporation have not been cleaned, white washed, repaired and renovated till date ; and

(c) if so, the facts in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) The I.T.D.C. carries out repairs in its hotels periodically as part of a planned maintenance programme as also when any specific need arises.

(b) and (c) : The staff quarters in I.T.D.C. hotels are kept in good condition through planned maintenance programmes carried out periodically.

Import and Export Licences to Birla Group

3745. **Shri Hukmdeo Narayan Yadav** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the number and value of import and export licences granted to Birla Group during the period from 1962 to 1976 indicating the names of the commodities for which such licences were granted ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (**Shri Mohan Dharia**) : Company/Firm-wise statistics of import licences are not maintained. However, particulars of all import licences issued are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences". A copy of this Bulletin is regularly made available to the Parliament Library.

Import and Export Licences Issued by Import Trade Control Organisation

3746. **Shri Nawab Singh Chauhan** : Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Import Trade Control Organisation had issued some import and export licenes of some commodities to the Members of previous Parliament ; and

(b) if so, the names of Members of Parliament to whom these licences were given together with the names and the value of those commodities and the basis on which those licences were given ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (**Shri Mohan Dharia**) : (a) and (b) : Statistics of import licences are not maintained on the basis of occupations or services. However, particulars of all import licences issued are published in the "Weekly Bulletin of Industrial licences, Import Licences and Export Licences". A copy of this Bulletin is regularly made available to the Parliament Library.

Employees Retired and Suspended by Accountant General, Gwalior

3747. **Shri Chhabiram Argal** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state :

(a) the category-wise number of employees retired and suspended by the Accountant General, Gwalior after 26th June, 1975 ; and

(b) the category-wise number of employees, out of them, reinstated and the number of those employees, category-wise, who have not been reinstated and the detailed information in this regard ?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (**Shri H.M. Patel**) :

(a) *Retired :*

Group 'B' ;	2
Group 'C'	11
Group 'D'	1

Suspended :

Group 'C'	12
Group 'D'	6

(b) (i) None of the retired employees has been reinstated.

(ii) Out of the employees who were placed under suspension after 26-6-75, the following have already been reinstated :

Group 'C'	8
Group 'D'	6

(iii) Out of the remaining 4 Group 'C' suspended employees, 2 resigned while under suspension. Against one person, departmental action is under process. One person was removed from service on 7-5-77 after taking action under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules. He has since filed an appeal which is being looked into by the Appellate Authority.

Scheme formulated by Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry

3748. **Shri Surendra Bikram**: Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry has formulated a scheme to study the problems of traders ; and

(b) if so, the details thereof and the nature of problems to be studied under this scheme and when this work will be started ?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (**Shri Mohan Dharia**): (a) While the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has been making studies of the problems of industry and trade on a continuing basis, Government are not aware of any specific scheme formulated by FICCI to study the problems of traders.

(b) Does not arise.

Allocation of Foreign Exchange to Shrimati Indira Gandhi and her Family Members

3749. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange given to Shrimati Indira Gandhi, the former Prime Minister and the members of her family during the last three years;

(b) the annual break-up thereof and the amount of foreign exchange given to each of them ;

(c) the reasons for giving foreign exchange to them;

(d) whether there have been some irregularities also in this connection; and

(e) if so, the details thereof and the action taken by Government thereon?

The Minister of Finance and Revenue and Banking (**Shri H. M. Patel**): (a) to (c) A statement furnishing the requisite information as per records available is attached at Annexure 'A' to this question.

(d) No irregularities have come to notice.

(e) Does not arise.

Statement

Parliament Unstarred Question No. 3749 *due for reply on* 15-7-1977 *in the Lok Sabha*

Name	Amount of foreign exchange released by R.B.I.	Country visited	Purpose of visit	Period
1	2	3	4	5
Smt. Indira Gandhi	Rs. 157·00	Maldives	State visit	January, 1975 for 3 days
Smt. Indira Gandhi	Rs. 189·00	Iraq	Do.	January, 1975 for 4 days
Smt. Indira Gandhi	Rs. 315·00	Jamaica	Do.	April-May, 1975 for 10 days

1	2	3	4	5
Smt. Indira Gandhi	Rs. 189·00	USSR	State visit	8-6-76 to 13-6-76
Shri Rajiv Gandhi	£ 15/-	USSR	Accompanying P.M. on state visit	8-6-76 to 13-6-76
Smt. Sonia Gandhi	Do.	Do.	Do.	Do.
Shri Sanjay Gandhi	Do.	Do.	Do.	5-6-76 to 11-6-76
Smt. Menaka Gandhi	Do.	Do.	Do.	Do.
Kumar Rahul Gandhi	Do.	Do.	Do.	8-6-76 to 11-6-76
Kumari Priyanka Gandhi	Do.	Do.	Do.	Do.
Smt. Indira Gandhi	Rs. 220·00	GDR & Afghanistan	State visit	1-7-76 to 7-7-76
Smt. Indira Gandhi	Rs. 346·00	Mauritius, Tanzania and Zambia	Do.	8-10-76 to 17-10-76
Shri Sanjay Gandhi & Smt. Menaka Gandhi	£ 15/- each	Mauritius	Accompanying P.M. on State visit	8-10-76 to 12-10-76

कोका कोला कम्पनी द्वारा निर्यात

3750. श्री धर्म सिंह भाई पटेल :
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत 5 वर्षों के दौरान कोका कोला कम्पनी को अपने निर्यात संवर्द्धन के लिये कितनी राशि खर्च करने की अनुमति दी गई और उन वर्षों में उसका निर्यात कितना रहा ;

(ख) क्या उनका निर्यात बढ़ा है अथवा घट गया है ;

(ग) यदि घटा है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस की निधियां अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के कामों में लगा दी जाती हैं, यदि हां, तो इस संबध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को सांद्रणों के निर्यात से होने वाली उनकी निर्यात आय के 10 प्रतिशत तक के निर्यात सेवा प्रभार भारत से भेजने की अनुमति दी जाती है । यह राशि कम्पनी को अनुमत उनके अपने उत्पादों से भारतीय शाखा की (आयातों, लाभ, मुख्य कार्यालय व्यय, क्षेत्रीय कार्यालय व्यय, सेवा प्रभार आदि सभी मदों से निर्यात आय की 80 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के भीतर होनी चाहिये । रिजर्व बैंक ने 1971 से मैसर्स कोका कोला कारपोरेशन को निर्यात सेवा प्रभारों के कारण कोई धन राशि भेजने की अनुमति नहीं दी है ।

गत पांच वर्षों में मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :—

वर्ष	कुल निर्यात प्राप्ति (एफ० ओ० बी०)
	रु०
1971	1,45,88,663
1972 . . .	1,45,41,760
1973 .	1,88,31,127
1974	1,21,08,754
1975	5,43,328
योग .	6,06,13,632

मैसर्स कोका कोला कारपोरेशन के निर्यात तेजी से गिर रहे हैं।

(ग) चूंकि मैसर्स कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन एक गैर-सरकारी संस्था है, अतः सरकार इस स्थिति में नहीं है कि वह कम्पनी द्वारा उसके निर्यातों को घटाये जाने कारण बता सके।

(घ) मैसर्स कोका कोला कारपोरेशन को मुख्य कार्यालय और क्षेत्री कार्यालय के खर्चों के लिये धनराशियों भी भेजने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने उन्हें 1–1–1969 से 31–3–1972 तक निगम की कुल निर्यात आय के 80 प्रगितशत तक सीमित कर दिया था। 1-4-1973 से यह शर्त लगा दी गयी थी कि ऐसी भेजी जाने वाली राशियां उनके उत्पादन की मदों के निर्यात से होने वाली आय के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1971 से 1975 के दौरान 1974 में इस प्रकार की धनराशि भेजने की अनुमति दी गई थी।

चुंकि यह धनराशि सरकारी विनिश्चय के अनुसार और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से भेजी गई थी, इसलिए कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

States and Sections in the Society which come under Weaker Sections in the Field of Cooperation

3752. **Shri Jagdambi Prasad Yadav :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the names of the States and sections in the society that come under weaker sections in the field of cooperation and the steps taken by Government for their uplift?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dharia): The cooperatively under-developed States/Union Territory Administrations are: Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Rajasthan, Sikkim, Tripura, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, Laccadive and Minicoy Islands and Mizoram. In order to speed up cooperative development programmes in the aforesaid States and Union Territory Administrations, a number of schemes in various fields of cooperative activity like cooperative credit, cooperative marketing, processing and storage, Cooperative Education and Training and Consumer Cooperatives have been evolved with financial assistance from the Central Government.

An omnibus criteria for identification of various sections of the community as cooperatively weak is not possible of adoption. The yardstick has to be different depending upon the field of cooperative activity. For the purpose of provision of credit for seasonal agricultural operations, a small farmer and/or marginal farmer/and an economically weak farmer has been defined by the Reserve Bank of India. A number of measures have been taken up with a view to reorienting the working of cooperatives for ensuring effective participation of vulnerable and under-privileged sections of the society in the cooperative activity. Some of these are: (i) longer term for repayment of loans, (ii) lower down payments, (iii) determination of eligibility for loans on the basis of incremental income after improvement, rather than on the value of security offered, (iv) encouraging loans to groups of farmers who cannot afford to take such loans on an individual basis, (v) earmarking at least 20% of the advances of Central Cooperative Banks & Land Development Banks in favour of small/economically weak farmers and (vi) emphasis on development of functional cooperatives for activities like diary, poultry, fisheries and on co-operatives for tribasi. In addition, many of the State Cooperative Societies Act now provide for representation to the weaker sections in the cooperatives, ear-marking at least 1/3rd to 1/2 of the Seats on the Managing Committee of a Society from the weaker sections.

Cooperative credit institutions are required to follow "Open door policy regarding membership. Legislative measures have also been taken by many States to ensure automatic membership to persons belonging to weaker sections, in the cooperative credit societies.

Harijan and Adivasi Workers in Cooperative Organisations

3753. **Shri Jagdambi Prasad Yadav:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the number of Harijans and Adivasi workers separately, working in national level cooperative organisations and the number of those given promotions in all grades during the last three years?

The Minister of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Mohan Dhaira): There are 15 cooperatives including Indian Farmers Fertilizer Cooperative Ltd. which are treated as national level cooperative organisations. Of these, one society has been registered recently in February, 1977 and hence information for this federation is not included. During 1974-75 there were 82 Scheduled Castes and 11 Scheduled Tribes workers in the national level cooperative organisations. Their number went up to 133 and 12 respectively in 1975-76. At present these organisations employ 231 workers belonging to Scheduled Castes and 21 workers belonging to Scheduled Tribes.

One person belonging to Scheduled Castes got promotion during 1974-75 and 4 persons in 1975-76. Of the 9 persons who got promotion during the 1976-77, 8 belonged to Scheduled Castes and 1 to Scheduled Tribes.

निर्यात और आयात

3754. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत के निर्यात और आयात सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं और इससे पहले वर्ष की तुलना में ये कितने न्यूनाधिक हैं ;

(ख) प्रत्येक मुख्य मद के लिये निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में निर्यात-कार्यकरण कैसा रहा; और

(ग) यदि कम हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1976–77 के दौरान भारत के कुल निर्यात (पुनर्निर्यात सहित) 5089.38 करोड़ रु० के हुए जबकि 1975–76 के दौरान 4042.81 करोड़ रु० के हुए थे जिससे 25.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई देती है। वर्ष के दौरान कुल आयात 5021.78 करोड़ रु० के हुए जबकि 1975–76 के दौरान 5625.22 करोड़ रुपये के आयात हुए थे, अतः आयातों में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई।

(ख) तथा (ग). अनन्तिम आंकड़ों से पता चलता है कि पटसन उत्पादों तथा चीनी जैसी कुछ मदों को छोड़कर वर्ष के दौरान अधिकांश मुख्य मदों के निर्यात आशा से अधिक रहे। पटसन उत्पादों में गिरावट संश्लिष्टों तथा अन्य मुख्य निर्यातक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण आई। चीनी के निर्यातों में गिरावट मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के स्तर में कमी होने के कारण हुई।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारतीय पर्यटन विकास निगम के मामलों की जांच

3755. **श्री शंकर सिंहजी बघला** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए भेजे गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरों की जांच कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांचाधीन मामलो में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ?

पयटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मामले की जांच की जा रही है, तथा इस स्थिति में इसके ब्यौरे प्रकट करना जांच कार्य के समुचित रूप से संचालन के हित में नहीं है।

तेहरान के लिए एयर इंडिया की उड़ानें

3756. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **पयटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया के विमान चालकों ने 1 जुलाई, 1977 से तेहरान के लिये उड़ानें न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) से (ग) भारतीय विमानचालक गिल्ड ने अपने सदस्यों को एक निर्देश दिया था कि जब तक तेहरान में विमान चालकों के लिए होटल आवास की समस्या का समाधान न हो जाये, 1 जुलाई, 1977 से तब तक वे वहां से होते हुए उड़ानों का परिचालन न करें। बाद में इस निर्देश को 9 जुलाई, 1977 तक के लिए मुल्तवी कर दिया गया था। एयर इंडिया का प्रबंधक वर्ग तेहरान में ऐसा वैकल्पिक आवास-स्थान प्राप्त करने में सफल हो गया है जो भारतीय विमानचालक गिल्ड को स्वीकार्य है। अतः गिल्ड ने उक्त निर्देश को अब वापस ले लिया है।

सेंट्रल बैंक-सामी पटेल गबन काण्ड

3757. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में सेन्ट्रल बैंक-सामी पटेल दस लाख पौंड गबन काण्ड सम्बन्धी मामले ने क्या मोड़ ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सन्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त मामला कब से चल रहा है ?

वित्त मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 1969–70 में बैंक की लंदन शाखा में हुई जालसाजी, जिसमें तत्कालीन प्रबन्धक श्री सामी पटेल शामिल थे, के सम्बन्ध में दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार सभी कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। केवल श्री सामी पटेल के विरुद्ध दिवालियापन की कार्रवाई बाकी है, जिसमें यद्यपि श्री सामी पटेल के विरुद्ध निर्णय दे दिया गया है किन्तु वसूली की कार्रवाई अभी शेष है। श्री सामी पटेल और उनके दो सह-अपराधियों के विरुद्ध फौजदारी मामले में लन्दन के केन्द्रीय फौजदारी न्यायालय द्वारा 1972 में निर्णय किया गया था जिस में तीनों को सज़ा सुनायी गयी थी इस मामले में शामिल विभिन्न पार्टियों के विरुद्ध फौजदारी मामले भी बैंक द्वारा 1974 तक निपटा दिये गये थे।

सेंट्रल बैंक इस मामले में हुई किसी नई बात से अवगत नहीं है।

मध्य पूर्व से कोचीन तथा त्रिवेन्द्रम के लिए विमान यात्रियों के विषय में 17 जून 1976 को पूछे गए लिखित प्रश्न संख्या 845 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

CORRECTION TO STATEMENT TO U.S.Q. NO. 845 DATED 17-6-77 IN REGARD TO AIR PASSENGERS FROM MIDDLE EAST TO COCHIN AND TRIVENDRUM

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : 17 जून, 1977 को दिये गये लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 845 के भाग (ख) के उत्तर में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया है कि त्रिवेंद्रम से बम्बई तथा बम्बई से त्रिवेन्द्रम की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब, अस्थायी आधार पर, बिना कोई अतिरिक्त मूल्य चुकाए मद्रास के मार्ग से यात्रा करने की अनुमति है। अब यह मालूम हुआ है कि यह स्थिति पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि बम्बई से त्रिवेंद्रम की यात्रा करने वाले यात्रियों को बिना कोई अतिरिक्त मूल्य चुकाए मद्रास के मार्ग से यात्रा करने की अनुमति नहीं है। सही उत्तर निम्न प्रकार है :—

> "(ख) (ii) त्रिवेंद्रम से बम्बई की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब, अस्थाई आधार पर, बिना कोई अतिरिक्त मूल्य चुकाए मद्रास के मार्ग से यात्रा करने की अनुमति है।"

गलती के लिये खेद है।

दिल्ली में विषैली शराब से हुई मौतों के बारे में

REG DEATHS DUE TO LIQUOR POISONING IN DELHI

श्री कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली): जहरीली शराब पीने से कल दिल्ली में एक दुखद घटना घटी। ऐसी घटनाएं पहले भी देश के किसी न किसी भाग में घटती रही हैं। पर यह घटना बहुत ही भयानक है। इस पर इस सभा में विचार होना चाहिए। इसके लिए कुछ समय नियत किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कल मंत्री जी ने इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था। इस विषय के महत्व को देखते हुए मैंने कल के लिए एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इसमें पांच सदस्य स्पष्टीकरण मांगे गे और मंत्री जी जवाब देंगे। इस पर विचार करने का यही एक अच्छा तरीका है।

Shri Balbir Singh (Hoshiarpur): Yesterday Mr. Chauhan had said that he possessed some documents against Mrs. Indira Gandhi.

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आए थें और मैंने आपको यह बता दिया था कि आगे क्या करना है। अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेगें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कॉफी अधिनियम, रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना और रबड़ बोर्ड के वर्ष 1975-76 के लेखे पर लेखापरीक्षा प्रतिवदन, आदि

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कांफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 4062 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० 706/77]

(2) रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 22 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 122 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 707/77]

[श्री मोहन धारिया]

(3) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम के वर्ष 1975–76 के लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे का विवरण।
[ग्रन्थालय में रखा गया/**देखिये** संख्या एल० टी० 708/77)]

(4) टेक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत टेक्सटाइल समिति, बम्बई के वर्ष 1975–76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
[ग्रन्थालय में रखे गए/देखिये संख्या एल० टी० 709/77]

(5) निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) नमक का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2191 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नील का निर्यात (गुण प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) नियम, 1977 जो दिनांक 2 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2197 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 710/77]

सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 454 (ङ) से 469 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 1 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।
[ग्रन्थालय में रखी गई/**देखिये** संख्या एल० टी० 711/77]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 398 (ङ) से 405 (ङ) जो दिनांक 23 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 414 (ङ) जो दिनांक 25 जून, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 712/77]

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : जो ध्यानाकर्षण स्वीकृत हो जाता है उसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि कार्यसूची में उन सभी सदस्यों के नाम छापे जाने चाहिए जिन्होंने उसके लिए सूचना दी हो । अन्यथा इससे यह धारणा पैदा होती है कि उन दो-चार सदस्यों को छोड़कर जिनका नाम ब्रैकेट में आता है और कार्यसूची में छपता है, अन्य सभी सदस्य बैठकर ऊंघते रहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : लोक सभा में 500 से अधिक सदस्य हैं । हो सकता है कि किसी एक मामले में 200 या 300 सदस्य सूचना दें । तो क्या सभी का नाम कार्यसूची में छापना सम्भव है ? यह असम्भव है । अगर आप इस प्रक्रिया पर विचार चाहते हैं तो आप नियम समिति को पत्र लिखें । समिति इस पर विचार करेगी ।

श्री वयालार रवि : मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा पटल पर पत्र रखने में हुए विलम्ब के बारे में कहना चाहते हैं । इस सम्बन्ध में आपको अध्यक्ष को लिखना चाहिए और उनकी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

केन्द्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विकलांगों के लिए रिक्त स्थानों के आरक्षण के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. RESERVATION OF VACANCIES FOR THE PHYSICALLY HANDICAPPED FOR CERTAIN POSTS IN CENTRAL GOVERNMENT AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : जैसा कि इस सदन को पता है भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार पर लगाए जाने को बढ़ावा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है । सदन को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस सरकार के लिए अब इस मामले में निर्णय लेना सम्भव हो गया है ।

2. भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्रीय सेवाओं में वर्ग 'ग' और 'घ' के पदों में तथा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समान पदों में नेत्रहीन, बधिर और आपंग व्यक्तियों में से प्रत्येक वर्ग के लिए एक-एक प्रतिशत कुल मिला कर 3% रिक्त पद आरक्षित किए जाएंगे ।

(2) जहां विकलांग व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे अथवा जहां काम इस प्रकार का होगा कि वहां तकनीकी रूप से किसी विशिष्ट वर्ग के विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी वहां आपस में अदला-बदली की इजाज़त होगी ।

[(डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र)

(3) जहां विकलांग व्यक्तियों के किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्ति पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे, वहां बिना भरे गए रिक्त पद अगले वर्षों में ले जाए जा सकेंगे।

(4) कुछ मामलों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% रिक्त पदों के आरक्षण के दायित्व से पुर्ण या आंशिक छूट के लिए उपबन्ध होगा। ऐसी छूट समाज कल्याण विभाग में अन्तर-विभागीय समिति द्वारा दी जाएगी।

(5) नौकरियां देने वाले प्रत्येक मंत्रालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह ऐसे कार्यों का पता लगाए जिन्हें विभिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्तियों द्वारा विशेष उपकरण की सहायता से अथवा उसके बिना कुशलता की कमी लाए बिना किया जा सकेगा।

(6) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विकलांग व्यक्तियों, विकलांग भूतपुर्व सैनिकों तथा युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों को केन्द्रीय सेवाओं में 'ग' और 'घ' वर्ग के पदों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समान पदों में इन वर्गों के लिए आरक्षित कोटे में से भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी।

3. मुझे विश्वास है कि इस निर्णय से बहुत से सुपात्र विकलांग उम्मीदवारों को राहत मिलेगी, जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता है तथा वे समुदाय में स्वतन्त्र और आत्मनिर्भर सदस्यों के रूप में रह सकेंगे।

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1977
FINANCE (NO. 2) BILL, 1977

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): मैं प्रस्ताव* करता हूं कि :—

"वित्तीय वर्ष 1977–78 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक की मुख्य बातें मैंने अपने बजट भाषण में बता दी थीं। अब मैं इस बारे में सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान सदस्यों ने विधेयक में किये गये उपबन्धों के बारे में कुछ सुझाव दिये थे। मैंने उन सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और कुछ मूल प्रस्तावों में तदनुसार परिवर्तन करने का निश्चय किया है।

आयकर अधिनियम में शामिल की जा रही प्रस्तावित ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट निम्न प्राथमिकता वाले सामान के निर्माण में लगे हुए उद्योगों को छोड़ कर सभी उद्योगों को निवेश सम्बन्धी छूट देने की योजना है। इस सम्बन्ध में विधेयक में लघु उद्योगों और अन्य उद्योगों में कोई भेद नहीं किया गया है पर सरकार की लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने और उनकी मदद करने की नीति को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निश्चय किया है कि छोटे उद्योगों को यह छूट दी जाये चाहे वे कम प्राथमिकता वाला माल ही निर्मित करते हों। विलास की कुछ मदों को ग्यारहवीं सूची में शामिल किये जाने के बारे में किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद घड़ियों, संगणकों, मोटरकारों, मोटर साइकलों आदि को इस सूची में शामिल न करने का निर्णय किया गया है।

---

*राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्ताव किया गया।

विधेयक में यह व्यवस्था है कि सरकारी प्रयोगशालाओं, सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और विश्वविद्यालयों में विकसित जानकारी का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए मशीनें अथवा संयंत्र लगाने पर 35 प्रतिशत की बढ़ी हुई दर पर निवेश सम्बन्धी छूट दी जायेगी। यह शिकायत की गई है कि इस उपबन्ध से उन अन्य संस्थाओं के साथ भेदभाव होता है जो लाभकारी अनुसंधान कार्यों में लगी हुई हैं। इस शिकायत को मानते हुए मैं इस रियायत को उन मामलों में भी लागू करने का प्रस्ताव करता हूं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए निर्धारित प्राधिकरणों द्वारा मान्य अन्य संस्थाओं में विकसित जानकारी का उपयोग किया जाये। यह रियायत सहकारी क्षेत्र को भी दी जायेगी।

विधेयक में 'ग्रामीण-क्षेत्र' की परिभाषा आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबन्धों के सन्दर्भ में की गई है। अब इस परिभाषा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परिभाषा के अनुसार केन्द्र सरकार को नगरपालिकाओं और छावनी बोर्डों की सीमा से 15 कि०मी० तक के क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र के रूप में अधिसूचित न करने का अधिकार होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लघु औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए विधेयक में प्रस्ताव है कि ऐसे उपक्रमों से अर्जित लाभ के 20 प्रतिशत के बराबर धनराशि कम करने का करदाताओं को हक होगा। यह कर रियायत किसी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे उपक्रम द्वारा 30 जून, 1977 से पहले उत्पादन या निर्माण कार्य आरम्भ करने के मामलों में भी उपलब्ध होगी। इस प्रयोजनार्थ, 'ग्रामीण क्षेत्र' का वही अभिप्राय होगा जो ग्रामीण विकास रियायत सम्बन्धी उपबन्ध के अन्तर्गत है।

आयकर अधिनियम के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की जो परिभाषा है उसके स्थान पर एक नई परिभाषा रखी गई है। अब इस नये उपबन्ध के अन्तर्गत जब तक केन्द्रीय सरकार कोई अधिसूचना जारी न करे तब तक 10,000 से अधिक आबादी वाली नगरपालिकाओं तथा छावनी बोर्डों की सीमाओं से बाहर सभी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र समझे जायेंगे। वित्त विधेयक अधिनियमित होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को नये उपबन्ध के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के लिए पर्याप्त समय देने के विचार से यह प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित लघु औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध कर रियायत तभी मिले जब अपना उत्पादन कार्य 30 सितम्बर, 1977 के पश्चात् आरम्भ करें।

संचित व्यापारिक हानि और अपूरित मूल्य ह्रास छूट का लाभ इस विधेयक के अन्तर्गत तभी उपलब्ध होगा जब रुग्ण औद्योगिक एकक वाली कोई कम्पनी किसी दूसरी कम्पनी में विलय करेगी। इसके अन्तर्गत रुग्ण जहाजरानी एकक शामिल नहीं है। जहाजरानी उद्योग राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। इसलिए इस उपबन्ध की सीमा का विस्तार उन मामलों में भी करने का प्रस्ताव है जिनमें एक या कई जहाजों की मालिक तथा जहाजरानी व्यापार करने वाली कोई कम्पनी किसी अन्य कम्पनी में विलय करे।

विभिन्न अभ्यावेदनों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए ने अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी अपने प्रस्तावों में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का विचार किया है। मैंने हाथ-औजारों, छोटे औजारों, तौलन मशीनों, घड़ियों, विद्युत् प्रकाश फिटिंग, पालिश, क्रीम आदि पांच नई वस्तुओं पर 10 प्रतिशत उत्पादन-कर और एसिटीलीन गैस पर 12 प्रतिशत उत्पादन-कर लगाये जाने का प्रस्ताव रखा था। चूंकि इनमें से अधिकांश उद्योग कुटीर उद्योग आधार पर चल रहे हैं और सरकार इनके विकास को प्रोत्साहित करना चाहती है, इसलिए मैं इन वस्तुओं के छोटे निर्माताओं को 1 लाख रुपये मूल्य के

(डा० एच० एम० पटेल)

सामान की निकासी तक मिलने वाली छूट सीमा वस्तु-वार 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहा हूं। बिजली-रहित कारखानों द्वारा बनायी जाने वाली पालिश, क्रीम और पाउडर के मामले में इसकी पूरी छूट होगी।

कपड़ा उद्योग, निस्संदेह, हमारे देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है और हम उसके स्वस्थ विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहते हैं। सरकार ने कम्पोजिट मिलों, सूत मिलों, विद्युत् चालित करघों, हाथ-करघों आदि इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता को पूरी तरह समझा है। इन क्षेत्रों से मिले सुझावों पर विचार करने के पश्चात् मैं मूल कर प्रस्तावों में कुछ संशोधन पेश करता हूं। कपड़ा आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त बिजली-चालित करघों और ऐसा लाइसेंस न रखने वाले बिजली चालित करघों में विभेद करने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि बिना लाइसेंस बिजली-चालित करघों पर प्रति करघा 400 रु० वार्षिक संमेलित शुल्क लगाया जाये, जबकि मेरे मूल कर प्रस्ताव में बिजली-चालित करघों को ऐसे उत्पादन कर से पूरी छूट दी गई थी।

झा समिति की सिफारिशों के आधार पर मैंने कपड़े पर उत्पादन शुल्क यथा-मूल्य लगाने का प्रस्ताव किया है न कि कपड़ा बनाने में लगे सूत की गणना के आधार पर। एकीकृत (कम्पोजिट) मिलों के मामलों में मैंने यह शुल्क एक ही स्तर पर अर्थात् कपड़ा निर्माण स्तर पर लगाये जाने का प्रस्ताव किया है। इस उद्योग के कुछ क्षेत्रों में इससे गलतफहमी उत्पन्न हो गई है और मुझे सलाह दी गई है कि सूत की गणना के आधार पर शुल्क-दर नियत करने के पुराने तरीके में अचानक परिवर्तन करने से गड़बड़ी उठ खड़ी होगी और मोटे तथा मध्यम स्तर के कपड़े की कुछ किस्मों की लागत बढ़ जायेगी। कपड़ा उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र से यह अभ्यावेदन मिला कि सुपर-फाइन कपड़े पर यथा-मूल्य शुल्क बढ़ाये जाने का उनके ऊपर हानिकर प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इसका बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू कर दिया है। अतः यह प्रस्ताव है कि एकीकृत मिल में उपयोग किये जाने वाले सूत पर भी अलग से उतना ही शुल्क लगाया जाये जितना विकेन्द्रित क्षेत्र में उपयोग किये जाने के लिए मिलों के सूत पर लगता है। यह भी प्रस्ताव है कि नियंत्रित कपड़े और जीन पर शुल्क की दर 50 प्रतिशत घटा दी जाये।

अपने बजट प्रस्तावों में मैंने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तावित किया था कि बिजली से न चलने वाले हाथ करघों पर बनाये कपड़े को छूट दी जाये। हाथ-करघा उद्योग को और प्रोत्साहित करने के लिए मैं हाथ-करघा सहकारी समितियों अथवा सरकारी संगठनों द्वारा नियंत्रित बिजली चालित फैक्टरियों में निर्मित हाथ-करघा कपड़े को भी पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

आपूर्ति और मांग में असंतुलन होने के कारण हाल ही में विसकोस धागे के मूल्य बढ़े हैं। इससे बिजली चालित करघों के बुनकरों को बहुत कठिनाई हो गई है। अतः सरकार ने विसकोस फिलामेंट धागे का आयात करने की अनुमति उदारता से देने का निश्चय किया है और ऐसे आयात पर वर्तमान यथा-मूल्य 12 प्रतिशत सीमा-शुल्क से छूट देने का मेरा प्रस्ताव है जिससे कृत्रिम रेशम के बुनाई उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा।

अपने बजट प्रस्तावों में मैंने सिनेमा फिल्मों पर प्रशुल्क दरों का 10 प्रतिशत यथा-मूल्य के हिसाब से पुनर्गठन करने का प्रस्ताव किया था। फिल्म उद्योग के सभी क्षेत्रों से इस सम्बन्ध में जोरदार अभ्यावेदन मिले हैं कि मूल्य के आधार पर शुल्क का निर्धारण अत्यधिक कठिन है। उनमें यह भी कहा गया है कि यह उद्योग अत्यधिक जोखिम वाला है और इस कारण उसमें उत्पादन लागत तथा लाभदायकता के बीच कोई निश्चित सम्बन्ध नहीं है। अतः फिल्म उद्योग की विशेषताओं को

देखते हुए मैं उत्पादन-शुल्क प्रिन्ट की संख्या के आधार पर लगाने का और सबसे पहले 12 प्रिन्टों पर पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। उससे अधिक प्रिन्टों पर उत्पादन-शुल्क उत्तरोत्तर बढ़ता जायेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिल्म उद्योग उत्पादन-शुल्क की इन युक्तिसंगत प्रणाली का स्वागत करेगा।

अपने बजट प्रस्तावों में मैंने पिघलाने के लिए छोटे इस्पात संयंत्रों द्वारा उपयोग किये जाने वाली ताजा छीलन को शुल्क की छूट दी थी। छोटे इस्पात संयंत्रों से मेरे पास अनेक अभ्यावेदन आये हैं जिनमें अनुरोध किया गया है कि यह उद्योग अत्यधिक संकट में हैं। सहायता के लिए मैं छोटे इस्पात संयंत्रों को आयातित छीलन पर सीमा-शुल्क की छूट देता हूं। दैनिक समाचार-पत्रों के लिए जो कतिपय रियायतें घोषित की गई थीं उन्हें सामयिक पत्रों को भी दिये जाने का मेरा प्रस्ताव है।

अल्मूनियम बर्तनों को प्रस्तावित 2 प्रतिशत शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव है क्योंकि इन बर्तनों का उपयोग अधिकतर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग ही करते हैं।

स्टेनलैस इस्पात का पुनर्वेलन करने वालों की ओर से स्टेनलैस इस्पात चादरों के आयात पर सीमा शुल्क यथा मूल्य 320 प्रतिशत से घटा कर 120 प्रतिशत करने के विरोध में जोरदार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनका कहना है कि अब वे प्रतियोगिता में नहीं टिक सकेंगे और यह उद्योग संकट में पड़ जायेगा। इसलिए अब मैं स्टेनलैस इस्पात चादरों, प्लेटों और पट्टियों पर एक समान दर से यथामूल्य 220 प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त आयात को इस प्रकार विनियमित किया जायेगा जिससे स्टेनलैस इस्पात, उसके पुनर्वेलन तथा उत्पादन के स्वदेशी उद्योगों के हित की रक्षा हो सके।

समाचार-पत्र उद्योग को रियायत देने के लिए बजट में अखबारी कागज पर सीमा-शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया था। परन्तु अब और रियायत देने के लिए अखबारी कागज को सीमा-शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है।

बजट प्रस्तावों में कुछ और भी फेर बदल की गई है जिनका विवरण आज जारी की जा रही अधिसूचनाओं में दिया गया है। इन प्रस्तावों के फलस्वरूप राजस्व में 21.6 करोड़ रुपये की कमी हो जायेगी।

मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कर नीति का उद्देश्य यद्यपि संसाधन जुटाना है परन्तु उसके निर्धारण के समय सम्बन्धित उद्योग की हालत को भी ध्यान में रखना चाहिए और उसके विकास में सहायता पहुंचानी चाहिए ताकि पूंजी निवेषकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हित सुरक्षित रहें। मेरा विश्वास है कि किसी उद्योग की स्थिति पर मिले जुले रूप से आपूर्ति तथा मांग, तकनीकी उन्नति विविधीकरण, आधुनिकीकरण, प्रबन्ध कौशिल साधनसामग्री, का अधिकतम उपयोग, प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच सौहार्द आदि बातों के अलावा कराधान के ढांचे का भी प्रभाव पड़ता है। विगत कुछ वर्षों में जो उद्योग सुचारू रूप से चल रहे थे वे आज रुग्ण हो गए हैं। इससे न केवल उत्पादन की दृष्टि से वरन रोजगार की दृष्टि से भी भयकर राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। मेरा इरादा है कि अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों के पुनरुत्थान तथा पुर्नजीवन के लिए जो उपाय हो सकते है उन पर मैं अपने सहयोगी मंत्रियों के साथ निरन्तर विचार-विमर्श करता रहूंगा परन्तु यह दोहरा देना चाहता हूं कि मैं रुग्ण उद्योगों की कठिनाइयों का एकमात्र कारण करों को नहीं माना जा सकता वरन उनके स्वस्थ बनाने के लिए आर्थिक सम्बन्धी उपाय करने की आवश्कता है।

2007 LS—10.

[श्री एच० एम० पटेल]

मैं सभा के सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अच्छे सुझाव दिये हैं । जो भी सुझाव मुझे उचित मालूम हुए हैं उन्हें मैंने सशोधन के लिए लिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

विधेयक के तीनों प्रक्रमों के लिए 15 घंन्टे अलाट किये गये हैं । यदि सभा की सहमति है तो 10 घंटे सामान्य चर्चा के लिए 4 घंटे खण्डवार विचार के लिए और 1 घंटा तृतीय वाचन के लिए निश्चित किये जाये । मुझे आशा है कि सभा इस पर सहमत है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मूल बजट प्रस्तावों में वित्त मंत्री द्वारा किये गये फेर बदल का स्वागत है । मैं उन्हें इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कुछ उन प्रस्तावों में परिवर्तन किया है जो वस्त्र उधोग क्षेत्र के लघु उद्योगों के हित में नहीं था । मुझे प्रसन्नता है कि रोजगार प्रधान उद्योगों को भी रियायत के लिए शामिल किया गया है । कुछ मूल प्रस्ताव तो बिल्कुल भी उचित नहीं थे । लोकतांत्रिक तरीके से अपने साथियों से परामर्श करने पर वित्त मंत्री ने जो ये फेर-बदल किये हैं यह अच्छी प्रक्रिया है ।

वित्त विधेयक पर विचार किये जाने का प्रक्रम अन्तिम प्रक्रम है और सम्भवत: बजट पर वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए । इस से सम्बद्ध सामिाजिक-आर्थिक नीतियों की समीक्षा की जानी चाहिए । अतः यह उचित होगा कि वित्त विधेयक के बारे में कुछ सामान्य विचार किया जाये । क्योंकि यह सामाजिक-आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक साधन है ।

गत कुछ दिनों से सभा में अलग अलग मांगो पर चर्चा हुई है और वित्त मंत्री ने जो भाषण दिया उससे यह मालूम होता है कि बजट बड़े निराशाजनक ढंग से पेश किया गया है । 23 जून के स्टेटसमैन के अनुसार बजट में नई वित्तीय नीति के महत्वपूर्ण विषय पर कोई नई बात नहीं है पत्र में आगे कहा गया है कि पिछले तीन मास में कोई अगला कदम नहीं उठाया गया था, इस से सन्देह होने लगा है कि प्रभावित आर्थिक परिवतनों से कोई परिवर्तन नहीं होगा जैसा कि वायदा किया गया था । कलकत्ता से प्रकाशित 23 जून, के केपिटल इकानामिक पब्लिकेशन में भी कहा गया है कि सत्ताधारी दल में अनेक विचाराधाराएं है । बजट से स्पष्टतः कुछ भी मालूम नहीं होता है कि इसका क्या उद्देश्य है । बजट पर भाषण में कहा गया कि वे कतिपय नीतियों में परिवर्तन करना चाहते हैं । वित्त मंत्री ने कहा है कि वे मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं । हम भी इसी में विश्वास करते हैं किन्तु इसका अर्थ गैर-सरकारी क्षेत्र को महत्व देना नहीं है ।

जनता पार्टी की औद्योगिक नीति के बारे में हमने एक दिन अखबारों में पढ़ा कि एकाधिकारी गृहों की परिभाषा बदली जा रही है । दूसरे दिन जनता पार्टी के अध्यक्ष का एक जोर दार वक्तव्य आया और उससे ताजा सांस मिली । तीसरे दिन उसका खण्डन किया गया कि सरकार की नीति यह नहीं है । चौथे दिन खबर आई कि नए मंत्री कार्य भार ले रहे हैं । पांचवें दिन उद्योग मंत्री ने स्वयं औद्योगिक नीति पर एक वक्तव्य दिया । यह एक अच्छा वक्तव्य था और उसका स्वागत हमने

किया परन्तु अभी भी हमारे मन में सन्देह है कि वास्तव में सरकार की नीति क्या है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री बताएं कि इस समय कौन सी औद्योगिक नीति का पालन किया जा रहा है। 1946 में औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प पारित किया गया था। 1956 में इसमें संशोधन किया गया। यही इस देश की औद्योगिक का निर्देशक है। इसमें सरकारी क्षेत्रों का महत्व दिया गया है और औद्योगिक प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है। यदि इस नीति में परिवर्तन किया जाना है तो सभा में ऐसे परिवर्तन लाए जाने चाहिए। मांगो पर चर्चा के समय केवल वक्तव्य देना पर्याप्त नहीं है और यदि यही स्थिति है तो मैं नहीं समझता कि हम किधर जा रहे हैं।

गत दस वर्षों में आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण के बारे में इस संसद में और देश भर में वाद विवाद हुआ। हमने देखा कि आर्थिक शक्ति का कुछ हाथों में केन्द्रित होना ठीक नहीं है और इस पर संसद में और देश में चर्चा हुई। इसमें अब फेर-बदल हो रहा है। मंत्री अलग-अलग वक्तव्य दे रहें है किन्तु इस बारे में वित्त मन्त्री को स्पष्ट वक्तव्य देना है कि औद्योगिक नीति के बारे में उनका क्या दृष्टिकोण है।

मंत्रियों द्वारा दिये गये कुछ वक्तव्य निश्चय ही अच्छे थे और हमें इस आश्वासन का अनुभव हुआ है कि कम से कम कुछ लोग ऐसे है जो प्रगतिशील विचार रखते है। इसके बावजूद कुछ बुनियादी सवालों के सम्बन्ध में कुछ सन्देह है क्योंकि वित्त विधेयक और बजट में बहुत से फेर-बदल किये गये हैं। इससे पता चलता है कि बजट बनाने वाले अधिकारी है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का हाथ नहीं है जो लोगों की समस्याओं को जानता है। इसलिए बजट निर्माण प्रक्रिया पर पुनः विचार करना चाहिए।

मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कही है तथा आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्राथमिकताओं की बात कही है। सरकार ने केवल यही आभास दिया है की ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। हमारी भी कई वर्षों से यही नीति रही है। वास्तव में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र हमारी आयोजना का केन्द्र रहे हैं। वे केन्द्र ही नहीं आधार है। स्वाभाविक ही है कि उनको अधिक प्रतिशत दिया जाये। यह अच्छा है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। किन्तु इस बात पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिए कि यदि इसको प्राथमिकता दी जा रही है तो इस के लिए क्या किया जाना चाहिए।

यदि सरकार ग्रामीणक्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता देना चाहती है तो उन्हें प्रशासन को नया रूप देना होगा। इसके बिना सरकार उच्च प्राथमिकता नहीं दे सकती। इसमें हम सरकार को पूरा सहयोग देंगे।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि या इससे सम्बन्धित उद्योगों पर निर्भर करती है। कृषि से सम्बन्धित अधिकांश उद्योग समाप्त हो गये हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण जीवन में नई बातें आ गई है। हमने कृषि में बिजली शिक्षा,, रासायनिक खाद, उठाऊ सिंचाई आदि शुरू की है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर व्यापक पूंजी निवेश करना होगा। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? यदि सरकार व्यापक पूंजी निवेश करना चाहती है तो इससे योजना प्रक्रियाओं एवं योजना प्रणालियों को पुनः व्यवस्थित करना होगा। क्या सरकार इसके लिए तैयार है?

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

यह सूचना दी गई है कि कृषि के दृष्टिकोण से भारत के गांवों का सर्वेक्षण किया जा रहा है कहा गया है कि लगभग 30 प्रतिशत जिलों में उत्पादन में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रश्न यह है कि इस स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन किया जाये। सिंचाई के बारे में कहा जा रहा है। किन्तु सिंचाई किस प्रकार की हो और कैसे हो। इसके लिए किसी क्षेत्र में नदियां होनी चाहिए। ऐसे क्षेत्र भी है जहां वर्षा ही नहीं होती और नदियां भी नहीं है। अतः सूखी खेती के लिए नये तकनीक ढूंडे जाने चाहिए। जमीन की नमी को कैसे सुरक्षित रखा जाये। यह सब आसान नहीं है। इसके लिए और 10 वर्ष या इससे भी अधिक समय लग सकता है।

वास्तविक प्रश्न यह हैं कि इन जिलों में, जो देश के 60 प्रतिशत जिले है लोगों को कैसे उत्पादक रोजगार दिया जाये। इसके लिए क्या समाधान है। क्या आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन देना चाहते है कि सरकार रोजगार की गारंटी देती है? यदि इस प्रश्न पर साथ बैठ कर हल निकाला जाये तो हम तैयार हैं।

आज ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास काम नहीं है। ऐसी भी कोई आशा नहीं है कि उन्हें कोई काम मिल जाएगा। पहले ग्रामिण क्षेत्रों में अनपढ़ बेरोजगार ही होते थे, परन्तु अब स्थिति बदल गई है और वहां पर शिक्षित बेरोजगार लोग भी कम नहीं है। उन्हें काम चाहिए। इस समस्या को हल करना होगा। यह तो ठीक है कि ग्रामीण विकास पर अधिक बल देने के लिए, सरकार इस कार्य को प्राथमिकता देना चाहती है। जब तक वहां पर लोगों के जीवन को नई दिशा देने कृषि-एवं औद्योगिक नीति पर पुन विचार करने और वहां पर अधिकाधिक रकम लगाने के लिए कुछ क्रमबद्ध ढंग से नहीं किया जाएगा तब तक इस क्षेत्रों की दशा में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। क्यों कि केवल कुछ करोड़ रुपये इधर उधर खर्च कर देने मात्र से ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में कोई सुधार नहीं किया जा सकता। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरता से सोच कर उचित उपाय करने होंगे।

हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह कि जिस वर्ष उत्पादन अच्छा हो जाता हैं, उस वर्ष कीमतें कम हो जाती है जिससे किसानों को हानि होती है। इसलिए किसान अगले वर्ष ऐसी वस्तुओं की बजाए, जो पहले वर्ष उगाई थी और जिनमें उसे हानि हुई थी, अन्य वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक बल देता है ताकि उसे लाभ हो। ऐसा करने में उन वस्तुओं का, जो उसने पहले वर्ष उगाई थी, उतपादन कम हो जाता है और इस प्रकार कीमतें बढ़ जाती है। अब प्रश्न यह है कि एक ओर तो किसान को लाभप्रद मूल्य देना है और दूसरी ओर कीमतों पर नियंत्रण भी रखना है। कृषि के साथ साथ उद्योगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उद्योगों का होना भी आवश्यक है।

किसी की आलोचना करने का तो मेरा कोई इरादा नहीं है। फिर भी इतना आवश्य कहूंगा कि जी गृह मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर विचार हो रहा था उस समय बेल्ची घटना में हरिजनों के साथ किए गए अत्याचारों का उल्लेख किया गया था। मुझे आशा थी कि गृह-मंत्री जी इस प्रश्न को राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न समझ कर इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने के पश्चात कोई ऐसी प्रभावी कार्यवाही करेंगे कि जिससे लोगों में विश्वास उत्पन्न

हो। परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना चाहती है, वहां उसे इन महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। क्योंकि जब तक ग्रामीण लोगों को इन सभी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक उनकी दशा में कोई सुधार नहीं होने का है। यदि अब भी उनकी दशा में सुधार नहीं होगा, तो स्थिति इतनी अधिक बिगड़ जायेगी कि उस पर काबू पाना कठिन हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों, विशेषकर निर्धन और पिछड़े हुए लोगों की दशा सुधारने के लिए हर सम्भव प्रत्यन करना चाहिए। आशा है, इस समस्या पर गम्भीर रूप से विचार कर इसे हल करने के लिए आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

कराधान सम्बन्धी प्रस्तावों के बारे में हमें आशा थी कि सरकार आम लोगों को कुछ रियायतें देगी? परन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत रियायतें कुछ कम्पनियों को दी गई है जिसका अर्थ है कि इन से एकाधिकारवाद को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक शक्ति कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाएगी।

बीड़ी पर लगे उत्पादन-शुल्क से गरीब बीड़ी पीने वालों पर प्रभाव पड़ने के साथ साथ उन लोगों पर भी पड़ेगा जो बीड़ी उद्योग में काम पर लगे हुए हैं। क्योंकि उद्योगपतियों ने तो अपनी कमी को किसी न किसी तरह से पूरा करना ही होगा। उन के पास यही रास्ता है कि वे उद्योग में छटनी करें और इससे कई मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे। अतः सरकार को इस मामले पर पुर्नविचार करना चाहिए।

मेरे विचार में सामान्य उत्पादन शुल्क की सीमा एक ही प्रतिशत होनी चाहिए। परन्तु अब इसे बढ़ा कर दो प्रतिशत किया जा रहा है। इससे औद्योगिक उत्पादन तथा अर्थव्यवस्था के विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न पर भी पुर्नविचार होना चाहिए।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शक्ति-करघा तथा हथकरघा उद्योग के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। ऐसा देखा गया है कि अधिकांश रियायतें संयुक्त मिलों को दे दी जाती है। वास्तव में हमारा यह एक ही सिद्धान्त होना चाहिए कि वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों में पहली प्राथमिकता हथकरघा को मिलनी चाहिए। इसके रास्ते में संयुक्त मिलों को किसी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं अटकाने देना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। परन्तु यदि कुछ और भी करने की आवश्यकता हो, तो वह भी किया जाना चाहिये।

जहां तक गैर-सरकारी कम्पनियों को ग्रामीण विकास के लिए भत्ता देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध तो नहीं करना चाहता परन्तु इतना जरूर बता देना चाहता हूं कि होता यह है कि इन चीजों का बाद में अनुचित लाभ उठाया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये गैर-सरकारी कम्पनियां इन रियायतों का किसी भी प्रकार से कोई अनुचित लाभ न उठा सकें।

[श्री यशवन्तराव चव्हाण]

इसी प्रकार पूर्त न्यासों के मामले में सीमा दो लाख से बढ़ा कर पांच लाख की जा रही है। अभी तो हमें यह एक मामूली बात लगती है। परन्तु बाद में लोग इस रियायत का अनुचित लाभ उठा कर करों से बचना चाहेंगे। उस समय हमें इस रियायत के कारण करों में होने वाली चोरी को भी रोकना होगा।

यह तो एक अच्छी बात है कि नगरों की सीमा से बाहर कुछ क्षेत्रों को भी रियायतें दी जा रही हैं। परन्तु केवल ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा में परिवर्तन करने मात्र से उद्योग वहां स्थापित नहीं हो जायेंगे, इसके लिए हमें कोई और भी विशेष उपाय करने चाहिए क्योंकि उद्योगपति इस नई परिभाषा का लाभ उठा कर बड़े बड़े नगरों के निकट ही अपने उद्योग स्थापित कर लेंगे। इस सम्बन्ध में सरकार अपनी रकम से उद्योग स्थापित करे, तभी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित हो सकेंगे।

मेरे मित्र, श्री पटनायक जी कहते हैं कि वे सरकारी क्षेत्र के मामले में आयव्यायक में किये गये प्रावधानों पर निर्भर नहीं करना चाहते। वह सरकारी क्षेत्रों को वणिज्यक रूप से लाभप्रद और अधिक कार्यकुशल बनाना चाहते हैं। यह तो ठीक है। लेकिन यह भी ठीक नहीं है कि सभी रियायतें गैर-सरकारी क्षेत्र को दे दी जायें और सरकारी क्षेत्र की नितांत उपेक्षा की जाये। भारत की अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र ने जो महत्वपूर्ण योगदान किया है वह कम नहीं है और हमें यह देखना है कि इस क्षेत्र का जो महत्व है उसे कम न होने दिया जाए। अन्यथा हमारी प्रगति में बाधा पड़ जायेगी।

Shri Parmanand Govindjiwala (Khandwa) : The opposition leader Shri Chavan just now urged for massive investment in rural areas in order to bring about development of this country. It is right that we have to pay more attention to villages but it is to be considered whether we can make progress by investing huge sums in rural areas.

Sir, we as legislators have close contact with the people of our constituency but on becoming a Minister we lose such contact.

[श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the Chair*]

If we really want to understand the problems in this country we will have to meet and discuss with the farmers and labourers living in villages, in their language. In Lok Sabha I have found an atmosphere dominated by English and as such we are not correctly representing those people whose representative we claim to be. There should be an arrangement for translation into all the regional languages in this House.

For development of villages we have not only to pay more attention towards the dry farming technique but we have also to give due importance to the water resources available in our country. It is a matter of great concern that a major portion of our river and rain water is going waste. We have to devise and develop measures for utilization of every drop of water. It is quite proper that schemes have been drawn up for construction of dams on the rivers and also for generation of hydro-electricity. But attention has also to be paid to the problem of proper maintenance of wells in the rural areas. It should also be examined whether it is possible to harness the small rivers and rivulets where power to the extent of 5 to 10 megawat can be generated and supplied to a group of 5 to 10 villages.

The proposal to empower the Central Government to notify areas upto 15 kilometres from local limits of municipalities as rural areas and to give concession to the industries established in such areas will create another source of corruption. The main question is whether

individual efforts of middle class person will be permitted in our economic system and if so, as to what extent such pirvate enterprise will be allowed to function. In the name of public sector some vested interests are growing and they do not want to allow any private enterprise. I would like to suggest that even an ordinary farmer or a middle class person should be allowed all opportunities for making progress. It is useless to talk about monopolists at every moment. If is necessary that we should shed our ideological misconceptions. The Finance Minister should present a clear picture of the industrial policy that government propose to follow, so we, the representatives of the people, may explain it to the electorate in their constituency.

Compounded duty is proposed to be imposed on unlicensed powerlooms. The same situation was prevailing 5-6 years back when powerlooms could be set up by paying compounded duty. It will continue to give birth to bogus powerlooms. There should not be any hitch in allowing any body to set up power looms by paying a nominal fee, but a plea may be given against this procedure that it will lead to indiscriminate growth of powerlooms. In this connection I would like to say that it is not easy for anybody to run a powerloom as it has its own economy. I would also like to suggest that it should be ensured that cloth manufactured on powerlooms be cheaper than the mill made cloth. In this regard a clear demarcation of the functions and activities of the three different sectors of powerloom, handloom and composite will be laid down in order to avoid unhealthy competition among them. A clear cut policy in this regard should be formulated, since we cannot protect a sector by reducing and increasing duties on one or the other item.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर): बेलछी कांड का उल्लेख किया गया है । यह नृशंस घटना है । सरकार को चाहिए कि वह अपराधीयों को ऐसी सजा दे जिससे दूसरों का सबक मिले और घटना के शिकार हुए लोगों को दिल खोलकर मुआवजा दे । मुसलमानों को भी पर्याप्त मुआवजा दिया जाए क्योंकि वे भी साम्प्रदायिक भावना के शिकार होते हैं ।

हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं । इन जातियों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को सबसे पहले भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनाना होगा ।

देश की वर्तमान दुर्दशा कांग्रेस के 30 वर्ष के शासन और उसके चाटुकारों के शासन का परिणाम है । सभी आर्थिक गतिविधियों के मामले में पूर्ण गतिरोध रहा है । गत वर्ष में 2 प्रतिशत आर्थिक विकास हुआ बताया गया है । 1970 से 1977 तक 7 वर्षों में विकास की कुल दर 3.5 प्रतिशत बताई गई है । यदि यह आंकड़े सही हैं तो यह विकास विश्व में सबसे कम है । इन वर्षों में विकास में असमानता बढ़ी है और प्रादेशिक असंतुलन तथा विषमताओं में वृद्धि हुई है । आन्ध्र प्रदेश, असम आदि 12 राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है । प्राकृतिक तौर पर उपयुक्त वर्षा होने के कारण ही हम बच जाते हैं ।

निर्धनता के स्तर से भी निचला जीवन बिताने वालों की संख्या 1960-61 की तुलना में आज बहुत अधिक हो चुकी है । ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्ति 1960 में 40 प्रतिशत थे परन्तु 1970 से यह अनुपात 74 प्रतिशत हो गया है । वर्तमान सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि देश में 1.20 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त अनाज खरीदने तक के लिए पूरा धन नहीं होता । आप सुन्दरबन में देखेंगे कि वहां लोग चार चपाती के लिए दस घंटे काम करने को तैयार हो जाते है ।

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

खेद है कि श्री पटेल ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा एकाधिकारी संगठनों के बढ़ावे का उल्लेख नहीं किया। बेरोजगारी की समस्या अत्याधिक गम्भीर हो उठी है। देश में एक तिहाई श्रमिक या तो अर्ध-रोजगार प्राप्त है या बेरोजगार है। 25 प्रतिशत शहरी जनसंख्या ही रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराती है। पश्चिमी बंगाल सरकार बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है। केन्द्रीय सरकार को भी इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। रोजगार का अधिकार एक निर्धारित समय उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था संविधान में हो जानी चाहिए।

मैं योजना आयोग को राष्ट्रीय शीत भण्डार समझता हूं। आप इसका पुर्नगठन कर इसमें निस्वार्थ तथा निष्ठावान विशषज्ञ शामिल करें। श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम के नाम पर राजकोष से 150 करोड़ रुपये निकलवा दिये और यह धन अपनी पार्टी के लोगों में बांटा हम नेहरु परिवार से 30 वर्ष तक समाजवाद की बात सुनते रहे परन्तु आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक प्रकाशन से ज्ञात होगा कि हमारे देश में प्रोटीन का उपयोग सबसे कम है। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं है जिनका प्रतिव्यक्ति उपभोग बहुत घटा है। दूसरी ओर वर्ष 1966–77 से लेकर वर्ष 1975–76 तक की अवधि में 20 सबसे बड़े भारतीय व्यापार गृहों की आस्तियों में 250 की वृद्धि हुई है और इसी अवधि में उनका लाभ 660 करोड़ रुपए से बढ़कर 1680 करोड़ रुपए हुआ है। बिड़ला बन्धुओं ने आर्थिक दृष्टि से देश का नाश किया है और वे भारी आर्थिक अपराधी है। उनके खिलाफ जो जांच हुई थी उसका क्या हुआ? इसी प्रकार विदेशी नियंत्रित रुपए वाली कम्पनियों की कुल तथा सकल लाभों में काफी वृद्धि हुई है 1960 में उनकी कुल आस्तियां 667.6 करोड़ रुपए की जो बढ़कर 1973 में 2746.5 करोड़ रुपए की हो गई और सकल लाभ 1960 में 89.8 करोड़ रुपए का था और 1973 में वह 403.2 करोड़ रुपए का हो गया। उत्पादन में मजूरी के अंश में कमी आई है। कम मूल्य के बीजक बनाकर हेराफेरी करने से पिछले दस वर्षों में हमें 1000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है लेकिन इसके लिए कुछ नहीं किया गया। बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के खिलाफ भी, जो देश को लूटती है, कुछ नहीं किया गया है।

जनता सरकार के आर्थिक कार्यक्रम में बहुत-सी बातें हैं, लेकिन उसने गरीब आदमी पर अप्रत्यक्ष कर का भार बढ़ाया है। कर-भार कम करने के बदले उसने हौजरी का सामान बनाने वालों, बीड़ी बनाने वालों तथा बिजली का सामान बनाने वालों पर कर लगा दिया है।

जहां तक स्टेनलैस स्टील का सम्बन्ध है, मैं जानना चाहता हूं कि नई सरकार देश में अधिष्ठापित क्षमता का विशेष सरकारी क्षेत्र के कारखानों में उसका किस प्रकार उपयोग करेगी, हमें आत्म-निर्भर होना जरुरी है, हमें अधिष्ठापित क्षमता को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। उसका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए।

कोहिनूर मिल्स ने 30 करोड़ रुपए मूल्य के कपड़े का उत्पादन किया जिसमें से 15 करोड़ रुपए उसे सेंट्रल बैंक ने दिए। किन्तु इस मिल की कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जांच करने के बाद सैन्ट्रल बैंक के महा प्रबन्धक तथा उसके कार्यकारी अधिकारियों ने कोहिनूर मिल्स को अतिरिक्त धन देने से मना कर दिया। किन्तु इसके नये अध्यक्ष ने भी संजय गांधी के दबाव में सभी

सलाहों को अवहेलना की और 4.4.1975 को 4.9 करोड़ रुपए का ओवर ड्राफ्ट किया गया। बाद में उसे बढ़ाकर 18.45 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस नये अध्यक्ष के कार्य काल के दौरान कोहिनूर मिल्स का मामला ग्यारह बार बोर्ड के समक्ष रखा गया। किन्तु एक बार भी पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई सभी बातों के लिए बाद में स्वीकृति दी गई।

1.1.75 से 31.3.77 तक की अवधि में कोहिनूर ने संतुलन पत्र (बैलेंस शीट) में 14 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। सेन्ट्रल बैंक का कोहिनर मिल्स पर 24 करोड़ रुपए का ऋण है जिसमें से 15.15 करोड़ रुपए की राशि को ऐसा समझा गया है जिसकी वसूली नहीं हो सकती।

डा० धर्मतेजा फिर से वापस आ गया है, सेन्ट्रल बैंक ने दिसम्बर, 1976 से जनवरी 1977 तक की अवधि में मंगला इंजीनियरिंग (प्राइवेट) लिमिटेड को 96 लाख रुपए दिए हैं। मुझे पक्का शक है कि यह डा० धर्म तेजा की बेनामी फर्म है। मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस मंगाला इंजिनियरिंग (प्रा०) लिमिटेड की तरफ ऐसी कुल कितनी राशि है जिसे वसूल नहीं किया जा सकता।

इसके बाद राजस्व तथा बैंकिग के भूतपूर्व प्रभारी राज्य मंत्री श्री प्रणब कुमार मुखर्जी का मामला भी है, उनकी पत्नी को सरकार ने सेन्ट्रल बैंक कलकत्ता शाखा से 40.74 लाख रुपए का ऋण दिया है। इस मामले से सम्बन्धित कुछ फाइलें सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया से चुराई गई हैं और बहुत सी नष्ट की जा चुकी हैं। इस मामले को शीघ्र जांच की जानी चाहिए अन्यथा सभी फाइलें नष्ट कर दी जायेंगी।

शल्य क्रिया में काम आने वाली रुई निर्माता लेविनों कपूर को सेन्ट्रल बैंक ने 1 करोड़ रुपए दिये जो अब बट्टे खाते में चले गये हैं।

सेन्ट्रल बैंक की पूंजी समाप्त हो गई है। यह बैंक अब केवल खातेदारों की जमा राशि पर व्यापार कर रहा है। यदि सभी खातेदार अपनी राशि वापस निकाल लें, तो यह बैंक बन्द हो जाएगा। देश में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में एल संसदीय जांच आवश्यक है ताकि उनका कार्य ठीक से चले।

प्रकाश काटन, एक हिन्दुजा फर्म ने तेहरान को रुई की वास्तव में एक गांठ का निर्यात किया किन्तु वित्तीय लाभ के लिए कागजों में 40–50 गाठें दिखाई गईं। यह शर्मनाक बात है ? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए।

डी० ई० एम० ए० जी० से कमीशन के रुप में मिलने वाली 14 लाख रुपए की राशि की अदायगी जुलाई, 1976 में की गई थी किन्तु भारत में यह राशि 22 जून, 1977 को प्राप्त हुई। यह राशि जर्मनी में रखी गई थी, क्या यह अभियोज्य अपराध नहीं है। क्या प्रवर्तन निदेशालय ने भी संजय गांधी तथा श्रीमती मेनका गांधी को पूछ-ताछ के लिए बुलाया है ? मेरी जानकारी के अनुसार नहीं बुलाया है। सरकार ने सदन को अभी तक यह नहीं बताया है कि जो फोटोस्टेट कापी मैंने पेश की थी, वह असली थी अथवा नहीं। सरकार इस बारे में सदन को बताए।

भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने जयपुर उद्योग को, जो बदमाशों का एक परिवार है, 8 करोड़ रुपए का ओवरड्राफ्ट देने से इन्कार

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

कर दिया था। जून--दिसम्बर, 1976 में एक उत्पादन शुल्क अधिसूचना के द्वारा जयपुर उद्योग लिमिटेड को थोथे आधारों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क देने से छूट दे दी गई। इस प्रकार कम्पनी को 2 करोड़ रुपए की बचत हुई।

लोक लेखा समिति में रहते हुए मैं निरन्तर यह कोशिश करता रहा कि प्रधान मंत्री राहत निधि तथा मुख्य मंत्री राहत निधियों की लेखापरीक्षा की जायें, किन्तु इसका इतना विरोध हुआ कि ऐसा किया नहीं जा सका। मुझे इसकी जानकारी है कि इसमें से काफी धन का घुटाला हुआ है। प्रधान मंत्री राहत निधि से कहीं भी धन जा सकता है और काफी धन बहुत जगह गया है। ऐसी निधियों का, जो स्वविवेक से खर्च की जाती है, परीक्षण होना चाहिए और लोक लेखा समिति के क्षेत्राधिकार में लाये जाने चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने श्रीमती गांधी की देश तथा विदेशों में आस्तियों के बारे में जांच करने के लिए कोई मशीनरी स्थापित की है। मैं जानना चाहता हूं कि श्री खुश्चेव ने श्रीमती गांधी को जो कोट उपहार रूप में दिया था, उसका मूल्य कितना है और जयन्ती शिपिंग कम्पनी ने श्रीमती भूतलिंगम को कितने रुपए के शेयर बेचे? जहां तक विदेशों में खातों का सम्बन्ध है, श्रीमती गांधी के स्वर्गीय पिता द्वारा लिखी गई पुस्तकों से प्राप्त होने वाली रायल्टी का ब्यौरा क्या है? मंत्री महोदय इन बातों पर प्रकाश डालें।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या श्रीमती गांधी का एक बैंक खाता "पेरोस" सांकेतिक नाम से है? क्या यह सच है कि कर्नल आनन्द 15 करोड़ रुपए के अभिरक्षक थे? क्या यह भी सच है कि मोहम्मद यूनस तथा धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने 19, 20 तथा 21 मार्च को काफी धनराशि अन्यत्र भेजी? हम चाहते हैं कि सरकार इन बातों के बारे में पूरी-पूरी जानकारी सदन को दे।

अमरीकी निदेशकों ने, जब उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया, यह कहा कि वे भारत में विभिन्न लोगों को धन देने के लिए स्विस बैंकों में राशि रखते हैं। कहा जाता है कि राम गोयंका ने फिलिप्स पेट्रोलियम की ओर से श्रीमती गांधी व भूतपूर्व पेट्रोलियम मंत्री को 48 लाख रुपये दिए थे। इस मामले की सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए।

अनिवार्य जमा योजना की राशि कर्मचारियों को लौटा दी जानी चाहिए अधिकांश कर्मचारी तथा मजदूर कर्ज के बोझ से दबे पड़े हैं। यह बहुत बड़ी राशि नहीं है और इस अदायगी से कोई खास मूल्य वृद्धि भी नहीं होगी। सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

मुझे पुराने पेंशन भोक्ताओं से भी कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। 15,000 रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों द्वारा, चाहे वे किसी भी आयु से हों, ये राशि जमा की जाती है। 70 वर्ष के बाद छूट दी जाती है। इस आयु वर्ग के लोगों द्वारा विगत तीन वर्षों में जमा की गई राशि पर सरकार द्वारा सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है अन्यथा उन्हें अपने जीवन में पैसा वापस नहीं मिल पायेगा।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को पुनः वे शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए जो श्रीमती गांधी ने छीन ली थीं। प्रधान मंत्री निधि तथा मुख्य मंत्री निधि जैसी विवेकाधीन निधियां तथा लोक

लेखों की लेखापरीक्षा होनी चाहिए और इन निधियों को सम्बन्धित लोक लेखा समितियों के क्षेत्राधिकार के अन्दर लाया जाना चाहिए ।

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, निर्वाचन आयोग तथा जन संचार विभाग को संसद् की स्थाई समितियों के अधीन काम करना चाहिए ।

विधि मंत्रालय के अधीन चुनाव आयोग का कार्य संचालन अच्छा नहीं है ।

मैं समझता हूं कि जब तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार नहीं किया जाता तब तक कुछ होने वाला नहीं है ।

माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि सरकार लोकतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक उपाय कर रही है मैं इसकी सराहना करता हूं । मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि श्री जगमोहन को, जिन्होंने आपातकाल में तुर्कमान गेट क्षेत्र में अवांछनीय काम किया, फिर से नौकरी दे दी गई है । यदि ऐसे लोगों को दण्ड न दिया गया तो मुसलमान लोग जनता सरकार के बारे में अपनी क्या विचारधारा बनायेंगे ।

हमें अपने देश में एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो कोई भी संविधान का उल्लंघन कर देश के लोकतंत्रात्मक ढांचे को नष्ट करे उसे सारा जीवन जेल में सड़ने दिया जाए ताकि वह फिर बाहर आकर ऐसा काम न कर सके ।

आसुका तथा अन्य कठोर विधियों को तत्काल रद्द कर देना चाहिए ।

Shri Janeshwar Mishra (Allahabad) : This is the first time in my life that I have stood to support the Budget of any Government. It is good that the Congress which used to pay a deaf ear to what we used to say to them is not hard of hearing now and Mr. Chavan too has heard the sound of orchestra in the voice of Janata Party. Mr. Chavan has also said in his speech that the statements of Shri George Fernandes are always progressive while those made by the Prime Minister, Home Minister and Mr. Patel are reactionary. I think this is not a new thing in Congress. In the past it was said that Mahatma Gandhi is reactionary while Mr. Jawaharlal Nehru is progressive. When Mahatma Gandhi was no more then it was said that Shri Jawaharlal is progressive but not Sardar Patel. When Sardar Patel also passed away then it was said that Jawaharlal is progressive but Pt. Govind Ballabh Pant is reactionary. But now when all these personalities were no more and Shrimati Indira Gandhi took the rein of Government in her hands then they began to say that Shrimati Indira Gandhi is progressive but Shri Morarji is reactionary. I thought that they will forget everything of this sort with the last election debacle but they have not forgotten anything so far.

The opposition had staged a walk out yesterday. But it was a lifeless walk out. When we used to stage a walk out we used to hurl invectives. Had they staged a walk out day before yesterday when Ch. Charan Singh had made a statement, I would have thought that it is their reaction thereto. But staging a walk out the next day shows that it was an after thought and it was staged at the instance of someone. Therefore I can say that the opposition is not functioning like a strong opposition and thus they do not deserve my congratulations. They conspired to murder others but when the point of their conspiracy was discussed they staged a walk out. I fail to understand how far this was justified.

The other day Shri Sanjay Gandhi had made a statement that in case he wishes to flee from India no body on earth can prevent him from doing so. I want to know why such a man has not been arrested so far. He should be arrested. So that this kind of punishment may serve as a deterrent for the sons and daughters of the administrators of the country in future.

[Shri Janeshwar Mishra]

[SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए

I would not like to speak at length on this Budget because it has been prepared by the Government which came into power only three months back and this does not contain achievements or lacunae of that Government.

Shri Chavan had said in his speech that Janata Government should give more emphasis on agriculture. The same persons, who have been crying hoarse since the time of Shri Jawahar Lal that there should be advancement of industries in our country, have now started saying that the Government should pay attention towards agriculture.

The Janata sees bureaucrat with suspicion and the bureaucrats see the Government with suspicion. Efforts should be made that this sort of suspicion does not exist. The bureaucrats are generally clever. The other day I had gone to attend the meeting of rail employees. They told me that the persons Gho were declared loyal at the time of strike resorted to at the time of late Shri L. N. Mishra are enjoying facilities even today. Such persons are so clever that whosoever comes into power they please them by their tricks and obtain facilities from them. It is also not ruled out if tomorrow they have extra territorial loyalties. They have become dangerous elements for the economy of the country.

The hon. Minister has mentioned in his budget speech that deductions have been effected on certain items. But I could not understand why the rate of excise duty has not been reduced on bidis which is an item consumed by the poor labourers and agriculturists. On the other hand excise duty on liquor has not been enhanced. Today in Bombay the price of gold spot is more than that of beer. I would appeal to the hon. Minister to make amends of the mistakes committed in the budget.

In the past there have been many cases of nepotism and favouritism. This sort of things should be stopped now. I also hope that the Janata Party shall prove true to its promises made in their election manifesto. The Prime Minister Shri Morarji Desai also deserves my congratulations for the declaration he has made that the problem of unemployment will be solved within the next ten years.

The dual system of education should go from our country. When we requested Dr. Chunder to remove dual system of education he said that such a thing has not appeared in the election manifesto. Though he is not present here but I want to convey to him that in the movement of Shri Jai Prakash Narayan one of the points for implementation was to bring a radical change in the educational system. It is only then that improvements in education can be expected.

With these words I support the Finance Bill and request the House to pass it.

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : सरकार द्वारा तैयार किया गया आय व्ययक देश को पूंजीवाद की ओर ले जाएगा, जबकि आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवाद ही उपयुक्त है। वास्तव में देश को इस समय पूंजीवाद की नहीं अपितु समाजवाद की आवश्यकता है।

मंगलौर में भूमि, श्रमिक, लौह-अयस्क और अन्य सभी साधन उपलब्ध हैं, इसलिए वहां पर एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ वहां पर एक सुपर थर्मल प्लांट भी लगाया जाए क्योंकि कर्नाटक के लोग इस संयंत्र की स्थापना के लिए कह रहे हैं। मुझे आशा है भारत सरकार उन लोगों की इस आकांक्षा को अवश्य पूर्ण करेगी।

बीड़ी पर उत्पादन शुल्क में जो वृद्धि की गई है उसका गरीब लोगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाए।

जहां तक स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वालों को पेंशन देने के प्रश्न का संबंध है, मैं सभी संबंधित प्राधिकारियों से अपील करता हूं कि ऐसी हिदायतें जारी की जायें जिससे राज्य सरकारों से

जो उन्हें मिलता रहा है वह उनकी रकम में से न काटा जाए। पेंशनधारियों को इस बात की भी आशंका है कि वर्तमान सरकार कहीं यह पेंशन बन्द ही न कर दे।

अग्रिम जमानत के बारे में इस समय जो भी उपबन्ध है, उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। क्योंकि इन उपबन्धों का ऐसे निर्दोष लोगों को लाभ होगा जिन्हें आपराधिक मामलों में फंसा लिया जाता है। यदि इन उपबन्धों को समाप्त कर दिया गया, तो इससे ऐसे निर्दोष लोगों को, जिन्हें झूठे आरोप लगा कर फांस लिया जाता है, बहुत कठिनाई होगी। अतः इन उपबन्धों को बने रहने देना चाहिए।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन छानबीन के लिए 60 दिन का समय अपर्याप्त है। इसे बढ़ा कर 90 दिन कर दिया जाना चाहिए।

मृत्यु दण्ड का जो उपबन्ध है उसे समाप्त कर दिया जाए। कुमारी रेणुका और आय दो नक्सलवादियों को दी जाने वाली मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में बदल देना चाहिए क्योंकि हमारे देश में अभी तक किसी महिला राजनीतिक कर्मचारी को मृत्यु दण्ड नहीं दिया गया है।

आपात स्थिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। हमें देखना यह है कि आपात स्थिति लागू करने से पूर्व क्या स्थिति थी। 1975 का वर्ष देश के लिए बहुत ही चिंताजनक रहा। इस देश में तथा अन्य देशों के लोगों का विचार था कि इस देश में लोकतन्त्र का भविष्य उज्जवल नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेवार था? प्रश्न यह है कि स्कूलों, कारखानों, यातायात और संचार के साधनों में बाधा किसने डाली थी? गुजरात में विधान सभा के चुने हुए सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिए किसने बाध्य किया था? गुजरात के पश्चात् यही बात बिहार में दोहराई गई। तत्पश्चात् श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दे दिया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की और उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि वह प्रधान मंत्री के पद पर बनी रह सकती हैं। इसके बावजूद कुछ लोग उसे इस पद से हटाने के लिए तुले हुए थे। उन्होंने पूर्ण क्रांति का नारा दिया। न केवल पुलिस को ही परन्तु सेना को भी सलाह दी गई कि वे सरकारी आदेशों का पालन न करें। जब लोग सीमा से इतना आगे बढ़ गये, तब राष्ट्रपति जी ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी।

मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपात स्थिति के दौरान हमारी अर्थ व्यवस्था सरकारी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, विदेशी मुद्रा की स्थिति इत्यादि में सुधार हुआ है या नहीं? आलोचना की कोई हद होनी चाहिए। हम आप लोगों की आलोचना पिछले तीस वर्ष से सुनते आ रहे थे। परन्तु आप में इतनी भी सहनशीलता नहीं है कि आप थोड़े दिनों में ही तंग आ गये हैं।

आलोचना की जाती है कि आपात स्थिति लागू करते समय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मंत्रिपरिषद से सलाह क्यों नहीं की। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जनता सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रही है। प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई पहले दो दिन स्वयं सरकार की बागडोर अपने हाथ में ही थामे रहे। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में देर हो गई। संविधान के उपबन्धों के अनुसार तो मंत्रिपरिषद् होनी चाहिए थी और यहां केवल प्रधान मंत्री ही मंत्रि-परिषद्

[श्री जर्नादन पुजारी]

का कार्य करते रहे तो क्या यह सब संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं है ? गत 100 दिनों में सरकार ने कोई ठोस कार्य नहीं कर दिखाया है । अभी तक पूरी सरकार ही नहीं बन पाई है । इसके फलस्वरूप सरकार के कार्य में बाधा पड़ रही है ।

सरकार कहती रही कि वह दल बदलुओं के पक्ष में नहीं है । लेकिन दो दिन पश्चात् ही गुजरात में दल बदलुओं की सहायता से वहां की सरकार ही बदल दी गई । इसके पश्चात् मनीपुर, त्रिपुरा और फिर जम्मू और काश्मीर में भी सरकार को बदल दिया गया । यह सब दो ही दिनों में हो गया । जबकि प्रधान मंत्री ने कहा था कि वह इसके पक्ष में नहीं हैं । राज्य सभा में 13 और लोक सभा के चार सदस्यों ने अपना दल बदल लिया । इसके लिए यह सरकार ही जिम्मेवार है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रख सकेंगे ।

———

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

दूसरा प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 13 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन से, जो 13 जुलाई, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

———

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 217 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 217)

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, (धारा 10क का प्रतिस्थापन)
ESSENTIAL COMMODITIES (AMENDMENT) BILL, (SUBSTITUTION OF SECTION 10A)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

बेरोजगारी भत्ता विधेयक
UNEMPLOYMENT ALLOWANCE BILL

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ते का अनिवार्य रूप से संदाय करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में सभी बेरोजगार व्यक्तियों को भत्ते का अनिवार्य रूप से संदाय करने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

जाति पद्धति (उत्सादन) विधेयक
CASTE SYSTEM (ABOLITION) BILL

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमन मैं प्रस्ताव करता हूं कि जाति पद्धति के उत्सादन का और नाम के पश्चात् जाति अभिव्यक्त करने पर रोक लगाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जाति पद्धति के उत्सादन का और नाम के पश्चात् जाति अभिव्यक्त करने पर रोक लगने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : श्रीमन, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

गरीबी उन्मूलन योजना विधेयक
ERADICATION OF POVERTY SCHEME BILL

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश से गरीबी का उन्मूलन करने की योजना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश से गरीबी का उन्मूलन करने की योजना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सामाजिक निःशक्तताओं का निवारण विधेयक
PREVENTION OF SOCIAL DISABILITIES BILL

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने ही समुदाय के किसी सदस्य या किन्ही सदस्यों पर सामाजिक निःशक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने के लिए, ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शास्तियों का और तत्सं-सक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि किसी समुदाय के सदस्य या सदस्यों द्वारा अपने ही समुदाय के किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों पर सामाजिक शान:शुक्तताओं के अधिरोपण का निवारण करने के लिए, ऐसे कार्य या कार्यों के लिए शास्तियां का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted.

डा० वसंत कुमारपण्डित : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 51 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 51)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेंयक को पुर:स्थापित करता हूं।

हज समिति (संशोधन) विधेयक (धारा 7 और 8 का संशोधन)

HAJ COMMITTEE (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTIONS 7 AND 8)

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि हज समिति अधिनियम 1959 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हज समिति अधिनियम, 1959 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

2007 LS—11

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

भारत स्थित विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात (विनियमन) विधेयक

PUBLICATION AND IMPORT OF POLITICAL LITERATURE BY FOREIGN MISSIONS IN INDIA (REGULATION) BILL

सभापति महोदय : सभा अब श्री समर गुह के विधेयक पर आगे विचार करेगी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैंने स्कूलों, कालेजों, ग्रामों, समाचारपत्र कार्यालयों या राजनीतिक दलों के कार्यालयों के पुस्तकालयों में भारत में स्थित विदेशी मिशनों द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित साहित्य तथा अन्य देशों से आयात किया गया साहित्य देखा है। यह साहित्य प्रायः बड़ी शक्तियों, अर्थात् अमरीका और सोवियत संघ का ही है। मुझे भी ऐसा साहित्य भेजा जाता रहा है। समझ में नहीं आता कि इस देश में इस मामले में इतनी छूट क्यों दे रखी है। इस देश में इस प्रकार विदेशी प्रचार का जो इतना बोल बाला है, इस के बारे में मैं आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयत्न करता रहा हूं। कल ही माननीय प्रधान मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में उस प्रचार साहित्य के आंकड़े दिए हैं जो भारत में अमरीका, सोवियत संघ और अन्य देशों के दूतावासों द्वारा मुद्रित, प्रकाशित और वितरित किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस देश के देशभक्त लोगों और सरकार का इस बात की ओर ध्यान दिलाना एक देशभक्ति पूर्ण कार्य होगा कि यदि इस तरह के प्रचार साहित्य को हमारे देश में आने दिया जाएगा तो हमारे देश के राजनीतिक जीवन में एवं लोगों के दिमागों में क्या प्रभाव पड़ेगा।

इस मामले पर अच्छी तरह विचार करने के बाद ही मैंने यह विधेयक पेश किया है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह विधेयक विश्व के किसी देश के प्रति किसी दुर्भावना से नहीं लाया गया है। परन्तु यह तो इस आशा से लाया गया है कि भारत को अपना राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय अस्तित्व और राष्ट्रीय विचारधारा अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए।

दूसरे देशों के साथ हमारे सम्बन्ध शांतिपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि व्यापक रूप से किए जाने वाले राजनीतिक कुप्रचार का हमारी राजनीतिक विचारधारा पर प्रभाव पड़े। अतः मैं समझता हूं कि विदेशी मिशनों द्वारा विदेशी साहित्य, विशेषकर राजनीतिक साहित्य के मुद्रण और प्रकाशन को नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पूछने पर बताया है कि विदेशी प्रचार साहित्य के प्रकाशन तथा वितरण को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है। मंत्रालय ने यह बताने में भी असमर्थता व्यक्त की है कि अमरीकी दूतावास, सोवियत संघ अथवा अन्य देशों द्वारा वास्तव में कितने प्रकाशन प्रकाशित किए जा रहे हैं। उसका कहना है कि समाचारपत्र

पंजीयक विनियम उन पर लागू नहीं होता है। जो भी जानकारी प्राप्त हुई है, वह विदेशी मिशनों द्वारा स्वेच्छा से हमारी सरकार को दी गई है। हमें यह पता नहीं है कि विदेशी दूतावास और कौन-सा साहित्य मुद्रित, प्रकाशित या वितरित कर रहे हैं।

1972 में अमरीकी दूतावास "अमरीकन रिपोर्टर" प्रकाशित करता था। सौभाग्य की बात है कि अब इसका प्रकाशन बन्द हो गया है।

प्रधान मंत्री द्वारा इस सभा को दी गयी जानकारी का मैंने विश्लेषण किया है कि अमरीकी दूतावास दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं की 10,75,000 प्रतियां प्रकाशित करता है जब कि सोवियत संघ 6,43,20,000 अमरीका अंग्रेजी की तीन मासिक पत्रिकायें --'स्पान', 'अमरीकन लेबर न्यूज' और "सोजर्नर" और एक त्रैमासिक "दि अमरीकन रिव्यू" प्रकाशित करता है। रूस के 50 प्रकाशन हैं। इसके अतिरिक्त "सोवियत यूथ" नियमित रूप से प्रकाशित होता है। इसके संस्करण 11 भारतीय भाषाओं में निकलते हैं।

इन दैनिक द्विसाप्ताहिक, त्रिसाप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं में सांस्कृतिक या साहित्यिक विषयों पर सामग्री नहीं होता है। इनमें ऐसी विषय सामग्री होती है जिनका राजनीतिक प्रचार से गहरा सम्मन्ध होता है। मुझे मालूम नहीं कि क्या अन्य देशों में भी बड़े पैमाने पर ऐसे साहित्य के प्रकाशन की अनुमति दी जाती है।

यह सभी साहित्य किसी विशेष राजनीतिक दल के मुद्राणालयों में छपता है। 'न्यू एज प्रिंटिंग प्रैस' दिल्ली और बम्बई, 'नवयुग प्रैस' 'कालान्तर' और 'नालन्दा प्रेस' कलकत्ता में सोवियत रूस की पत्र-पत्रिकायें छपती हैं। मुझे मालूम नहीं कि क्या हमारी सरकार इसे किसी तरह का राजनीतिक संरक्षण अथवा वित्तीय सहायता समझेगी जो किसी दूतावास द्वारा किसी विशेष राजनीतिक प्रयोजन के लिए किसी राजनीतिक दल को दी गयी है। इस बात का पता लगाना सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई दूतावास लाखों की संख्या में साहित्य के मुद्रण के लिए किन्हीं विशेष मुद्रणालयों को ही क्यों चुनते हैं?

प्रत्येक वर्ष विदेशों से लाखों पुस्तकें और पत्रिकायें आयात की जा रही हैं। ये अमरीका, ब्रिटेन और रूस से आयात की जाती हैं। ये पुस्तकें और पत्रिकायें तीन वर्ग में आती हैं--शिक्षा सम्बन्धी, उच्चकोटी की राजनीतिक पुस्तकें और तुच्छ राजनीतिक प्रचार साहित्य। मुझे पहले दो वर्ग की पुस्तकों के आयात पर कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति तीसरे वर्ग के साहित्य के आयात पर ही है।

देश में ऐसा साहित्य भी परिचालित किया जा रहा है। जिसमें देशों की आलोचना की जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत में किसी दूतावास को किसी ऐसे देश की आलोचना करने का अधिकार है जिससे हमारे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हों। परन्तु यह सब अभी भी जारी है।

मुझे तो केवल सभा का ध्यान आकर्षित करना और पूछना है कि क्या हमारे देश में यह विदेशी प्रचार चलता रहना चाहिए अथवा क्या सरकार समझती है कि यह तुच्छ राजनीतिक

[श्री समर गुह]

प्रचार अभियान नियंत्रित या विनियमित किया जाना चाहिए और क्या किसी भी दूतावास को हमारी भारतीय भाषाओं में किसी तरह का राजनीतिक साहित्य वितरित करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए ? क्या यह उचित है ? मुझे नहीं मालूम कि क्या अमरीका, रूस, जापान या किसी अन्य देश में राजनीतिक प्रचार साहित्य के मुद्रण और वितरित करने की इजाजत है ? मैं इस बात को सभा और मंत्री महोदय पर छोड़ता हूं कि क्या हमारे देश में तुच्छ राजनीतिक प्रचार की अनुमति दी जाए या नहीं। माननीय सदस्य वादविवाद में भाग लें। इसके बाद मैं जो कुछ कहना चाहूंगा वह इसका उत्तर देते समय कहूंगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य के प्रकाशन तथा आयात को विनियमित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : सभापति महोदय, आज जब कि समस्त विश्व की दूरी कम हो रही है, राष्ट्रीय सीमायें समाप्त हो रही हैं, हम प्रौद्योगिकी, राजनीति, विज्ञान, आणविक तथा अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में ज्ञान का आदान-प्रदान कर रहे हैं और जबकि हमारे मित्र श्री हरिविष्णु कामत ने समूचे विश्व के लिए एक संघीय सरकार के लिए एक विधेयक पेश किया है तब मैं नहीं समझता कि मेरे मित्र श्री समर गुह को देश में भारी मात्रा में ऐसे साहित्य के आगमन पर भयभीत होना चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता की जड़ें बड़ी गहरी हैं। जब कभी भी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है, जब कभी भी हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हुआ है, तब हमने दलगत भावना से हटकर एक जुट होकर कार्य किया है। अतः मेरा श्री समर गुह से निवेदन है कि वह विदेशी साहित्य के देश में वितरित किए जाने के लिए भयभीत न हों।

हमें चिन्ता तो केवल विदेशी धन के बारे में है जो चोरी छिपे देश में लाया जा रहा है और जो राजनीतिक दलों सहित विभिन्न स्रोतों से आता है। इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव है कि सभी राजनीतिक दलों का सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकरण किया जाए और वे वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें जिन्हें प्रकाशित किया जाए। इससे समूचा राजनीतिक भ्रष्टाचार समाचार हो जाएगा। साथ ही साथ चुनावों के समय विदेशी सहायता के सभी स्रोत भी समाप्त हो जायेंगे। अतः गृह मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस मामले पर विचार करें।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं श्री समर गुह के इस विधेयक को पेश करने के उद्देश्य के बारे में उनकी ईमानदारी पर सन्देह न करते हुए यह जानना चाहता हूं कि इस प्रकार के साहित्य के प्रकाशन से देश की राजनीतिक और आन्तरिक राजनैतिक मामलों का उल्लंघन कैसे होता है। इसमें जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि यदि कोई अन्य देश अथवा उसका दूतावास हमारे आन्तरिक मामलों या राजनैतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो यह पूरी सभा उसका विरोध करेगी। यह देश की सर्वप्रभुत्वसम्पन्नता का मामला है तथा देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हम किसी भी देश को अपने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दे सकते। पर श्री गुह का सारा भाषण राजनीतिक विचारधारा के इर्द-गिर्द मंडराता रहा है। **(व्यवधान)**

आज का विश्व एक इकाई है और किसी को भी दूसरे देश की राजनीतिक विचारधारा को प्रकाशित करने से रोका नहीं जा सकता। हम माओ-त्से-तुंग या किम-इल-सुंग और अन्य राजनीतिक विचारकों और दार्शनिकों की विचारधारा के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते।

आज की अन्तरराष्ट्रीय राजनीति सभी के लिए एक चिन्ता का विषय बनी हुई है। मुझे जो राजनीतिक साहित्य मिलता है उसमें सोवियत संघ और अन्य देशों के विचार होते हैं। उदाहरणार्थ अमरीकी दूतावास द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका 'स्पेन' एक बहुत ही बढ़िया प्रकाशन है जिसमें राजनीति के अलावा इंजीनियरी और कृषि के बारे में भी मूल्यवान सामग्री उपलब्ध होती है। इसी प्रकार इन प्रकाशनों से हमें कार्टर जैसे व्यक्तियों के भाषण पढ़ने को मिलते हैं जिनमें देश व विदेश तथा अन्तरराष्ट्रीय मामलों का विश्लेषण होता है। हम उन विचारों से सहमत हों या न हों, पर उनसे हमें लाभ अवश्य होता है। पश्चिमी देशों के जन प्रचार साधनों से जो जानकारी मिलती है वह साम्राज्यवादी विचारधारा से प्रभावित होती है। उसमें उपनिवेशों की आवाज बुलन्द नहीं की जाती। उसे दबाया जाता है। इसकी सही जानकारी हमें अन्य साधनों, अन्य देशों से प्रकाशित सामग्री से मिल सकती है। इस प्रकार की सामग्री पर प्रतिबन्ध लगाने से देश की जनता और देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। परमाणु हथियारों या परमाणु ऊर्जा के बारे में सोवियत रूस या अन्य देश के क्या विचार हैं यह जानना हमारा अधिकार है। इस प्रकाशन को बन्द करने का अर्थ होगा अन्तरराष्ट्रीय राजनीति से अनभिज्ञ रहना। मैं इसका समर्थन नहीं करूंगा।

विश्व के किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध नहीं है। श्री गुह यह समझेंगे कि इंगलैंड में इस तरह की सामग्री का न केवल प्रकाशन होता है, अपितु भारतीयों को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वरां प्रदर्शन भी करने दिये जाते हैं।

विभिन्न समाचारपत्रों आदि को दिये जाने वाले धन की बात भी मैं करूंगा। देश में कई निधियां हैं और अनेक संगठन कार्य कर रहे हैं। कहा गया है कि विश्वबैंक ने रुपये का अवमूल्यन करने हेतु भारत को उकसाया है। यह सच है। अमरीकी एजेंट भारत में दो वर्ष तक रहा और उसने कई राजनीतिक नेताओं को प्रभावित किया। वास्तव में रुपये का अावमूल्यन करना गलत था। इस प्रकार का प्रभाव हानिकारक होता है। स्पष्ट है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ। इसी प्रकार भारत में आपात स्थिति लागू किये जाने में भी विश्व बैंक का हाथ था। पी एल–480 और फोर्ड फाउन्डेशन जैसी संस्थाओं ने भारतीय कृषि व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया। आज भी इस खाते में 2,000 करोड़ रुपये की भारी राशि अमरीकी दूतावास के पास पड़ी है पता चला है कि इस में से 10 करोड़ रुपया निकाल लिया गया है। पर हम यह नहीं पूछ सकते कि यह धनराशि कैसे खर्च की गई माननीय गृह मंत्री को इस बारे में पूरी जांच करनी चाहिए। साथ ही सरकार को अमरीका द्वारा चली जाने वाली चालों से भी सावधान रहना चाहिए।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : श्री समर गुह का यह गैर-सरकारी विधेयक राजनीतिक समस्याओं की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया गया प्रतीत

[श्री पी० जी० मावलंकर]

होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि न केवल भारत में अपितु समस्त लोकतांत्रिक देशों में अनेकों विदेशी मिशनों द्वारा व्यापक रूप से राजनीतिक प्रचार किया जाता है और सभी लोकतंत्र देश इस विषय से चिन्तित हैं। इस सम्बन्ध में हमारे सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होते हैं। इस तरह का प्रतिबन्ध लगा कर क्या हम ज्ञान के सभी दरवाजों को बन्द करना चाहते हैं? क्या देश में जो कुछ सोचा-विचारा या लिखा-पढ़ा जाता है वही हमारे लिए पर्याप्त है अथवा समस्त विश्व से प्राप्त होने वाले ज्ञान से हम लाभ उठाना चाहते हैं?

आरम्भ से ही हम बड़े विश्वास और साहस से यह कहते आ रहे हैं कि हम सारे विश्व के विचारों को ग्रहण करेंगे। लेकिन हम उन विचारों या उनमें से किन्हीं विचारों का आवश्यक रूप से अनुसरण नहीं करेंगे। हमारे अपने अनुभव, अपनी परिस्थितियां और अपना वातावरण ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे। यदि यह ठीक है तो विदेशी मिशनों द्वारा मुद्रित-प्रकाशित की जाने वाली सामग्री के बारे में श्री समर गुह को इतनी चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

आज हम प्रौद्योगिकी और विज्ञान के युग में जी रहे हैं। विज्ञान आज काफी आगे बढ़ चुका है। जानकारियों, विचारों और अनुसंधानों का निर्बाध आदान-प्रदान हो रहा है। ऐसी अवस्था में किसी देश विशेष से भारी मात्रा में प्राप्त होने वाले साहित्य पर केवल यह सोच कर कि अमुक साहित्य खतरनाक सिद्ध होगा, प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है। क्या हमारा देश परिपक्व और अनुभवी नहीं है? हमें इस प्रकार के प्रभावों से नहीं डरना चाहिए। लगता है कि प्रो० गुह सस्ते राजनीतिक साहित्य के माध्यम से होने वाले कुप्रचार से चिन्तित हैं। सस्ते साहित्य से उनका अभिप्राय शायद उस साहित्य से है जो सस्ते दामों पर मिलता है या जिसके माध्यम से घटिया किस्म का प्रचार किया जाता है। अतः हमें अपने विवेक से इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि क्या हमारे लिए अहितकर है और क्या हितकर।

हमें बेकार की बातों में न पड़ कर केवल उन्हीं बातों का अनुकरण करना चाहिए जिनसे हमें कुछ लाभ हो।

विधेयक में अनेक प्रक्रियाओं का सुझाव दिया गया है जैसे मुद्रणालयों का रजिस्ट्रीकरण करना और सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करना, आदि। ये तरीके तानाशाही के परिचायक हैं। ईश्वर का धन्यवाद है कि हमें अभी हाल ही में इन तानाशाही प्रवृत्तियों से मुक्ति मिली है और अब सरकार को इस प्रकार की शक्तियां नहीं दी जानी चाहिएं। यदि कार्य-पालिका को विदेशी मिशनों के सम्बन्ध में एक बार ऐसा विशेषाधिकार दे दिया जाय तो इस बात की कोई गारण्टी नहीं कि वह इस अधिकार का हमारे विरुद्ध उपयोग नहीं करेगी। अतः इस विषय में हमें सावधानीपूर्वक कार्यवाही करनी होगी।

हमने लोकतंत्रीय समाज को अपनाया है। इसके साथ ही हमने एक खुले समाज के सभी जोखिमों और चुनौतियों को भी अंगीकृत किया है। देश में चाहे किसी किस्म का आन्तरिक अथवा वाह्य राजनीतिक प्रचार क्यों न हो और कितनी ही एजेंसियां इस कार्य में रत क्यों न हों हम परिपक्व विचारों वाले व्यक्तियों के सहयोग से ऐसा जनमत तैयार कर

सकते हैं जिन पर इस प्रकार के प्रचारों का कोई असर नहीं होगा। अतः इस समस्या का हल विदेशी मिशनों के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाना नहीं है। हमें अपनी जनता को शिक्षित करना होगा ताकि वे अपना भला-बुरा पहचान सकें।

विश्व के किसी भी देश से यदि हमें पुस्तकें और पत्रिकाएं मुफ्त और निर्बाध रूप से मिलती हैं तो उसके लिए कानून बनाने की क्या जरूरत है। इन पत्रिकाओं के माध्यम से विचारों का जो आदान-प्रदान होता है वह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्ञान के दरवाजे खुले रहें। सुनो सबकी, करो मनकी।

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich) : Mr. Rhairman, Sir, I have gone through the Bill of Shri Samar Guha. Shri Mavlankar has expressed his views. I think he has not understood the spirit of the Bill.

[श्री सोनूसिंह पाटिल पीठासीन हुए !]

[SHRI SONU SINGH PATIL *in the Chair*]

The purpose of the Bill is that Government should exercise control on the foriegn aid that is flowing into this country in the form of political literature. It does not intend to impose any restrictions on the freedom of thought. The only intention is to restrict the foreign economic aid to specific political parties in the country.

It is well known that the two great powers have been manipulating to set up a Government of their own ideology in this country. Their main object is to bring in a tranformation in social, political and economic structure of this country and to set up a Government of their ideology. Crores of rupees are coming to this country openly and secretly. Youths are being offered scholarships and are being brain washed. The journals and literature are an instrument to propagate their views. Though we have no objection to this. But this is a means to some other end. They may not have freedom of speech and expression in their own country but are misusing the freedom here. The question is as to where the money earned by this literature goes and to whom the payment is made for the publication of these journals ? This entire money goes to the parties supporting them. Commission is being given on the name of agencies. Presses, are being installed free of cost. Therefore this whole thing should be controlled. It is a great danger to our country. Government have to think seriously over the question as to whether the attitude and ideas that are against the creed of non-violence or preaches violent methods. There are people here who think of Moscow and Peking. They believe that power comes from the barrel of the gun. Therefore nobody would tolrate that democracy be destroyed in this country. The literature which is against our ideologies should not be allowed to enter the country. Our countrymen were extremely poor and politically immature and, therefore, the Government should be very vigilant to see that such kind of literature as preached violence and anarchism is not circulated among our countrymen. Naxalites are one of the examples. They do not believe in democracy and are insterested in violence. Such people should be in jails. If the foreign aid to the political parties is not checked it will be dangerous for this country. Many political leaders are on the pay roll of these countries and these people are working for revolution from within.

It is true that Government have enacted some legislation to deal with such kind of situation but it appears that Government are too slack in implementing it in actual practice. Government should, therefore, enforce these laws more stringently to ch eck the in flow of foreign money in this country.

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : Mr. Chairman, Sir, the Bill brought by Prof. Guha is an indication of the freedom in this country. But we will have to go into its background. It is well known that foreign powers have interfered with our internal politics. Soviet news agencies like Tass and others have condemned the J.P.'s movement, supported the emergency and appreciated the 20-point programme. What would, therefore, be the result if such

[Dr. Ramji Singh]

a literature is allowed to be distributed in this country. There is no dearth of people in this country who have extra-territorial allegiance. Naxalites are among such people. They are the followers of China. A net work of foreign intelligence agencies has been operating in our country.

It has been stated that we should not be afraid because our democracy is not so immature. But it must be realised that the majority of people in the country are uneducated and very much amenable to propaganda. We still face danger from China and therefore, we have to be vigilant.

Today there is a world-wide brotherhood movement. There are talks of world commission, Islam and Christianity. But we have clearly announced that we will not allow any propaganda against any country in our soil. There is no objection to the circulation of such literature as gave information and knowledge about sputnik, but we would certainly protest against that kind of literature which meddled into our internal affairs. Government should take a serious view of this matter and lay down guidelines or norms for accepting or rejecting foreign literature.

We have nationalised our export trade. We can also nationalise the foreign literature that is coming to our country for circulation. A serious thought has to be given to this matter. Government should examine as to what kind of restrictions can be imposed on the circulation of such literature. Government should stop the conspiracy of foreign powers that have been going on for the last five years to change the political system in the country.

Shrimati Ahilya P. Rangnekar (Bombay North-Central) : I have listened to Hon'ble Shri Guha and the other Members. They have suggested that a ban on the import of political literature from any country ouside India regardless of the fact whether that country is socialist or democratic. But in his speech the moves laid main emphasis on the literature of Communist countries alone. Provision has been made in the Bill for fine and imprisonments. These measures will not do good. I feel if at all there is any danger, it is from the C.I.A. agents. Bangla Desh War is the clear example. What role was played by America.

If Government is convinced that certain political parties received foreign money, legal action can be taken against that party. This Bill will not be of much help in this regard.

We should not punish people for differences in political ideology unless it is connected with violence. We have seen in our own country how things took shape and what treatment was meted out to those who differed in political ideology.

If this Bill is passed all the books written by Karl Marx and Lenin will be banned. We have accepted socialism in this country. We should not put a check on the communication of ideas from one country to the other through books.

In fact the culture and the ideas of our country are harmed by foreign agencies like C.I.A. It has been proved that they bribe the officials of this country and indulge in anti-national activities of nefarious character. The restrictions would not do any good. We are quite competent to resist such activities.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : यह इस सभा का अनादर होगा यदि हम इसके सभी खण्डों को पिछली हाल की घटनाओं के सन्दर्भ में स्वीकृत करें। मैं समझता हूं कि एक अधिनियम इस बारे में है और मेरा यह विश्वास था कि सरकार इसका निरसन करेगी किन्तु श्री समर गुह का विधेयक आया है। मुझे चीन के एक बादशाह की याद आती है जिसने कहा कन्फ्यूशस की सभी रचनाओं को नष्ट किया जाये और वे समाप्त की गई और वह बादशाह प्रसन्न हुए किन्तु माउत्से तुंग को भी कन्फ्यूशस की विचारधारा का सामना करना पड़ा।

श्री समर गुह : मैं इस विधेयक को इस कारण लाया हूं कि मेरी इस देश के प्रति निष्ठा है।

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आपके लिए यह समझना कठिन है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : हमें किसी की निष्ठा पर सन्देह नहीं करना चाहिए। हम इस देश के प्रति निष्ठ हैं और हमारी यह निष्ठा सदा बनी रहेगी।

इसका अर्थ यह नहीं है कि हम ऐसी विचारधारा में विश्वास न रखे जोकि अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है। समाजवाद किसी एक देश के लिये नहीं है। यद्यपि यह एक तथ्य है कि रूस ने ही सबसे पहले समाजवाद को अपनाया। इसी देश ने सबसे पहले मार्क्स और लेनिन की तकनीक को अपनाया। मार्क्सवाद सामाजिक विकास का विज्ञान है। आप इसे पसन्द करें अथवा न करें आप इससे बच नहीं सकते। आज देश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है किन्तु सबसे बड़ी समस्या है कि आज हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर साम्राज्यवादियों का नियन्त्रण है।

श्री समर गुह : इसमेंसे रूस का साम्राज्यवाद भी शामिल है।

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : यह रूस का सामाज्यवाद है या देश के विकास के लिये रूस की सहायता है, इस बात को इस देश में सभी जानते हैं। यद्यपि सभी भूतपूर्व उपनिवेश स्वतन्त्र हो गये हैं किन्तु फिर भी साम्राज्यवादी देश सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री समर गुह : मेरे विधेयक का उद्देश्य प्रचार साहित्य के प्रकाशन तक ही सीमित है। अगर अर्थ-व्यवस्था आदि के प्रश्न उठाये गये तो मैं उनका उत्तर कैसे दे सकूंगा ?

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : जब आप रूस के साहित्य से हानि का उल्लेख करते हैं तो आप इस विधेयक के माध्यम से कौन से उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं ? अगर इस विधेयक को स्वीकार कर लिया गया तो इस देश के बुद्धिजीवियों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। एक प्रजातन्त्र देश में इस प्रकार का साहित्य होना चाहिये। फिर उन्होंने दल का नाम लिये बिना दोषारोपण किया है कि हम रूस द्वारा दिये गये धन पर निर्भर हैं। रिजर्व बैंक ने इस सम्बन्ध में पर्याप्त नियम लागू किये हैं, भारत सरकार इन लोगों के व्यापारी लेखे देख कर पता लगा सकती है। आप लोगों को दूसरों पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिये, अगर आप इस प्रकार का विवाद उठाना चाहते हैं, उसे सदन से बाहर उठाया जा सकता है इसके लिये सदन का समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है। यह एक घृणित विधेयक है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहियें।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के राजनीति क्षेत्र में प्रादेशिक संकीर्णता और जातिवाद नासूर बना हुआ है। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई लाभ नहीं है। क्या हमें आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल नहीं करनी चाहिये ? हमें किसी बाहरी एजेन्सी को आर्थिक स्वतन्त्रता का हनन नहीं करने देना चाहिये। अभी भी हमें

[श्री के० लकप्पा]

देश की जनता को आर्थिक अधिपत्य से मुक्त कराना है क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर अभी भी बहु-राष्ट्रीय देशों का अधिपत्य है। हमें सामाजिक परिवर्तनों को तथा इस देश के भीतर और विश्व में हो रहे आर्थिक परिवर्तनों को समझना होगा। हमें इस बात की पहचान होनी चाहिये कि कौन हमारा मित्र है और कौन हमारा शत्रु है। उदाहरण के लिये सरकार हिन्द महासागर में बनाए जाने वाले नौसैनिक अड्डे के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है। यदि किसी देश की अर्थ-व्यवस्था हमारे देश में गरीबी का वातावरण उत्पन्न करती है तो क्या हमें अपने लोगों को मुक्त नहीं कराना चाहिये और राष्ट्र को उस देश के चंगुल से छुटकारा नहीं दिलाना चाहिये। हमें अपने देश को उन देशों की आर्थिक दासता से मुक्ति दिलानी होगी। यह खेद की बात है कि यह विधेयक निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदय : गृह मन्त्री महोदय।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक महत्वपूर्ण विषय है, मुझे बोलने के लिये पांच मिनट का समय दिया जाये ....

सभापति महोदय : मुझे खेद है, मन्त्री महोदय ने इस पर बोलना है। और श्री समर गुह को भी कुछ समय देना होगा, अतः मुझे खेद है।

श्री समर गुह : सभा प्रभुसत्ता सम्पन्न है अगर यह चाहे तो अवधि बढ़ाई जा सकती है।

सभापति महोदय : इसके बारे में बाद में देखा जायेगा। गृह मन्त्री महोदय।

The Home Minister (Shri Charan Singh) : Mr. Chairman Sir, the subject of the Bill has been discussed thoroughly. Cogent and strong arguments have been advanced by the members from both sides, but I still consider that there is no need for accepting the Bill. The first thing is that it has been said that the political literature should not be allowed to be distributed on such a large scale and free of cost. But what is political literature. It is very difficult even to define the word 'political'. It can include the cultural and educational material also. Moreover if you compose restrictions in this regard, the other countries will also have the right to impose restrictions on the distribution of our literature there. For example, a magazine 'India' is being published in Soviet Russia and is distributed in thousands there. There is a centre in Washington also.

T is Bill is not required in view of the guidelines issued by the Ministry of External Affairs and sent to the foreign missions. So the literature is being distributed according to those guide-li lines. If any member draws our attention to any specific case of violation of these guidelines, we will definitely take action against it. We can regulate the distribution of such literature in accordance with the customs Act. Shri Samar Guha and some other friends have said that such literature is distributed free of cost. This literature is not sold free of cost, the earnings from the proceeds are given to the political parties. He himself has also said that there is a Foreign Contribution and Regulation Act in this regard. Perhaps it was enacted last year. Section 4 of the Act says—

> काई भी राजनीतिक दल विदेशी धन स्वीकार नहीं कर सकता। राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी धन स्वीकार करना दण्डनीय अपराध है।

S ri Samar Guha : It does not cover it.

Shri Charan Singh : I think it is covered. If any political party accepts foreign money in any way......

Shri Samar Guha : It comes through Embassies in India, not through foreign countries.

Shri Charan Singh If it does not come through foreign countries, this can be covered by the two existing Acts in this regard. There is no need for the third.

An honourable friend has pointed out that if the clauses 6 and 7 of the Bill are enacted, the dominance of bureaucracy will increase in this regard. I do not mean any disrespect for bureaucracy, I think that no Government can run without the help of bureaucracy. The more welfare schemes are entrusted to it, the more it will be dominant and our aim to create an open society will not be achieved. It will even encroach upon the fundamental right of equality enshrined on the Constitution.

A friend has quoted Mahatma Gandhi that he used to say that he keeps all the windows of his house open to allow fresh air from all sides. He also said that he loves his ideals. I do not want to close my mind from the knowledge of others. With the words, I want to request the honourable Member to withdraw his Bill.

श्री समर गुह : सभापति महोदय, इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक साहित्य लाया जा रहा है। अगर रूस में मार्सक्वाद की आलोचनात्मक समीक्षा सम्बन्धी साहित्य इस पैमाने पर बांटा जाये तो क्या होता? अगर इस पैमाने पर गांधीवादी सिद्धान्तों, जैसे सत्याग्रह, अहिंसा आदि का मार्क्सवादी अहिंसा के सिद्धान्त की तुलना में प्रचार किया जाये तो क्या होगा? अगर हमारा दूतावास रूसी क्रान्ति पर ट्रोटस्की की पुस्तक छाप दे तो क्या होगा? मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा हो जाये तो क्या होगा? प्रश्न यह है कि हमें प्रजातान्त्रिक मूल्यों का सामना करना चाहिये।

आपात काल के दौरान रेडियो मास्को और यहां से प्रकाशित रूसी प्रचार साहित्य द्वारा इंदिरा गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम की प्रशंसा की जाती रही और आप की पार्टी तथा सोशलिस्ट पार्टी को गालियां दी जाती रहीं। क्या यह हमारे देश की आन्तरिक राजनीति में हस्तक्षप नहीं है? हम किसी भी साहित्य, चाह वह विज्ञान, कला या राजनीति-दर्शन या नयी विचारधाराओं के बारे में हो, विरुद्ध नहीं हैं परन्तु इस प्रकार के सस्ते साहित्य को पसन्द नहीं करते जो लोगों के मन को किसी विशिष्ट उद्देश्य से बदलना चाहता है और हमारी लोकतांत्रिक मान्यताओं का विरोधी है। ऐसे विदेशी साहित्य के प्रति हम उदारता का रुख नहीं अपना सकते। इस समस्या के प्रति हमें दूरदृष्टि से देखना है कि कोई कठिन क्षण आने पर ऐसे विदेशी प्रचार की भूमिका क्या होगी। इसीलिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मैंने इस सदन में विदेशी साहित्य के बारे में कई बार प्रश्न किये थे कि क्या इस विदेशी साहित्य द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है और हमारे देश का सहारा लेकर अन्य मित्र देशों की आलोचना की जाती है। परन्तु श्री गुजराल ने उसका यही उत्तर दिया कि उन्होंने विदेशी दूतावासों को ऐसा न करने के लिए कई बार कहा तो है लेकिन इसके लिए उन पर दबाव नहीं डाल सकते। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय यह दलील देता रहा है कि विदेशी दूतावासों को अपने-अपने प्रकाशन समाचार पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत कराने के लिए नहीं कहा जा सकता। अतः हमें यह

[श्री समर गुह]

जानना कठिन है कि वे कितने प्रकाशन किस प्रकार के निकालते हैं और उन पर कितना धन व्यय होता है। मैंने अपने इस विधेयक में विदेशी मिशनों द्वारा प्रकाशित सभी साहित्य को रजिस्टर कराने की स्पष्ट व्यवस्था रखी है। इससे सरकार को यह ज्ञात हो सकेगा कि वह कहां से कितनी संख्या में किस दर पर छपवाया गया और कितने मामलों में उनकी आय राजनीतिक दलों को मिली।

यह साहित्य राजनीतिक दलों के स्वामित्व वाले प्रैसों में छपवाया जाता है और अधिकांशतः कतिपय राजनीतिक दलों के माध्यम से निःशुल्क बांटा जाता है। न केवल शिक्षा सम्बन्धी साहित्य बल्कि राजनीतिक साहित्य भी विशिष्ट प्रकाशक आयात करते हैं और इन प्रकाशकों को इस पर भारी कमीशन मिलता है। क्या यह विदेशी मिशनों के माध्यम से कतिपय राजनीतिक दलों की गतिविधियों का वित्तपोषण नहीं है? मेरे विधेयक का वास्तविक उद्देश्य है कि सरकार भारतीयों का मस्तिष्क दूषित करने वाला ऐसा विदेशी साहित्य न आने दे और देश को किसी भी विदेशी प्रचार का चाहे वह अमरीका, रूस या किसी अन्य देश का हो, अड्डा न बनने दे। अमरीका, ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी आदि से शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरी सम्बन्धी पुस्तकों का आयात किसी विशिष्ट लाईसेंस धारक के बजाय सरकारी एजेंसी के माध्यम से किया जाये।

यदि मंत्री महोदय इन तथ्यों की ओर ध्यान दें तो मैं यह विधेयक वापस लेने के लिए सहमत हूं।

Shri Charan Singh : I appreciate the objective of Shri Guha. The points are already covered by the guide lines of the External Affairs Ministry and by the Act on foreign contributions. If our purpose is not met I would like to discuss it with him.

श्री समर गुह : मैं विधेयक वापस लेना चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनीतिक साहित्य का प्रकाशन तथा आयात का विनियमन करने वाला विधेयक वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

श्री समर गुह : मैं सभा की अनुमति से विधेयक वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : श्री पटेल अब सभा पटल पर कुछ महत्वपूर्ण पत्र रखेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकार (गांधीनगर) : मंत्री महोदय को इसकी पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। यदि वह पत्र रखना चाहते हैं तो गैर-सरकारी कार्य समाप्त होने के बाद रखें।

लोकपाल विधेयक
LOKPAL BILL

श्री पी० के० देव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाहियों के अन्वेषण के लिए लोकपाल नाम के एक प्राधिकारी की नियुक्ति तथा उसके कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्रीमन, देश में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक कुरीतियों ने भयंकर रूप ले लिया है। यहां तक कि कार्यपालिका ने आपातकाल के दौरान निरंकुश शक्ति अपने हाथ में ले ली। 1960 में स्वतंत्र पार्टी ने राजाजी के नेतृत्व में हुए अपने पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में यह सुझाव रखा था कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त किया जाये तो सभी राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाव से पूर्णत मुक्त हो।

सभापति महोदय : श्री देव, आप अपना भाषण गैर-सरकारी कार्य के लिए नियत आगामी दिन जारी रखें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं
Notifications under Central Excises and Salt Act, Customs Act and Central Excise Rules, etc.

वित्त और राजस्व तथा बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 232/77–सी० ई० में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सोलहवां संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 234/77 –सी० ई० में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल० टी०–5/19/77]।

2007 LS—13

[श्री एच० एम० पटेल]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 148/77–सीमा शुल्क से 151/77–सीमा शुल्क और 153/77–सीमा शुल्क से 155/77–सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(दो) अधिसूचना संख्या 152/77–सीमा शुल्क, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपर्युक्त मद (2) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखें गयें। **देखिए** संख्या एल० टी० 720/77]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 215/77–सी० ई०, 2/19/77–सी० ई० से 222/77–सी० ई०, 224/77–सी० ई०, 225/77–सी० ई०, 228/77–सी० ई०, से 231/77–सी० ई०, 236/77–सी० ई०, 243/77–सी० ई० से 245/77–सी० ई० और 249/77–सी० ई० (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण), जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(दो) अधिसूचना संख्या 216/77–सी० ई० से 218/77–सी० ई०, 223/77–सी० ई०, 226/77–सी० ई०, 227/77–सी० ई०, 233/77–सी० ई०, 235/77–सी० ई०, 237/77–सी० ई० से 242/77–सी० ई० और 246/77–सी० ई०, जो दिनांक 15 जुलाई, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं।

(5) उपर्युक्त मद (1) और (4) में उल्लिखित अधिसूचना संख्या 215/77–सी० ई० से 246/77–सी० ई० और 249/77–सी० ई० के सम्बन्ध में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 720/77]

इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 16 जुलाई, 1977/25 आषाढ़, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Saturday, July 25, 1977/Asadha 25, 1899 (Saka)

GMGIPMRND—PMR—2007 LS—5-11-77—200.

P.L.S. 48. IV. 30.77 (N)
200

© 1975 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित ।

© 1975 BY THE LOK SABHA SECRETARIAT

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixth Edition) and Printed by the General Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi-110002